राजस्थान विधान सभा

१२वीं बैठक, सोमवार दिनांक—२२ मार्च, सन् १९५४ ई.

(सायंकालीन बैठक)

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर में सायं ४ बजकर ५ मिनट पर प्रारम्भ हुई ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ३३६-३३७

श्री अध्यक्ष—श्री भोपालसिंह ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३३८

१९५३-५४ में राजस्थान के कुछ भाग अकाल-ग्रस्त तथा उन पर व्यय की जाने वाली रकम

श्री खेतसिंह—Will the Minister Incharge of Famine Relief be pleased to state:—

(i) Which of the areas have been declared as Famine and scarcity areas in Rajasthan in the year 1953-54 ?

(ii) How much amount is proposed to be spent for relief measures in those scarcity areas ?

(iii) Whether the Famine Relief Works like roads, tanks, etc. started last year and which were left incomplete during the last famine will be taken up during the current year ? If not, why not ?

(iv) Has the Rajasthan Government ever approached the Government of India for a recurring grant in the shape of Famine Relief Aid to Rajasthan to

Page No.2

[श्री खेतसिंह]

help it to meet the hazards of famine which is a common feature in Rajasthan ? If so, what is the attitude of the Government of India in this matter ?

श्री मोहनलाल सुखड़िया (अकाल सहायता मन्त्री)–(i) The following areas have been declared as scarcity affected areas on account of failure of rains in the year 1953:—

Division	District.	Tehsil.	Extent of the affected areas
Bikaner	Ganganagar	Nohar	Whole
		Bhadra	14 villages
		Suratgarh	40 ,,
		Hanumangarh	17 ,,
	Churu	Taranagar	25 ,,
		Rajgarh	20 ,,
		Sardarshar	95 ,,
		Dungargarh	9 ,,
Jaipur	Jhunjhunu	Sub-Division	
		Khetri	31 ,,
Jodhpur	Barmer	Siwana	34 ,,
		Barmer	52 ,,
	Jalore	Sanchore	34 ,,

(ii) A sum of Rs 4 lakhs has been sanctioned to under take Relief Measures in these areas during 1953-54. A sum of Rs. 9,40 lakhs has been provided for Relief Measures and Rs. 5 lakhs. for taccavi for the period 1954-55.

(iii) Works remaining incomplete in the areas which have continued to be scarcity affected would be completed this year as a part of Relief Works. As regards incomplete works in other areas, the matter has already been taken up by the Government to take necessary steps to complete them.

(iv) The Central Government has allotted a sum of Rs. 250 lakhs as a loan for undertaking Schemes of parmanent improvement in the scarcity areas but these funds are confined to the irrigation works only.

कुँ श्री जसवन्तसिंह–क्या इसमें भी कुछ स्थान ऐसे भी है जहाँ अकाल नहीं होते हुए भी उसे अकाल का एरिया घोषित किया गया ?

Page No.3

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जहाँ अकाल था वही अकाल का एरिया घोषित किया गया।

कुं श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में अगर ऐसे केसेज़ और कुछ ऐसे एरियाज़ लाए जावेंगे जिसमें बम्पर bumper पैदावार रही हो-२० सालों से, वहाँ पर भी किसी कारण से उस एरिया को अकाल का एरिया घोषित कर दिया तो उसके लिए कोई ध्यान देगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अगर आप सरकार के ध्यान में ऐसे एरियाज़ लावेंगे, तो अवश्य कार्यवाही की जावेगी।

श्री कानसिंह—क्या माननीय मन्त्री इस सम्बन्ध में तहकीकात करने के लिये तैयार हैं?

श्री रोशनलाल भटनागर—जो काम अधूरे पड़े हैं उनको पूरा कराने के लिए सरकार कितना रुपया व्यय करेगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने अर्ज किया कि यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री खेतसिंह—गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की तरफ से जो रुपया मिला है क्या यह रुपया सरकार इरिगेशन पर ही खर्च करेगी और क्या सरकार का विचार फेमिन रिलीफ द्वारा इसको खर्च करने का नहीं है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस समय यह रकम केवल इरिगेशन के काम के लिए ही भारत सरकार द्वारा दी गई है और उसी काम में खर्च की जावेगी।

श्री रोशनलाल भटनागर—क्या यह २॥ करोड़ रुपया जो मिला है उसे सरकार इरिगेशन में खर्च करेगी या फेमिन रिलीफ में भी खर्च करेगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इरिगेशन के कामों के लिए ही।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३३६

बड़ी सादड़ी के हाईस्कूल भवन के निर्माण में कुल व्यय तथा उसमें सरकारी सहायता

श्री जगतसिंह भाला—क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

[अ] बड़ी सादड़ी के हाई स्कूल भवन के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ व उसमें से सरकार ने कितनी सहायता की?

[आ] क्या सरकार को यह विदित है कि छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए वर्तमान भवन स्कूल के लिए अपर्याप्त है?

Page No.4

[श्री जगत सिंह झाला]

[इ] यदि हाँ, तो क्या सरकार इस भवन में वृद्धि करने का कोई विचार रखती है ?

[ई] क्या सरकार इस कार्य में आर्थिक सहायता देने को तैयार है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री.)—[अ] बड़ी सादड़ी हाई स्कूल के भवन के निर्माण के लिए अब तक कुल करीब ६००० रुपये व्यय हुए हैं। अभी तक सरकार ने इसके लिए कोई सहायता नहीं दी।

[आ] स्कूल भवन छात्रों की संख्या को देखते हुए अपर्याप्त है।

[इ] हाँ। इस पर आर्थिक स्थिति तथा आवश्यकता अनुसार विचार किया जावेगा।

[ई] राजस्थान सरकार के अधिकार में यह स्कूल आने के बाद जनता ने हाई स्कूल की माँग की और भवन की कमी को दूर करने के लिये आवश्यक भवन निर्माण करने का वचन दिया। जनता ने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। यदि जनता ने अपना वचन पूरा कर दिया तो सरकार भी सहायता देने के प्रश्न पर अवश्य विचार करेगी।

श्री जगतसिंह झाला—जनता ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो क्या बाकी रहा और कितनी सहायता जनता करेगी और कितनी सरकार करेगी ?

श्री भोलानाथ—हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट इस पर सोचेंगे।

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़)—क्या वहाँ के लोगों ने अपने वचन पूरे नहीं किये हैं, इसलिए सरकार उनको मदद नहीं देगी ?

श्री भोलानाथ—जितना वचन दिया है उसको पूरा करने के बाद सरकार मदद देगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३४०

पंचायत अधिनियम (संख्या २१, सन् १९५३) का प्रभावशील होना तथा उसमें सरकारी सहायता

श्री तेजमल बापना—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[क] पंचायत एक्ट नं० २१ सन् १९५३ कब से लागू किया गया है ?

[ख] क्या इसके नियम बन कर गजट में शाया हो चुके हैं ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो, क्यों नहीं और कब तक बनने की सम्भावना है ?

[श्री तेजमल बापना]

[ग] क्या यह सही है कि नियम नहीं बनने से ही अभी तक तहसील पंचायतों का निर्माण नहीं हुआ है ?

[घ] क्या यह सही है कि चीफ पंचायत ऑफिसर ने नए एक्ट के लागू हो जाने से सब निगरानियाँ सेशन कोर्ट मुताल्लिका में भेज दी हैं और वहाँ से भी अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण वे वापस लौटा दी गई हैं ?

[ङ] क्या यह सरकार को विदित है कि इससे जन-साधारण को कठिनाई व असुविधा हो रही है और यह कब तक जारी रहेगी ?

श्री रामकरण जोशी—[क] १ जनवरी, सन् १९५४ से।

[ख] नहीं, नियम सरकार के विचाराधीन हैं। आशा है कि वे शीघ्र ही स्वीकृत होंगे।

[ग] हाँ।

[घ] हाँ।

[ङ] तहसील पंचायतों का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र करवाया जावेगा। ज्योंही तहसील पंचायतें कार्यारम्भ कर देंगी, जन-साधारण को यह असुविधा नहीं रहेगी।

श्री तेजमल बापना--ये नियम जब अभी तक बने नहीं तो फिर उनको लागू उनके बनने से पहले ही क्यों किया गया ?

श्री रामकरण जोशी—नियम तो बन गये लेकिन उनकी स्क्रूटनी होने में देर लगी है।

श्री तेजमल बापना—क्या यह बात ध्यान में नहीं रखी गई कि इससे रिवीजनों और अपीलों में दिक्कत पेश आवेगी ?

श्री रामकरण जोशी—लॉ डिपार्टमेंट में इतना समय लग जावेगा, यह आशा नहीं थी और इसी लिये यह देर हुई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब ये कितने दिनों में लागू हो जावेंगे ?

श्री रामकरण जोशी—जल्दी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पिछले फोर्ट नाइट (fort night) तक तो हो जावेगा, क्या ऐसा समझा जावे ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३४१

श्री खेतसिंह ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३४२

सन् १९५०-५१ से आज तक मशीन तकावी पर दी गई रकम

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Agriculture be pleased to answer:—

(a) What is the total amount so far disbursed by the State Government at Machine Taccavi since 1950-51 to date ?

(b) What is the total of the number of persons districtwise to whom an amount of Rs. 1,000/- (one thousand) or above has been given ?

(c) Were any rules framed to govern the granting of such Taccavi ?

(d) Has the Government obtained any report on each case to satisfy itself that the amount given has been used for the purpose for which it was granted ?

(e) If, so in how many cases has the amount not been used for the purpose ?

(f) What action has the Government taken in the matter ?

(g) Has the Government received any amount towards re-payment of these loans ?

(h) If so, what is the total amount received so far ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)— (अ) सन् १९५०-५१ से अब तक मशीनों के लिए ३३,३१,०४३) रुपये तकावी-ऋण स्वीकृत किया गया है ।

(आ) एक हजार या इससे अधिक संख्या में जितने ऋण दिये गए उनकी जिला वार सूची सदन की मेज पर रखी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(इ) हाँ।

(ई) हाँ।

(उ) १८४ व्यक्तियों के सम्बन्ध में या तो सूचना अभी आई नहीं या जो आई है उससे यह मालूम होता है कि ऋण का उपयोग ठीक नहीं किया गया।

(ऊ) जिन्होंने ऋण का उपयोग ठीक नहीं किया है उनके ऋण दो माह के अन्दर वापिस करने की आज्ञा जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो ऋण अब दिए जाते हैं। उनमें तीन माह की अवधि दी जाती है कि इस अवधि के अन्दर-अन्दर मशीन खरीद लें, नहीं तो यह रुपया १० प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से वसूल कर लिया जावेगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ और कार्यवाही करने का सवाल सरकार के सामने विचाराधीन है।

(ए) हाँ।

(ऐ) अभी तक जो सूचना पहुँची है उसके अनुसार १,३१,७८२ रुपया जमा हो चुका है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये रूल्स कब तैयार किये गये थे और कब प्रकाशित किये गये थे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अगर आपका मतलब तीन माह के अन्दर मशीनें खरीदने वाले रूल्स से है तो ये रूल्स ३० सितम्बर, १९५३ को तैयार किये गए थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—'सी' के उत्तर में जिन रूल्स के बनाए जाने के बाबत उत्तर दिया गया है, मेरा मतलब उन रूल्स से है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जो पहले दिए गए थे लोन्स सन् ५०–५१ में उनसे है तो इसके लिए नोटिस देने पर उत्तर दे सकता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं यह जानना चाहता हूँ कि आया ये रूल्स सरकारी गजट में प्रकाशित हुए थे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसके लिए भी नोटिस चाहिये। पर ऐसा निश्चित तौर से बता सकता हूँ कि ये रूल्स जरूर बनाये गये थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही नहीं है कि ऐसे कोई नियम तैयार नहीं किये गये और ऐसे ही ऋण वितरण किए गये हैं?

Page No.8

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—किये हैं और उन्हीं के अनुसार यह तकावी वितरण की गई है। पहले के बारे में नहीं कह सकता पर इस वक्त रूल्स विद्यमान हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या इससे यह समझा जावे कि आज तक बगैर रूल्स के ही ३० मार्च के पहले तकावी दी जाती रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—तीस मार्च नहीं ३० सितम्बर से ये रूल्स हैं। पहले भी जो तकावी ऋण दिए जाते थे तो उसमें भी ये रूल्स तो निश्चित तौर से थे ही पर अब इससे भी और अधिक नियम लगाये गए हैं। आधा सरकार देगी और आधा उनको लगाना होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—रूल्स से मेरा तात्पर्य सभी ग्रेडेसन्श से है। तो क्या इस प्रकार के रूल्स तैयार किये गये थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उन पर ऑर्डिनरी तकावी के रूल्स लागू होते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये ऑर्डिनरी तकावी के रूल्स ऋण जारी करते समय भी क्या सरकार के ध्यान में थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ये तो ध्यान में थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तब फिर ऑर्डिनरी तकावी के रूल्स किस प्रकार लागू किये गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जो लागू किये गये, ध्यान में रख कर बनाये गये।

श्री तेजमल बापना—जिन लोगों को जिस मतलब के लिए तकावी दी गई है उन्होंने उस तकावी को उस मतलब के लिए काम में न लेकर दूसरे व्यापार में लगा दिया, तो क्या ऐसे आदमियों की सूचना सरकार को है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने इस बारे में कहा है कि कुछ आदमियों के नाम इस प्रकार के हैं, लेकिन ऐसे मामलों की छानबीन भी करनी आवश्यक है। इसमें सूचना के अनुसार शक करने की गुंजाइश जरूर हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है...

श्री अध्यक्ष—Order ! Shri Hanwant Singh.

प्रश्न संख्या ३४३

जैसलमेर सब डिवीज़न में माल नामक लाग की वसूली

श्री हनुवन्तसिंह—क्या राजस्वमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या जैसलमेर सब डिविज़न में अब भी माल नाम की लाग वसूली की जा रही है ?

(ख) क्या यह सच है कि यह लाग किन्हीं खास कौमों से ली जाती है ? यदि हाँ, तो वे कौन सी कौमें हैं, यह लाग इन्हीं लोगों से क्यों वसूल होती है ?

(ग) क्या यह सच है कि यह लाग भूतपूर्व जैसलमेर स्टेट के वक्त में १० या आठ साल के बाद इन कौमों पर डाली जाती थी।

(घ) क्या अब वही लाग सालों-साल वसूल की जाती है ? अगर की जाती है, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) यह लागत अब वसूल नहीं की जाती।

(ख) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) भूतपूर्व जैसलमेर स्टेटं के वक्त यह लागू थी। आठ-दस वर्ष पहले से यह लगाई जाती थी और किश्तों में वसूल की जाती थी।

(घ) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—Next, Shri Tejmal Bapna.

प्रश्न संख्या ३४४

भीलवाड़ा नगर में विद्यार्थियों के लिये होस्टल की व्यवस्था

श्री तेजमल बापना—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) भीलवाड़ा नगर में कितने स्कूल व कॉलेजेज़ हैं व विद्यार्थियों की कितनी संख्या है ?

(ख) क्या यह सही है कि मिडिल स्कूल व कॉलेज में आधे से अधिक विद्यार्थी बाहर गाँवों के हैं जिनके रहने की कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं है ?

[श्री तेजमल बापना]

(ग) क्या विद्यार्थियों द्वारा गत ५ वर्षों से होस्टल के लिए माँग की जा रही है ? यदि हाँ, तो फिर उसे पूरी नहीं करने का क्या कारण है ?

(घ) क्या यह उम्मीद की जाय कि आइन्दा वर्ष होस्टल बनवाने की योजना पूरी हो जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) एक कॉलेज व पाँच स्कूल हैं जिममें छात्रों की कुल संख्या २०६५ है।

(ख) यह बात सही है।

(ग) माँग की जा रही है, पर इसे पूरा करना अर्थाभव के कारण सम्भव नहीं है।

(घ) नहीं, अर्थाभाव के कारण।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट्।

प्रश्न संख्या ३४५

पंचायतों के द्वारा पाठशालाएँ खोली जाना; विशेषतया भीलवाड़ों में

श्री तेजमल बापना—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में गत वर्ष पंचायतों की मारफत कितनी प्रारम्भिक पाठशालाएँ खोली गई हैं, जिलेवार संख्या दी जाय ?

(ख) भीलवाड़ा जिले में ऐसी पाठशालाएँ कहाँ खोली गई हैं और वे कब से चालू हुई हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा तहसील की हमीरगढ़ व मंगरोप पंचायतों के अन्तर्गत क्रमशः आमली व पीपली की स्कूलों की सहायता (एड) ६००) अभी तक नहीं दी गई जब कि अगस्त में ही पाठशालाएँ खुल गई थीं ?

(घ) माली वर्ष करीब-करीब समाप्त होने पर भी मन्जूर शुदा ऐसी सहायता की रकमें पंचायतों को तत्काल नहीं दी जाने का क्या कारण है और क्या इस वर्ष यह रकम पंचायतों को मिल जायगी ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) ८० पाठशालायें ।

डिविजन उदयपुर

डिस्ट्रिक्ट उदयपुर ३८

,, भीलवाड़ा १६

,, चित्तौड़ २१

,, बांसवाड़ा ५

(ख) भीलवाड़ा जिले में जहाँ जहाँ पाठशालायें खोली गई हैं वे स्थान और उनके चालू होने का दिनांक निम्न हैं :—

तितौली	१५।८।५३
रामपुरा	,,
उपरेडा	,,
लाँविया बड़ी	,,
मेगरास	,,
ललास	,,
उभरी	,,
चिताम्बा	,,
पीपली	,,
सुटेपा	,,
जातिन्दी	,,
सरथला	,,
आमली	,,
उमाजने का हेड़ा	,,
मोहनपुरा	,,
कला सोस	,,

(ग) हाँ, सहायता की रकम अब तक नहीं चुकाई गई ।

(घ) हर पाठशाला को साहयता की रकम चुकाने के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक जानकारी जरूरी होने से रकम चुकाने में समय लगा । इस वर्ष के समाप्त होने तक पंचायतों को रकम मिल जाने की सम्भावना है ।

Page No.12

प्रश्न संख्या ३४६

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूँ सिंह बरकाना।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३४७

भीलवाड़ा जिले में गंगापुर और उसके साथ मध्यभारत से आने वाले गाँवों में माफी पूजनार्थ के बिल

रावत श्री शम्भूसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) भीलवाड़ा जिले में गंगापुर और उसके साथ मध्यभारत से आने वाले गाँवों में माफी पूजनार्थ के बिल एवज़ माफीदारों को रियासत ग्वालियर और मध्यभारत द्वारा किस-किस को क्या-क्या रकम दी जाती थी ?

(ख) क्या यह रकम अब नहीं मिल रही है यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसी रकम जो अब तक चढ़ी हुई है उसे दिलाने और भविष्य में उसके निरन्तर मिलती रहने की व्यवस्था करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) इस प्रकार की सूची सदन के समक्ष पेश की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(ख) हाँ।

श्री शम्भूसिंह—(ख) का स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि क्या सरकार ऐसी रकम जो अब तक चढ़ी हुई है उसे दिलाने और भविष्य में उसके निरन्तर मिलती रहने की व्यवस्था करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने हाँ में उत्तर दिया है न ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री शम्भूसिंह।

प्रश्न संख्या ३४८

उदयपुर डिवीज़न में जागीरदारों के माल हासिल की वसूली तहसील द्वारा

श्री शम्भूसिंह रावत—क्या मन्त्री राजस्व विभाग उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या उदयपुर डिवीज़न में जागीरदारों के माल हासिल की वसूली तहसील द्वारा होती है और जागीरदारों को रकम तहसील से ही मिलती है ?

(ख) यदि हाँ, तो फिर कतिपय जागीरों पर मुन्सरमात ऋण की वसूली के वास्ते रहने की क्या आवश्यकता है ?

(ग) क्या सरकार जागीरों को ऐसी मुन्सरमात से मुक्त कर देगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) गैर सरकारी कर्जे की समय पर अदायगी के लिए यह आवश्याक है।

(ख) कर्जदार जागीरदारों के ठिकाने पर सन् १९४९ के पहले से ही कोर्ट ऑफ वार्ड्स का इन्तजाम था और मुन्सरमात के उद्देश्य को देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिल्कुल ही गलत है।

(ग) सरकार की इन मामलों में यह नीति रही है कि कर्जे की अदायगी की माकूल किश्त मुकर्रर करने के बाद और जागीरदार द्वारा समय पर किश्तें अदा करते रहने के विश्वास दिलाने पर उसके ठिकाने को मुन्सरमात से वागुजार कर दिया जाता है।

श्री शम्भूसिंह—और सरकारी कर्जे की अदायगी के लिए कोर्ट मौजूद है (पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट) फिर मुन्शरमात ऋण की वसूली के वास्ते रहने की क्या आवश्यकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट तो मौजूद है पर ठिकाने को कोर्ट ऑफ वार्ड्स में लिया जाता है इसलिए यह जरूरी हो जाता है।

श्री शम्भूसिंह—तो इससे जागीरदार पर खर्चे का बार्डन (burden) पड़ता है। क्या इसको मुल्तवी करने का सरकार का इरादा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह तो आप सलाह दे रहे हैं, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पूछ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३४६

जोधपुर में गौशाला के मैदान नगरपालिका के आधीन तथा शिक्षा-विभाग द्वारा प्रदर्शनी में भाग

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जोधपुर में गौशाला के मैदान (जिसमें अभी उद्योग एवं कृषि प्रदर्शनी हुई थी) नगरपालिका के अधिकार में है अथवा शिक्षा विभाग के और कब से ?

(ख) शिक्षा विभाग ने इस गौशाला के मैदान को प्रदर्शिनी के संयोजक को किस शर्त पर किस तारीख से किस तारीख तक प्रदर्शिनी करने के लिए दिया था ?

(ग) क्या यह सच है कि प्रदर्शिनी के संयोजक ने इस गौशाला के मैदान से हजारों रुपये किराये के वसूल (पैदा) किये ? यदि हाँ तो शिक्षा विभाग को उसमें से कितना हिस्सा मिला ? अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं ?

(घ) इस प्रदर्शनी में शिक्षा विभाग के किस-किस माँप के कितने स्टॉल कितने-कितने रुपयों में किराये पर थे ?

(ङ) स्टालों में बिजली आदि का क्या-क्या खर्च हुआ ?

श्री भोलानाथ—(क) गौशाला का मैदान शिक्षा विभाग द्वारा मारवाड़ स्कूल्स ऐथेलेटिक एसोसिएशन जोधपुर के कब्जे में है ।

(ख) इस गौशाला के मैदान को प्रदर्शिनी के लिए ता० २०-१-५४ से लेकर जब तक प्रदर्शिनी रहेगी तब तक के लिये दिया गया । यह मैदान इस शर्त पर दिया गया था कि यदि इसमें प्रदर्शिनी के आवश्यकता अनुसार कोई इमारत या खड्डा आदि खोदा जावे तो प्रदर्शनी के समाप्त होने पर उसको पहले के समान ठीक कर दिया जावे ।

(ग) इसका कोए इस विभाग के पास नहीं है । अलबत्ता इस रुपये में से शिक्षा विभाग को कुछ नहीं मिला, क्योंकि ऐसी कोई शर्त नहीं थी ।

(घ) प्रदर्शनी में शिक्षा विभाग ने दो स्टॉल माह फरवरी में खोले: एक शिक्षा सम्बन्धी हस्त-कौशल का व दूसरा अन्न पूर्णा का जिसका कोई किराया नहीं दिया गया ।

(ङ) बिजली का बिल अभी तक नहीं आया ।

श्री सन्तोषसिंह—स्टालों का कितना रुपया दिया ?

श्री भोलानाथ—कोई रुपया नहीं दिया।

श्री सन्तोषसिंह कछवाह—क्या सरकार अपनी स्टालों का किराया देगी ?

श्री भोलानाथ—नहीं देगी, दोनों स्टालों का।

श्री अध्यक्ष— श्री तेजमल बापना।

प्रश्न संख्या ३५१

उदयपुर डिवीज़न और चित्तौड़गढ़ में खर्चा बन्दोबस्त लगाने का आधार

श्री शम्भूसिंह—क्या मन्त्री राजस्व विभाग उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) डिवीज़न उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में जो खर्चा बन्दोबस्त लगाया गया है वह किस हिसाब से और किस आधार पर लगाया गया है ?

(ख) क्या खर्चा बन्दोबस्त लगाने के कोई नियम थे और यदि थे, तो वे क्या थे ? क्या ऐसे नियम प्रकाशित हुए हैं अथवा सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस प्रश्न का उत्तर विस्तृत होने के कारण सदन की मेज पर रखा गया है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

प्रश्न संख्या ३५२

अराई तथा शील के मवेशियों के चरागाहों में किसानों द्वारा बिना आज्ञा के काश्त करना

श्री चाँदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या शिक्षा मन्त्री महोदय इस बात से परिचित हैं कि अराई और शील के मवेशियों के लिए चराने के लिए जो चराहगाह हैं उनमें कुछ किसान बिना आज्ञा के काश्त कर रहे हैं जिससे किसानों में बड़ा असन्तोष है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास पहुँची नहीं है। लेकिन फिर भी जिलाधीश को इसकी जाँच के लिए कह दिया गया है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सच है कि गत साल में किसानों ने काश्त कर ली थी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--मैंने अर्ज किया कि सरकार के सामने ऐसी कोई शिकायत पेश नहीं हुई है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह गलत है कि गाँव वालों ने रेवेन्यू बोर्ड, कलेक्टर और माननीय मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र पेश किया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे याद नहीं आता।

प्रश्न संख्या ३५३

किशनगढ़ सब डिवीज़न के नम्बरदारों की नियुक्ति

श्री चाँदमल मेहता--क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या किशनगढ़ सब डिवीज़न में नम्बरदारों की नियुक्ति की जा चुकी है ?

(ख) नम्बरदारों की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है और किस आधार पर उनकी नियुक्ति होती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) हाँ।

(ख) इनकी नियुक्ति करने का अधिकार तहसीलदार और एस. डी. ओ. दोनों को है। यह नियुक्तियाँ बन्दोबस्त के रूल्स, जयपुर के अन्तर्गत की जाती हैं।

श्री चाँदमल मेहता—मेरी बात का जवाब नहीं मिला कि क्या नम्बरदारों की नियुक्तियाँ हो चुकी हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने कहा कि हाँ।

श्री चाँदमल मेहता--उनकी जो नियुक्तियाँ की गई हैं, वे कितने समय के लिए हुई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस प्रश्न के लिए नोटिस चाहिए।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय को यह जानकारी है कि एक तहसीलदार के बदलने पर नम्बरदारों में भी तब्दीलियाँ हो जाती हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं, मुझे यह जानकारी नहीं है।

Page No.17

श्री कानसिंह—क्या मन्त्री महोदय यह बतलायेंगे कि इस बारे में तमाम राजस्थान के लिए नियम कब तक बनाये जायेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह विचाराधीन है। अलग-अलग जगहों में अलग-अलग सिस्टम चले आ रहे हैं। इनमें परिवर्तन करने में कई बातें खयाल में रखी जाती हैं।

श्री चाँदमल मेहता—जो नम्बरदार नियुक्त किये गये हैं क्या उनकी सूची गजट में प्रकाशित कर दी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह गजट में कभी प्रकाशित होती ही नहीं है।

प्रश्न संख्या ३५४

तहसील मेड़ता के लाम्पोलाई स्कूल में माहजनी के अध्यापक की माँग

श्री भोपालसिंह वि० सं० २०—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या तहसील मेड़ता के गाँव लाम्पोलाई की स्कूल में लड़के ज्यादा हैं और मास्टर एक ही है ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में है कि गाँव वाले महाजनी मास्टर की माँग कर रहे हैं ?

(ग) यदि हाँ, तो सरकार वहाँ दूसरे महाजनी लिखे-पढ़े मास्टर की कब तक नियुक्ती कर देगी ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) तहसील मेड़ता के गाँव लाम्पोलाई के स्कूल में लड़कों की संख्या अधिक है, और मास्टर एक ही है। और अध्यापक भेजने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

प्रश्न संख्या ३५५

अप्रैल, १९५३ से जनवरी, १९५४ तक एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेन्ज द्वारा राजकीय सेवाओं के लिये हरिजनों के नाम रजिस्टर होना

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या श्रम मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री]

(क) जयपुर एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा अप्रैल, सन् १६५३ से जनवरी, सन् १६५४ तक प्रत्येक मास में कितने व्यक्ति सर्विसेज के लिए रजिस्टर किये गए ?

(ख) इनमें से कितने सवर्ण और कितने हरिजन प्रत्येक मास में काम पर लगाए गए ?

(ग) जो व्यक्ति हरिजन या परिगणित जातियों में से काम पर लगाए गए उन सब की तादाद अप्रैल, ५३ से जनवरी, ५४ तक कितनी हुई ?

(घ) इन हरिजनों में से कितने व्यक्ति क्लार्क, चपरासी, चौकीदार एवं साइकिल सवार बनाए गए ? विगत बतलाने की कृपा करें ?

(ङ) क्या सरकारी विभाग वालों ने हरिजन केन्डीडेट्स को सवर्ण केन्डीडेट्स के मुकाबले में सिलेक्ट करने में तत्परता बतलाई ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) और (ख)—

रजिस्ट्रेशन की संख्या			नौकरी पर लगाये गये व्यक्तियों की संख्या	
			परिगणित जाति के व्यक्ति	अन्य
अप्रैल	१६५३	६१४	...	५३
मई	,,	५२५	...	२१
जून	,,	७६६	१	१२
जुलाई	,,	६४६	१	६
अगस्त	,,	३७१	...	१२
सितम्बर	,,	५४१	...	३१
अक्टूबर	,,	८००	...	३५
नवम्बर	,,	४८६	...	३१
दिसम्बर	,,	६२७	...	२१
जनवरी	,,	४३८	३	५८
योग	,,	६१२०	५	३०३

(ग) ५ व्यक्ति ।

(घ) एक क्लार्क, ३ चपरासी व एक स्वीपर ।

(ङ) हाँ ।

प्रश्न संख्या ३५६

भूमि-हीन अथवा कम भूमि वाले किसानों को भूमि न देकर भूमि प्राप्त किसानों को देना

श्री चाँदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(क) क्या मन्त्री महोदय इस बात से परिचित हैं कि जिन किसानों के पास जमीन नहीं है या कम है उनको जमीन नहीं मिलती है और अधिकारियों द्वारा उन किसानों को नई जमीन की पानड़ियाँ दे दी जाती हैं, जिनके पास पहले से पर्याप्त जमीन मौजूद है ?

(ख) यदि हाँ तो क्या भूमिहीन किसानों को जमीन देने के लिए कोई आदेश अधिकारियों को दिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—सरकारी नीति यह है कि पड़त भूमि भूमिहीन किसानों में बाँटी जायगी। इस बारे में अभी हाल में ही नियम प्रकाशित किये गए हैं, उसकी प्रति सदन के समक्ष रखी गई है, जिसके अनुसार पड़त भूमि आसपास के इलाकों के किसानों को बाँट दी जाय।

(नियमों की प्रति कृपया विधान सभा पुस्तकालय में देखिये)

श्री चाँदमल मेहता—किसानों को काश्त के लिये ज्यादा से ज्यादा कितनी भूमि दी जाती है। इसके संबन्ध में कोई नियम है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—१५ बीघा।

श्री चाँदमल मेहता—जिन किसानों के पास १५ बीघा से ज्यादा जमीन हैं उनकी जमीन वापिस लेकर क्या भूमिहीन किसानों में बाँटी जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह नई जमीन देने के बारे में प्रश्न है। जिनके पास ज्यादा हैं उनके पास से जमीन वापिस लेने के बारे में प्रश्न नहीं हैं।

श्री संतोषसिंह—यह जो १५ बीघा रखा गया है वह किस आधार पर है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—लोगों में इस वक्त जमीन के लिए प्रेशर (pressure ज्यादा है, जमीन की माँग ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वह मिले इस बात को खास तौर से दृष्टि में रखते हुये यह किया गया है।

श्री शम्भूसिंह—१५ बीघा इरिगेटेड (irrigated) या अनइरिगेटेड ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अनइरिगेटेड (unirrigated) ।

प्रश्न संख्या ३७७

किशनगढ़ तहसील में लगान नगद में लेने के अतिरिक्त पटवार सेल और मलवा के नाम से भी लागें

श्री चाँदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(क) क्या मन्त्री महोदय इस बात से परिचित हैं कि किशनगढ़ तहसील में लगान नकद में लेने के अलावा पटवार सेस और मलवा के नाम से भी लागें वसूल की जा रही हैं ?

(ख) क्या इस प्रकार की लागें इस तहसील में लगी हुई दीगर तहसीलें सरवाड़ और अराई में भी वसूल की जाती हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(राजस्व मन्त्री) (क) हाँ। इस तहसील में मलवा ६ पाई रुपया और पटवार सेस एक आना फी रुपया नये बन्दोबस्त के अनुसार वसूल की जाती है।

(ख) नहीं। अलबत्ता तहसील सरवाड़ में जो जयपुर के ६ गाँव मुन्तकिल हुए हैं उनमें भूतपूर्व जयपुर स्टेट के नियमानुसार पटवार और मलवा सेस वसूल की जाती है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार की नीति लागों को वापिस लागू करने की है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी नहीं।

श्री चाँदमल मेहता—जब इनकी पड़ोसी तहसीलों में अराई और सरवाड़ में लागें नहीं ली जाती हैं, तो फिर किशनगढ़ और रूपनगर तहसीलों में ही क्यों ली जाती हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जयपुर सेटलमेंट रूल्स के अन्दर वहाँ पर बन्दोबस्त किया गया है और उसके अनुसार वहाँ मलवा और पटवार सेस लगाया गया है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय इस बात से परिचित हैं कि मलवा नम्बरदारों को दिया जाता है और किशनगढ़ और रूपनगर में नम्बरदार अभी तक मुकर्रर नहीं हुए हैं उस हालत में भी यह लागें सरकार ने वसूल की हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—नम्बरदारों को नहीं मिला है तो उनको दे दिया जायगा। और पटवार सेस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जायगा।

श्री चाँदमल मेहता—पटवार सेस की तकमील में जब कि किशनगढ़ और रूपनगर को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मुक्त रखा है ऐसी हालत में भी वसूल किया जा रहा है ?

Page No.21

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अब बनने वाले हैं तो उनका हिस्सा उनको दे दिया जायगा।

श्री चाँदमल मेहता—अगर किशनगढ़ और रूपनगर तहसीलों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मुक्त रखा है तो क्या उस हालत में यह रकम जमा सरकार होगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अभी तक तो सरकार में ही होगी।

श्री चाँदमल मेहता—जब इस रकम का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में उपयोग नहीं होगा तो सरकार क्यों वसूल कर रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आखिर बनेंगे जरूर उस वक्त तो उनको दे दिया जायगा।

श्री कानसिंह—क्या सारे राजस्थान में यह रकम वसूल की जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कहाँ कहाँ कितना कितना वसूल किया जायगा यह फाइनली डिसाइड नहीं किया गया है।

श्री मानसिंह महार—किशनगढ़ में ही क्यों ऐसा किया जाता है। राजस्थान भर में ही सरकार की नीति उसके लिए रुपया वसूल करने की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वहाँ पर बन्दोबस्त फॉर्मर जयपुर स्टेट सेटलमेंट रूल्स के अन्दर किया गया है और उसमें यह सेस वेलिड (valid) माना गया है।

श्री चाँदमल महता—क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आधीनता से उन्हें मुक्त रखा जाय तो भी उनसे यह रकम वसूल की जायगी ?

श्री मोहमलाल सुखाड़िया—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रश्न इससे अलग है। जो सेटलमेंट किया गया है वह इसके तांबे किया गया है।

श्री शम्भूसिंह—क्या इस सेस के वसूल होने में इन्डिस्क्रिमिनेशन नहीं आता ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

प्रश्न संख्या ३५८

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३५६

तहसील मेड़ता के ५०० की आबादी के ऐसे ग्राम जहाँ स्कूलें नहीं हैं

श्री भोपालसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) तहसील मेड़ता में ऐसे कितने गाँव हैं जहाँ ५०० की जनसंख्या में स्कूल नहीं हैं ?

(ख) ऐसे कितने गाँव हैं जहाँ ढाणी होते हुए भी स्कूल हैं या ५०० की आबादी से कम हैं मगर वहाँ भी स्कूल हैं ?

(ग) ऐसी कितनी स्कूलें हैं जिनके लिए बिल्डिंग नहीं हैं ?

(घ) अगर गाँव वाले चन्दा कर स्कूल भवन बनायें तो क्या १/२ सहायता सरकार से दी जाने की योजना है ?

(ङ) क्या इसके साथ की लिस्ट के मुताबिक (Appendix 'A') १/२ सहायता स्कूल भवन बनाने के निमित गाँव वालों को दी जाकर गाँवों में स्कूल भवन निर्माण करने की योजना को कार्यान्वित करने की सरकार कृपा करेगी ?

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

(च) क्या यह सरकार के ध्यान में है कि इस साल साख की हालत अच्छी है और सरकार से सहायता मिलने पर गाँव वाले चन्दा इक्ट्ठा कर सकते हैं ?

श्री भोलानाथ—(शिक्षा मन्त्री) (क) तहसील मेड़ता में ५०० की जनसंख्या वाले ६२ गाँव ऐसे हैं जहाँ स्कूल नहीं हैं ।

(ख) मेड़ता तहसील में ५०० से कम आबादी वाले गाँव तथा ढाणी जहाँ स्कूल खुले हुए हैं उनकी संख्या तीन है ।

(ग) मेड़ता तहसील में ऐसे ७ स्कूल हैं जिनके लिए बिल्डिंग नहीं हैं ।

(घ) लोकल डेवलपमेंट फन्ड से इस शर्त पर सम्बन्धित कलेक्टरों से प्राप्त की जा सकती है ।

(ङ) [घ] के संबन्ध में दिये गये उत्तर के अनुसार सम्बन्धित कलेक्टरों से प्राप्त करनी चाहिए ।

[च] [घ] और [ङ] के प्रश्न के उत्तर में आ जाता है ।

श्री मानसिंह महार—क्या स्कूल की बिल्डिंग नहीं है तो लड़कों को जंगल में पढ़ाया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री भोपालसिंह—क्या वह सहायता दी जायगी या नहीं ?

श्री भोलानाथ—५० प्रतिशत का जो तरीका है वहाँ से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा है।

श्री भोपालसिंह—यदि वह ५० प्रतिशत इकट्ठा करेंगे तो शिक्षा विभाग उस प्रश्न पर विचार करेगा ?

श्री भोलानाथ—वह लोकल डेवलपमेंट फन्ड से पैसा ले सकते हैं।

श्री भोपालसिंह—क्या लोकल डेवलपमेंट फन्ड ही है, दूसरा कोई फन्ड नहीं है ? इस तरह का यह एक ही फन्ड है ?

श्री भोलानाथ—उसमें तो सड़कें, स्कूलें वगैरह सभी हैं। आप स्कूल के लिए ज्यादा महत्व देते हैं तो स्कूल के लिए सहायता दी जाती है।

श्री भोपालसिंह—स्कूलों का सवाल था इसलिए आपसे पूछा गया है। दूसरा सवाल दूसरे मिनिस्टरों से पूछूँगा।

श्री भोलानाथ—मैंने आपको रास्ता बतला दिया है, आपके चलने के लिए।

प्रश्न संख्या ३६०

रतनगढ़ वार्ड नं० २ के पश्चिम की ओर रेलवे लाइन के निकट की ज़मीन का एक ही व्यक्ति को पट्टा

श्री माधवप्रसाद एन० पंडित—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) रतनगढ़ वार्ड नं० २ के पश्चिम की तरफ रेल्वे लाइन के पास आबाद घरों को उक्त ज़मीनों के पट्टे न दिये जाकर क्या किसी एक ही व्यक्ति को ज़मीन के व्यवसाय हेतु अनियमित पट्टे बनाकर दिये गये हैं ?

(२) क्या उक्त ज़मीनों का मौका राजस्व मन्त्री ने स्वयं देखा है ? अगर देखा है तो उसके लिये सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

[श्री माधव प्रसाद एन० पंडित]

(३) क्या यह सच है कि उपरोक्त ज़मीनों का किराया २८ साल से सरकार को दिये जाने पर भी उन किरायेदारों को पट्टा न दिया जाकर ज़मीनों का व्यापार करने वाले एक ही व्यक्ति को दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(१) रतनगढ़ के वार्ड नं० २ में रेलवे लाइन के पास के खसरा नं० ३८१,३८२ की ८॥।) १ (८ बीघा १६ बिस्वा) आराज़ी का पट्टा सम्वत् १६३८ का चुन्नीलाल गुलाबचन्द वगैरह से नौरंगराम लादूराम ने सन् १६४३ में खरीद किया। अभी हाल ही किसी अपील के सिलसिले में रेवन्यू बोर्ड के फैसले के अनुसार तीन पाई फी गज़ के हिसाब से पट्टा फीस वसूल की जाकर इस आराज़ी का पट्टा नौरगराम लादूराम सर्राफ के नाम किया गया है। खसरा नं० ३८३ का पट्टा सम्वत् १६२६ चेत बदी ३ तादादी ३७३५६) रु० दर गज गनेड़ियावालों के नाम हैं। इसके अलावा सन् १६४४ में नौरंगराम सर्राफ ने निजी तौर से कुछ और ज़मीन खरीदली जिसमें ७ गुवाड़ियाँ स्थित हैं। इसलिए इस आराज़ी पर आबाद घर वालों के नाम पट्टा करने का सवाल पैदा नहीं होता।

(२) हाँ।

(३) क्योंकि यह आराज़ी राजस्थान बनने के पहले से ही पट्टा शुदा है। किरायेदारों के नाम पट्टे करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

प्रश्न संख्या ३६१

कृषि विभाग, कपासन द्वारा बड़ी सादड़ी तहसील में बिनौले के ऐसे बीजों का वितरण जो उगे नहीं

श्री जगतसिंह झाला—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या यह सही है, कि जो बिनौले (कपास के बीज) कृषि विभाग, कपासन, ने बड़ी सादड़ी तहसील में बीज के लिये दिये थे वे किसी के भी नहीं उगे ?

(आ) क्या उस बीज के बरसात में भींगे हुए होने व खराब हो जाने के कारण नहीं उगने का अन्देशा उस विभाग को पहले से ही था ? यदि हाँ, तो फिर यह बीज क्यों दिया गया ?

[इ] क्या सरकार इस तहसील की जनता में कृषि विभाग के प्रति फैले हुए असन्तोष को दूर करने के लिये जिन लोगों ने बिनौले खरीदे हैं उन्हें कीमत वापिस लौटाने को तैयार है ?

[ई] यदि हाँ, तो कब तक, और नहीं तो, क्यों नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया [राजस्व मन्त्री]—[अ] यह सत्य नहीं है कि बड़ी सादड़ी में बिनौले के बीज बिल्कुल नहीं उगे।

[आ] बीज वर्षा के पानी से भींगे नहीं थे।

[इ] इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई।

[ई] प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या वे बीज जो कि बिल्कुल ही नहीं उगे वे सरकार द्वारा दिये गये थे ?

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! Next question. महाराज कुमार श्री बृजेन्द्रपाल !

प्रश्न संख्या ३६२

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६३

नागौर जिले की तहसीलों की पंचायतों को उन्नति कार्य के लिये धन राशि

श्री भोपालसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[क] नागौर जिले की कौन-कौन सी तहसीलों की पंचायतों को तरक्कियात खर्च के लिये कितनी-कितनी धन-राशि १९५३ में दी गई थी ?

[ख] इसमें से कितनी रकम मेड़ता तहसील की पंचायतों को दी गई ?

[ग] यदि नहीं दी गई, तो क्यों नहीं ?

श्री रामकरण जोशी [स्वायत्त शासन मन्त्री]—

[१] तहसील डीडवाना	७५,६००) रु०
[२] तहसील नागौर	१८,७००) रु०
[३] परबतसर तहसील	५६,८५०) रु०
[४] मेड़ता तहसील	२,०००) रु०
	कुल १,५३,१५०) रु०

[श्री रामकरण जोशी]

[ख] मेड़ता तहसील की पंचायत को २,०००) रु० दिये गये हैं। इस वर्ष विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने से प्राथमिकता अकालग्रस्त स्थानों को दी थी। अतः मेड़ता तहसील की पंचायतों को उक्त वर्ष में अधिक सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा सकी। आगामी वर्ष में इस तहसील के कार्यों के लिये समुचित रुपया दिया जायगा।

[ग] प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री भोपालसिंह—मेड़ता तहसील की पंचायतों को इतना कम पैसा देने का क्या कारण है?

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूँ आपने मेरे जवाब पर ध्यान नहीं दिया। इसमें कारण बताया गया है।

श्री मानसिंह महार—आप लाउड स्पीकर के अन्दर मुँह रखकर बोलते हैं इसलिये सुनाई नहीं देता।

प्रश्न संख्या ३६४

श्री अध्यक्ष—महाराज कुमार श्री बृजेन्द्रपाल।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६५

परबतसर तहसील में मियापुर आदि जागीरदारों के गाँवों में किसानों के पास भूमि नहीं किन्तु जागीरदारों द्वारा अड़ावें

श्री चाँदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या मन्त्री महोदय इस बात से परिचित हैं कि परबतसर तहसील में मियापुर आदि जागीरदारों के गाँवों में किसानों के पास काश्त के लिये ज़मीन नहीं है और बहुत बड़ी तादाद में जागीरदारों ने ज़मीनों में अड़ावें रख छोड़े हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया [राजस्व मन्त्री]—जागीरदारों व माफीदारों के पास जागीर, माफी की ज़मीन अधिक है और काश्तकारों के पास कम है, परन्तु ऐसा कोई काश्तकार नहीं जिसे हाँसिल देने पर काश्त के लिए ज़मीन न मिली हो। ज़मीन की पैदावार कायम रखने के लिए जोधपुर डिवीज़न में 'अड़ावे' रखने की प्रथा है। इसी प्रथा के अनुसार मियापुर के निवासी भी ज़मीन को अड़ावे रखते हैं। ज़मीन फालतू पड़ता नहीं रहती।

श्री चाँदमल मेहता—क्या आप इस बात से परिचित हैं कि काश्तकारों के पास जमीन न होने पर भी जागीरदारों के अड़ावे काश्त की ज़मीन में लगे हुए हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस बारे में जाँच की जा सकती हैं, यदि आप निश्चित तौर पर नाम बतावें कि किन लोगों के पास ज़मीन नहीं है ।

श्री चाँदमल मेहता—एक्स-सर्विस मेन के पास, जिनको ज़मीन देने का हुक्म था, जमीन नहीं है और कई बार दरख्वास्तें देने पर भी उनको ज़मीन नहीं मिली ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ज़मीन की माँग जिन्होंने की उनको जमीन दी गई है और जहाँ तक ख्याल है सब के पास ज़मीन है । फिर भी जानकारी की जा सकती है ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सम्बन्धित कलेक्टर को आज्ञा प्रदान करेंगे कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, वे अगर ज़मीन माँगे तो उनको ज़मीन दी जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने अर्ज किया कि निश्चित तौर से ज़मीन जिनके पास नहीं है वे अगर माँग करेंगे तो ज़मीन उनको दी जायगी ।

प्रश्न संख्या ३६६

[श्री कँवरलाल जेलिया की अनुपस्थिति में श्री बृजसुन्दर शर्मा ने प्रश्न पूछा]

कोटा डिवीज़न में कुछ तहसीलों को तोड़ने की योजना

प्रश्न—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[क] क्या राजस्थान सरकार कोटा डिवीज़न में कुछ तहसीलों को तोड़ने का विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो वे कौन-कौन सी तहसीलें हैं ?

[ख] क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जनता की विचार धारा जानने का प्रयास किया है ? यदि हाँ, तो क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया [राजस्व मन्त्री]--[क] कोटा डिवीज़न की तहसीलों को तोड़ने अथवा कमी करने का कोई प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं है ।

[ख] यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

प्रश्न संख्या ३६७

शिक्षा की वर्तमान प्रणाली की त्रुटियों को सुधारने की शासकीय योजनाएँ ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—Will the Minister for Education be pleased to state:—

[श्री विशम्भरनाथ जोशी]

(a) What steps have been taken so far to remedy the defects of the present system of education ?

(b) Will he further enumerate the measures already taken to give a vocational turn to the purely bookish education that is given in the State schools at present ?

(c) Is the Minister satisfied with the steps so far taken for reforming the present system of education ?

(d) Will the Minister please state if he is prepared to set up a Committee of suitable official and non-official members including members of this House for preparing a comprehensive report on the reorganisation of the present system of education after a thorough and detailed investigation ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—भारत सरकार ने इसके लिये एक सेकन्डरी एज्युकेशन कमीशन बैठाया है, जिसने अपनी परपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट को इम्लीमेन्ट (implement) करने का विचार किया जा रहा है।

[ब] और [स] का जवाब [अ] में आ गया है।

[द] इम्पलीमेन्टेशन के बाद विचार किया जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—भारत सरकार के अलावा राजस्थान सरकार ने भी क्या कुछ किया है, क्या इस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! Next.

प्रश्न संख्या ३६८

श्री अध्यक्ष—श्री मानसिंह (वि० सं० ३६८)।

[प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित]

प्रश्न संख्या ३६६ तथा ३७०

श्री अध्यक्ष—श्री कँवरलाल जेलिया।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३७१

सन् १९५१ से अब तक छोटीसादड़ी मे तकावी की रकम

श्री जयचन्द मोहिल—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[क] छोटी सादड़ी में सन् ५१ से अब तक कितना तकावी ऋण दिया गया ?

[ख] एक हज़ार या इससे ज्यादा की रकम कितने आदमियों को दी गई और वह संख्या में कितनी रकम होती है ?

[ग] छोटी-छोटी रकमें कितने व्यक्तियों को दी गई और वह संख्या में कितनी होती हैं ?

[घ] छोटी सादड़ी तहसील की कुल जनसंख्या क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—[क] छोटी सादड़ी में कोई तकावी ऋण नहीं दिया गया।

[ख] प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[ग] प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[घ] ३६७७२।

प्रश्न संख्या ३७२

चित्तौड़गढ़ जिले में सन् १९५१ से अब तक दलित-समाज के व्यक्तियों को दी गई भूमि

श्री जयचन्द मौहिल—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[क] चित्तौड़गढ़ जिले में सन् ५१ से अब तक कितनी भूमि दलित समाज के व्यक्तियों को दी गई ?

[ख] यह भूमि किस-किस तहसील में कितनी-कितनी तथा दलित समाज की किस किस जातियां के व्यक्तियां को दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया [राजस्व मन्त्री]-- चित्तौड़गढ़ जिले में सन् ५१ से अब तक जो भूमि दलितों को दी गई, उसकी तहसील वाइज़ सूची इस प्रकार है :—

तहसील	रकबा	व्यक्तियों की संख्या
१. राश्मी	४३ बीघा	६ व्यक्ति
२. बेगूँ	३८७ बीघा	आरज़ी तौर पर दी गई है ।
३. निम्बाहेड़ा	८७ बीघा	६ व्यक्ति
४. कनेरा	६६ बीघा	८ व्यक्ति
५. भदेसर	३८ बीघा	६ व्यक्ति
६. डूंगला	५ बीघा	१ व्यक्ति
	५७६ बीघा	

जातिवार आँकड़े प्राप्त नहीं हैं ।

प्रश्न संख्या ३७३

भरतपुर जिले के खाम रकबा को सरकार द्वारा नीलाम किया जाना

श्री तेजपाल--क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[क] भरतपुर जिले में जो खाम रकबा है क्या उनको सरकार अपनी ओर से बोली पर नीलाम करने की आज्ञा प्रदान कर चुकी है ?

[ख] यदि कर चुकी है, तो कब से ?

[ग] जिन काश्तकारों का उस खाम रकबे पर अब तक अधिकार था उसके नीलाम होने पर सरकार उसके प्रति क्या व्यवहार करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया [राजस्व मन्त्री]--[क] भरतपुर सरकार के जमाने से जो मिसलें नीलाम की चल रही थी उसके सिवाय कोई आज्ञा खाम रकबे के नीलाम की नहीं दी गई है ।

[ख] यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

[ग] हाँ ।

[घ] जिन पुरानी मिसलों पर कार्यवाही नीलाम हुई या हो रही है उनमें हक मिल्कियत नीलाम किया गया है, जिनका हक़्क़ काश्त पर कोई असर नहीं पड़ता ।

प्रश्न संख्या ३७४

महाराजाज़ कॉलेज होस्टल, जयपुर, में स्थान की अत्यधिक कमी के निवारणार्थ कार्य

श्री विशम्भरनाथ जोशी—Will the Minister for Education be pleased to state:—

(a) What action is proposed to be taken in the near future for removing the acute paucity of hostel accommodation of the Maharaja's College Hostel, Jaipur ?

(b) Will the Minister please give the total number of students on the rolls of this college in the current year, and will he further state the total number of rooms in the one and only hostel attached to this College ?

(c) Will the Government consider the advisability of constructing at least a couple of hostels with a total accommodation for not less than two hundred students for the above mentioned College ?

(d) If not, will he please take necessary measures to provide hostel accommodation for the Maharaja's College students by requisitioning a couple of suitable buildings for the purpose ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(a) The Government is considering the question of asking the Central Government for loan to build hostels to be attached to the educational institutions particularly Colleges.

(b) The number of students is about 3,000 and the number of rooms is :-

(i) Double seated...7

(ii) Single-seated . 51

(c) Yes.

(d) But this may be done if absolutely necessary. It is normally not proposed to do so since no such big buildings are available at reasonable cost and healthy surroundings.

श्री विशम्भरनाथ जोशी—Is the accommodation in the Hostel not grossly inadequate in view of the number of students ?

श्री भोलानाथ—Yes.

Page No.32

प्रश्न संख्या ३७५

खाम रकबा ऐसे ही व्यक्तियों को देना चाहिए जिनके पास रकबा नहीं

श्री तेजपाल—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार के ऐसे नियम हैं कि खाम रकबा ऐसे आदमियों को ही देना चाहिये जिनके पास कोई रकबा नहीं ?

(ख) यदि हाँ, तो फिर क्या वजह है कि वह रकबा ऐसे व्यक्तियों को न मिल कर अधिकतर ऐसे ही व्यक्तियों के पास है, जिनके पास कि और काफी रकबा पहले से मौजूद है ?

(ग) क्या सरकार इस बात पर निर्णय करती हुई आगे का ध्यान रखेगी कि खाम रकबा उन्हीं व्यक्तियों को दिया जावे, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) इस बारे में नये नियम प्रकाशित किये गये हैं जिनके अन्तर्गत भूमिहीन किसानों को भूमि-वितरण के समय प्राथमिकता दिये जाने के आदेश दिये गये हैं ।

(ख) अगर ऐसे उदाहरण दिये जावें तो जाँच की जायगी ।

(ग) जब इस बारे में नियम प्रकाशित कर दिये गये हैं तो कोई कारण नहीं कि भूमि अनाधिकारियों को दी जावे ।

श्री तेजपाल—क्या सरकार ऐसी जाँच करेगी कि जिनके पास ज़मीन है उनको भी दी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसी मिसाल दी जायगी तो अवश्य जाँच की जायगी ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ज़मीन किन-किन को दी जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पहले उस ज़मीन के आस-पास के गाँव वालों को दी जाती है, फिर उस जिले के निवासियों को और फिर डिवीज़न व राजस्थान के निवासियों को ।

प्रश्न संख्या ३७६

श्री अध्यक्ष—श्री धर्मपाल पंवार ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

अब ८ मार्च, १९५४, का प्रश्न संख्या ९ लिया जाता है । श्री..............

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष--Now we come to the business of the day.

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री सचिव (श्री मनसाराम पुरोहित)--Sir, under Rule 193 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly, I have to report that I have received a petition relating to the Bill to provide for the levy of a general tax on the sale of goods in Rajasthan which was introduced in the Assembly on the 11th March, 1954, and I lay it on the table.

जन-लेखा तथा प्राक्कलन समितियों के लिये नियोजन

श्री अध्यक्ष--I have to inform the Hon'ble Members that the following candidates have been duly nominated for elections to the Public Accounts Committee and the Estimates Committee :--

जन-लेखा समिति

Name.	Division No.
1. Shri Hari Krishna Vyas	160.
2. Shri Santosh Singh Kachhawaha	136.
3. Shri Bhauron Singh.	16.
4. Shri Himmat Singh.	61.
5. Shri Nathu Ram Mirdha	113.
6. Shri Dwarka Das Purohit.	62.
7. Shri Sri Das Goel.	142.
8. Shri Hazari Lal Sharma.	59.
9. Shri Kapil Deo Agrawal.	71.
10. Shri Brij Sunder Sharma.	118.
11. Shri Durlabh Singh.	40.
12. Shri Jayendra Singh.	68.
13. Shri Sajjan Singh.	132

प्राक्कलन समिति

1. Shri Hari Krishna Vyas.	160.
2. Shri Santosh Singh Kachhawaha,	136.
3. Shri Bhairon Singh.	16.

[श्री अध्यक्ष]

4.	Shri Gopi Lal Yadav.	47.
5.	Shri Tan Singh.	148.
6,	Shri Abani Kumar Mookerji.	1.
7.	Shri Vedpal Tyagi.	157.
8.	Shri Jawan Singh.	67.
9.	Kunwar Shri Jaswant Singh	66.
10.	Shri Lal Bahadur Saxena.	82.
11.	Shri Moti Lal Chowdri.	106.
12.	Shri Gulab Chand Kasliwal.	48.
13.	Shri Sampat Ram.	153.
14.	Shri Bishambhar Nath Joshi.	21.
15.	Shri Tejmal Bapna.	149.
16.	Shri Hari Deo Joshi	53.
17.	Shri Mathura Das Mathur.	99.
18.	Shri Damodar Vyas.	33.
19.	Shri Durlabh Singh.	40.
20,	Shri Bhairon Singh.	11.
21.	Shri Bhim Singh.	17.
22.	Shri Shivdan Singh.	140.

Candidates who now intend to withdraw their names from the elections may do so now.

श्री हरिकृष्ण व्यास--Mr. Speaker, Sir, I withdraw my name for contest of elections to the Estimates Committee.

श्री सन्तोष सिंह कछवाहा—So do I, Sir. I withdraw my name for contest of elections to the Estimates Committee.

श्री भैरूँ सिंह (वि० सं० १६)—अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपना नाम एस्टीमेट्स कमेटी से वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Your Division No. is 16 ?

श्री भैरूँ सिंह—Yes, Sir.

विधायी-कार्य

राजस्थान कृषक संरक्षण अध्यादेश (संशोधन) विधेयक

श्री अध्यक्ष—Legislative Business.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Rajasthan Protection of Tenants Ordinance, 1949.

श्री अध्यक्ष—Motion moved. The question is that leave be granted to introduce the Bill further to amend the Rajasthan Protection of Tenants Ordinance, 1949.

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Sir, I introduce the Bill.

माँगों पर मत-दान

सामान्य प्रशासन-६

श्री अध्यक्ष—Then we come to the second stage of the Budget.

The motion is- "That a sum not exceeding Rs. 35,21,000 be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. IX, Major Head 25—General Administration."

We have received nmunber of cut motions. Inspite of a circular being issued from this office, the Hon, ble Members of the House are not looking to the convenience of the office, and they are tabling cut motions which are late, (कटौती प्रस्ताव दिखलाते हुए) a bundle of them.

Kr. Shri Jaswant Singh will now move his cut motion. We can take all the cut motions as moved.

(कुँ० श्री जसवन्तसिंह बोलने को खड़े हुए)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Sir, I gave notice of cut motions which were sent to the office. "Received in this office on the 18th" but ......

श्री अध्यक्ष—They have been included.

श्री हरिकृष्ण व्यास—They have not been included, Sir,

श्री अध्यक्ष—There have been holidays.

श्री हरिकृष्ण व्यास—They were received but they have not been circulated.

श्री अध्यक्ष—You enquire from the office.

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—I had also given notice of cut motions but they have not been included.

कुँ० श्री जसवन्त सिंह-माननीय अध्यक्षजी, मैंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर, जो हैड ऑफ दी स्टेटस; जैसे, राजप्रमुख आदि हैं इस मद के नीचे, उसके मुत्तल्लिक जो खर्चा होता है उसके लिये एक कट मोशन पेश किया है। मैं नहीं जानता कि माननीय चीफ मिनिस्टर की गैरहाजरी में इसका जबाब कौन देगा, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन सभी मंत्रियों द्वारा चलाया जाता है इसलिये कोई न कोई मंत्री तो जबाब देने की कृपा करेंगे ही।

जनरल बजट के डिबेट पर भी इस सीगे पर मैंने बहुत कुछ कहा था और उस जनरल डिबेट के जवाब में जो कुछ भी फाइनेन्स मिनिस्टर द्वारा कहा गया, उसमें कोई खास रोशनी मेरे कथन के उत्तर में नहीं डाली गई। मेरा जो कट मोशन है उसको मूव करने में मेरी जो नीति थी वह यह थी कि जिस प्रकार हमारे राजस्थान का शासन चल रहा है और शासन-पद्धति है और उसको देखने से यह लगता है कि क्या सर्विसेज में और क्या जनता में सरकार के प्रति दिन-ब-दिन असंतोष बढ़ता जा रहा है। उसका भी बहुत हद तक हेड ऑफ दी स्टेट (Head of the state) जिम्मेवार है। हेड ओफ दी स्टेट कुशल हो तो उसका शासन बहुत हद तक सुधर सकता है और प्रगति कर सकता है। मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा इस सदन को अर्ज करना चाहता हूं कि आज हमारे चीफ मिनि-स्टर सदन में होते तो मैं उनको बतलाता कि चार-पाँच साल पहले जब भारत की संविधान सभा का अधिवेशन हो रहा था उस वक्त में माननीय चीफ मिनिस्टर जो उस संविधान सभा के सदस्य थे और मेरा भी सौभाग्य था कि मैं भी उनके साथ था, उस वक्त उनका यह विचार था कि इन चेन्जड कन्डीशन्स (in changed conditions) में राजप्रमुख की संस्था रियासतों में नहीं रह सकती और राजस्थान की हालत को देखते हुए, 'बी' क्लास की स्टेटों की हालत को देखते हुए, राजप्रमुख की संस्था का रहना हित कर नहीं होगा। मैं उनका ध्यान उस तरफ दिलाता हूं कि उस समय जब राजप्रमुख की संस्था नहीं बनी थी तब आप यह अनुभव करते थे और आपने राजप्रमुख की संस्था को बनाने का उस समय खुले आम विरोध किया था और यह फरमाया था कि यह संस्था समय के प्रतिकूल है और नहीं होनी चाहिये; लेकिन फिर भी पटेल साहब ने इस इमारत को खड़ा किया। हमने जब से हमारा राज-स्थान बना, ४-५ सालों से देख रहे हैं और दूसरी भारत की 'बी' स्टेटस हैं उनको भी देखा है कि यह राजप्रमुख की संस्था किस तरह काम कर रही है। हाँ, मैं समझता हूं कि राजनीतिक याददाश्तें लम्बी नहीं होतीं और शायद चीफ मिनिस्टर साहब को यह याद हो भी, लेकिन जैसा मैंने अपने जनरल बजट की डिबेट में कहा था कि राजप्रमुख राजस्थान में साल भर में ८ महिने राजस्थान से गैरहाजिर रहते हैं। अगर कोई शासक होता यहाँ पर तो हमारी शासन प्रणाली में बहुत कुछ सुधार हो सकता था। मैं कह सकता हूँ कि बम्बई के राज्यपाल है श्री गिरिजाशंकर बाजपाई, मैंने उनके साथ काम किया,

[श्री जसवन्तसिंह]

वे बीकानेर महाराजा गंगासिंहजी के प्राइवेट सेक्रेट्री रह चुके हैं और उस वक्त मैं भी महाराजा गंगासिंहजी का असिसटेन्ट प्राईवेट सेक्रेट्री था और मुझे बाजपेई साहब के साथ काम करने का मौका मिला। यदि आज श्री गिरिजाशंकर बाजपेई के मुकाबले का कोई गवर्नर होता तो मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट की सर्विसेज़ और जनता में जो आज असंतोष फैल रहा है, नहीं होता और जो कुशासन 'बी' स्टेट्स में चल रहा है बहुत हद तक नहीं होता।

उसी तरह आप पंजाब में देखिये। वहाँ के गवर्नर अगले दिन तक श्री त्रिवेदी थे। उस प्रान्त में जो कुछ सफलता पार्टीशन के बाद मिनिस्टरों को मिली है वह सब त्रिवेदीजी के कारण से हुई है। आप यू. पी. में देखिये। वहाँ मुंशीजी गवर्नर हैं। वे मिनिस्टरों को किस हद तक काम में मदद देते हैं। यहाँ तक कि वे मंत्रियों को बुलाते हैं और उनकी फायलों पर नोट करते हैं। चीफ मिनिस्टर को तो क्या वे मिनिस्टरों और सेक्रेट्रीज तक को बुला लेते हैं और उसके बाद फायलों पर नोट करते हैं। हम मानते हैं कि बेशक वहाँ की मिनिस्ट्री स्ट्राँग है लेकिन फिर भी गवर्नर या राज्यपाल उनकी फायलों पर रिमार्क लिखता है, यह आप देखेंगे। राज्यपाल बहुत हद तक शासन में सलाह और मदद देते हैं। मगर हमारे राजस्थान में हमारे चीफ मिनिस्टर को ऐसे हैड आफ दी स्टेट मिल गये कि बारह महीनों में ८ महीने तो बाहर ही रहते हैं और जिनको न कार्य करने की दिलचस्पी है और न अनुभव। इसलिये हमारे चीफ मिनिस्टर सर्वे-सर्वा हैं। लेकिन जो कुशासन राजस्थान में चल रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिये मैं यह समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है जब कि कुछ न कुछ परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। मैं यह कह सकता हूं कि राजप्रमुख संस्था का बजट चार्ज्ड है, वोटेड नहीं है; लेकिन फिर भी हमारी विधान सभा कोई कदम उठावे तो यह स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है और खास कर इस समय जब कि आप कहते हैं कि राजस्थान की माली हालत नाजुक है। जब आपकी माली हालत कमज़ोर है तो फिर ६ लाख ५० हजार रुपये जैसी बड़ी रकम जो किसी भी 'ए' राज्य के गवर्नर को; बंबई, बंगाल और मद्रास, में भी नहीं मिलती, जिनकी आमदनी राजस्थान से दस गुनी है, तो फिर यहाँ इतना बोझा हमारे सिर पर नहीं पड़ना चाहिये।

इसके अलावा हैड आफ दी स्टेट के मद में महाराजप्रमुख और उपराजप्रमुख भी हैं, और उन पर भी एक बड़ी रकम खर्च होती है जो एक वोटेड रकम है और जिसको एसेम्बली वोट डाउन (Vote down) कर सकती है। इस खर्चे को अनुचित समझते हुए हमारी विधान सभा इस सत्र में यह तय कर दे कि हम ऐसे खर्चे को कभी पास नहीं करेंगे।

मैं आशा करता हूँ कि पोलिटीकल एडजस्टमेंट (political adjustment) की वजह से सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कुछ वादे किये हैं और वे वादे सेन्ट्रल गवर्नमेंट को मानने के लिये हैं, और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को उन वादों को निभाना बहुत जरूरी है, जो उसने किये हैं। इसलिये इन महानुभावों को भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट खर्चा दे ताकि इन महानुभावों को भी कोई नुकसान न हो और हमारी माली हालत को भी बहुत मदद मिले।

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

इसलिये मैं आशा करता हूँ कि हमारे चीफ मिनिस्टर तथा फाइनेन्स मिनिस्टर या किसी भी और मन्त्री महोदय को इस बात को मानने के लिए एतराज नहीं होना चाहिये। ६ लाख महाराजप्रमुख को और १ लाख उपराजप्रमुख को जो मिलते हैं, उस पर सदन वोट नहीं दे।

इसके अलावा महाराजप्रमुख के सेक्रेटेरियट को चलाने के लिए जो २० हजार और कुछ रकम रखी गई है इसका कोई फायदा ही नहीं है। मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी रकम की ओर चीफ मिनिस्टर और वित्त मन्त्रीजी का ध्यान क्यों नहीं जाता? मैं समझता हूँ कि उनके प्राइवेट सेक्रेट्री साल भर में १२ फायलें भी नहीं देखते होंगे, मगर उनको १५००) रुपये माहवार तनख्वाह के दिये जाते हैं और इसके साथ-साथ कार एलाउन्स के १५०) रुपये दिये जाते हैं। यह २० हजार की रकम क्यों रखी जा रही है? इसके लिये न तो कोई एग्रीमेंट में जिक्र है और न यह बात किसी डॉक्यूमेंट से प्रतीत होती है। फिर यह रकम किस तरह से और क्यों रखी जाती है? मैं निवेदन करता हूँ कि फौरन ही इस सेशन के बाद इसको बन्द कर दिया जावे।

इतना कहकर मैं आशा करता हूँ कि हमारी सरकार ऐसे खर्चे को हमारे राज्य पर नहीं पड़ने देगी।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय अध्यक्ष, अभी तक मैंने जो कट मोशन्स दिये हैं, उनकी कॉपी सर्क्यूलेट नहीं हुई है। मुझे भी उसकी कॉपी चाहिये ताकि......

श्री अध्यक्ष—That has been circulated.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—I have moved a number of cut-motions and I don't know which of them I have to take first.

श्री अध्यक्ष—सर्क्युलेट हो गये वे।

These are your cut-motions.

लिस्ट नम्बर २ सीरियल नम्बर २७
लिस्ट नम्बर २ सीरियल नम्बर २८
लिस्ट नम्बर २ सीरियल नम्बर २९
लिस्ट नम्बर २ सीरियल नम्बर ३०
लिस्ट नम्बर २ सीरियल नम्बर ३१

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Then I may be supplied with the copy I have not been supplied.

श्री अध्यक्ष—List No. 2 you have got. That has been circulated.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—(कुछ देर में) Yes rlease here is this copy; I am sorroy (कुछ ढूँढने के लिये खड़े रहते हैं)।

श्री अध्यक्ष—I think the Hon'ble Member is not prepared.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—He has forgotten.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं यह मानकर चलता हूँ कि कट मोशन्स मूव हो चुके हैं। यह कट मोशन है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन-सिविल सेक्रेटरियट के बारे में, और मैंने इसके अन्दर यह चाहा है।

"To discuss whether the staff of the Civil Secretariat is not too much in comparis n to the Revenue of the State and the increased provision under this head for the year 1954-55 with special reference to telephones including trunk calls."

यह है कट मोशन का सब्जेक्ट मेटर।

अब मैं सदन का ध्यान बजट के प्रति आकर्षित करना चाहता हूँ। सन् १९५४-५५ का जो बजट है उसमें सिविल सेक्रेटेरियट का खर्चा चलाने के लिए सरकार ने करीब २२ लाख रखे हैं। १९५३-५४ के बजट को देखने से पता चलेगा कि सिविल सेक्रेटरियट का खर्चा चलाने के लिए सरकार ने १७ लाख के करीब का प्रोवीजन किया, और ५३-५४ का रिवाइज्ड बजट देखने से पता चलेगा कि करीब २० लाख रुपया खर्च कर चुकी है। तो इससे यह पता चल जावेगा कि यह खर्चा जो है यह हर साल बढ़ता जाता है। अब हमें यह देखना है कि सिविल सेक्रेटेरियट पर खर्चा तो बढ़ता जाता है पर इसी हिसाब से हमारे सेक्रेटरियट की एफीशियेन्सी जो है वह भी बढ़ रही है या नहीं? दूसरा यह भी देखना है कि हमारे राजस्थान की जो आमदनी है उसके अनुसार यह खर्चा न्याय-संगत भी है या नहीं। मैं इस स्थिति में एक मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और वह मिसाल है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश पार्ट 'ए' स्टेट है और हमारे पार्ट 'बी' स्टेट के मुकाबले में इसकी आमदनी भी काफी ज्यादा है। मध्यप्रदेश में सेक्रेटेरियट का जो संगठन है वह हमारे इस पार्ट 'बी' स्टेट से कहीं बहुत अच्छा है। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ सेक्रेटेरियट के ऊपर इतना अनावश्यक व्यय क्यों किया जाता है? जब कि मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पार्ट 'ए' स्टेट की जो एफीशियेन्सी है उसके साथ हमारे इस सेक्रेटेरियट की एफीसियेन्सी का अगर मुकाबला किया जावे तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं बैठता। वहाँ की एफीसियेन्सी के साथ तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। पर फिर भी मध्यप्रदेश में सेक्रेटेरियट पर करीब १६ लाख रुपये खर्च होते हैं, जबकि हमारे यहाँ के सेक्रेटेरियट पर करीब २० लाख रुपये खर्च होते हैं।

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

अब दो-चार बातें मैं और सदन के सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि बजट को देखने से आपको पता चलेगा कि अफसरों की संख्या में वृद्धि की गई है। ५३-५४ के बजट में ये अफसर ३४ थे और ५४-५५ के बजट में ४४ अफसरों का प्रोवीज़न है, फिर अपर डिवीज़न क्लर्क्स और लोअर डिवीज़न क्लर्कों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है।

दूसरी बात यह है कि इस सेक्रेटेरियट की स्ट्रेन्थ को डिटरमिन (निश्चित) करने के लिए आज से तीन साल पहले सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की तरफ़ से स्वामीनाथन् के नाम से, एक आई. सी. एस. अफसर मुकर्रर किये गये थे। वे यहाँ आये और यहाँ आने के बाद उन्होंने काफी जाँच-पड़ताल की और इसके बाद एक रिपोर्ट भी पेश की; किन्तु अफसोस तो यह है कि जो रिपोर्ट पेश की गई, उस रिपोर्ट को तोड़-मरोड़ कर आँशिक रूप से ही उसको इम्प्लीमेन्ट (implement) किया गया। इसका नतीज़ा यह हुआ है कि न तो हमारे यहाँ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई एफीशियेन्सी ही बढ़ी है और न रैड टैपिज्म ही घटा है। मैं यह चाहता हूँ कि अगर सेक्रेटेरियट की एफीशियेन्सी को बढ़ाना है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इस सेक्रेटेरियट के अन्दर जो मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ वर्क (methods of disposal of work) है आज दिन, उसे चेन्ज किया जा सकता है या नहीं। मौजूदा मैथड जो इस सेक्रेटेरियट में डिस्पोज़ल ऑफ वर्क का है उससे कभी एफीशियेन्सी बढ़ नहीं सकती, और काम जल्दी हो नहीं सकता और जो मैथड वे आज तक एडॉप्ट (adopt) करते चले आये हैं, मैं समझता हूँ, वह एक बहुत पुराना मैथड है, जो पहले ब्यूरोक्रेटिक रिजीम में काम में लाया जाता था उसी तरह आज भी वहाँ काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आज के बदले हुए ज़माने को देखते हुए हमें यह मैथड बदलना पड़ेगा। और इसके अलावा और स्टेट्स में इस बारे में जो प्रगति हुई है, उस ओर भी हमें पूरा ध्यान देना होगा और आज के समय के अनुसार जो उन्होंने अपने मैथड ऑफ डिस्पोजल को बदला है, उसी तरह हमें भी सोच-समझ कर इस दिशा में काम करना होगा। अभी-अभी अखबार में मैंने देखा कि पेप्सू में भी जो नई मिनिस्टरी बनी है, उसने एक स्कीम तैयार की है कि मैथड ऑफ डिस्पोजल किस तरह से एडॉप्ट किया जावे जिससे यह लाल फीताशाही का खात्मा जल्दी से जल्दी किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि जल्दी से जल्दी वह भी ऐसी कोई एक कमेटी मुकर्रर करे, जो यह देखे कि ऐसा कौनसा मैथड ऑफ डिस्पोज़ल है जिसे एडॉप्ट किया जावे जिससे कि डिस्पोज़ल ऑफ वर्क में वृद्धि हो सके।

एक बात की ओर आपका ध्यान मैं और दिलाऊँगा और वह बात है ऑफीसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी (Officers on Special Duty) के बारे में। पिछले साल के बजट में भी आफीसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी के लिए प्रोवीज़न था और इस साल भी यह प्रोवीज़न है। मेरी समझ में नहीं आता......

श्री अध्यक्ष—I hope the Hon'ble Member will speak on all the five cut-motions.

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—Then let me speak one by one. I am speaking on the first cut-motion.

श्री अध्यक्ष--You will please keep the time-limit in mind.

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—Then please tell me how much time you will give me for each cut-motion ?

श्री अध्यक्ष—In aggregate 3 minutes to each cut-motion-that comes to 15 minutes.

श्री अबनिकुमार मुकर्जी–I should be given five minutes for each cut-motion

हाँ, तो मैं यह कहना चाह रहा था कि पिछले साल के बजट में भी ऑफीसर आन स्पेशन ड्यूटी का प्रोवीज़न था और इस बजट में भी है। मेरी यह समझ में नहीं आता कि इसमें क्या जस्टिफिकेशन (न्यायानुकूलता) है कि जब किसी अफसर का कहीं ठीक से पोस्टिंग नहीं हो पाता तो उन्हें स्पेशल ऑफीसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना दिया जाता है और इस सिलसिले में मैं एक मिसाल भी पेश करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जयपुर में एक उच्च राजकर्मचारी थे। वह अपनी सेहत की वजह से इलाज कराने के लिए विदेश चले गये। जब वे वापिस आये तो उनका पोस्टिंग और कहीं नहीं हो सकने पर वे ऑफीसर ऑन स्पेशल ड्यूटी तैनात कर दिये गये। मेरी समझ में नहीं आता कि एक कमिश्नर की ग्रेड के आदमी को ऑफीसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ऑफ सर्किट हाउस (Officer on Special Duty of Circuit House) कैसे बना दिया गया और इसके लिए क्या जस्टिफिकेशन था?

मैं यह साफ कह देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सेक्रेटेरियट में जो इस सम्बन्ध की अपोइन्टमेन्ट्स की जाती हैं वे और किसी आधार के की जाती है और वह नियुक्ति केवल इसलिए की जाती है कि किसी उच्च पदस्थ कर्मचारी की और कहीं posting धाँधलीबाजी के कारण नहीं किये जा सकने की स्थिति में ऑफीसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना दिया जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वे इस पर अच्छी तरह सोचें कि ऐसा करना जनता के हित में कुछ उपयोगी भी है या नहीं।

दूसरी बात, जो मैं सदन के नोटिस में लाना चाहता हूँ वह है टेलीफोन्स के खर्चे के बारे में। सन् ५३-५४ का बजट जो था उसके अन्दर सेक्रेटेरियट के अन्दर टेलीफोन के खर्चे के लिए ३० हजार रुपये रक्खे गये थे। पर ५३-५४ का रिवाइज्ड बजट जो रक्खा गया था उसमें हमने देखा कि दस हजार की बढ़ोतरी और कर दी गई है और ३० हजार के बजाय चालीस हजार कर दिये गए और ५४-५५ के बजट में भी वही चालीस हजार है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह टेलीफोन के खर्चे में बढ़ोतरी का ऐसा क्या कारण सरकार के सामने है, जिसकी वजह से वह इसको जस्टिफाई करती है। यह बना हुआ खर्चा सेक्रेटेरियट के इस मद के खर्चे का $\frac{1}{3}$ हिस्सा है और बहुत ज्यादा है। यह सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी बढ़ोतरी कैसे की जा रही है? यह खर्चा अधिक इसलिए होता है कि टेलीफोन के यूज़ (use करने के बारे में इस सेक्रेटेरियट में कोई नियन्त्रण नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है। इसका फल यह होता है कि कई दफा

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

सेक्रेटेरियेट में जो टेलीफोन्स हैं उनको सरकारी कर्मचारी अपने-अपने काम में लाते हैं, उनका दुरुपयोग होता है और इसका दुरुपयोग नहीं होता तो टेलीफोन के चार्ज इतने नहीं बढ़ते कि हाउस के सामने ५३-५४ के अन्दर सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट की जरूरत पड़ती। इस सिलसिले में ५४-५५ में बढ़ोत्तरी की गई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार को इस मामले में जो ध्यान देना चाहिए था वह नहीं दिया गया है। इसके लिए कुछ नियम बनाने चाहिए ताकि टेलीफोन्स पर कुछ नियन्त्रण हो। अगर टेलीफोन किया जाय तो सिर्फ सरकारी कामों के लिए किया जाय, न कि व्यक्तिगत बातों के लिए या अपने लाभ के लिए।

इसी सिलसिले में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकार को सेक्रेटेरियेट का जो खर्च है उसको कम करना चाहिये सेक्रेटेरियेट में जो मेथड्स ऑफ डिसपोजल हैं वह जल्दी से जल्दी चेन्ज करे, क्योंकि ऐसा करने से जनता को राहत होगी और मैं समझता हूँ कि सरकार का जो खर्च होता है उसका सदुउपयोग होगा इससे ज्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। इस कटमोशन पर जो कुछ मुझे कहना था वह कह चुका।

मेरा दूसरा कटमोशन है वह रेवेन्यू बोर्ड से सम्बन्ध रखता है और उसका सब्जेक्ट मेटर यह है:—

"To discuss the accumulation of pending cases and anomalous position of the Revenue Board in relation to the Department of Settlement."

माननीय अध्यक्ष, इस तरफ मैं सदन का ध्यान इसलिए आकर्षित करना मुनासिब समझता हूँ कि आज हमारे यहाँ राजस्थान के रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर जिस तरीके से काम चल रहा है उससे जनता को बहुत असन्तोष है। रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर, अगर इसका रेकार्ड देखा जाय तो ३-३, ४-४ तथा ५-५ साल के केसेज़ पेन्डिग पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि पिछले जो कवेनेन्टिग स्टेट्स थीं उनके रेवेन्यू बोर्ड के केसेज़ में से कुछ केसेज़ ऐसे हैं जिनका फैसला अभी तक नही हुआ है। और रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर सबसे अधिक दुख की बात यह है कि रेवेन्यू बोर्ड तमाम राजस्थान के लिए सिर्फ एक है। राजस्थान के भिन्न-भिन्न जगहों से लोग जयपुर में अपने केसेज़ के सिलसिले में आते हैं तो रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर चाहे मेम्बरों की संख्या कम होने की वजह से ही हो, यह होता है कि अक्सर उनके केसेज के अन्दर तारीख की तब्दीलियाँ होती हैं। इन तारीखों में तब्दीलियाँ होने की वजह से जो जनता यहाँ केसेज़ के सिलसिले में आती है उनको बहुत भारी परेशानी हो जाती है और उनको अनावश्यक खर्चा उठाना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि इस सदन में ऐसे कई सदस्य होंगे जो कि वकील हैं वे रेवेन्यू बोर्ड में पेशी के सिलसिले में आते हैं, वह बहुत कुछ जो मैं कहता हूँ उसका समर्थन करेंगे। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि यदि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बरों की संख्या कम है तो ज्यादा रखी जाय ताकि जल्दी से जल्दी उन केसेज़ का निपटारा हो सके, उन केसेज़ का फैसला हो सके, और जनता की जो परेशानी हैं वह जल्दी से जल्दी मिट जाय।

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

दूसरी बात जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह है रेवेन्यू बोर्ड इन रिलेशन टू डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे एन्ड सेटलमेंट (Revenue Board in relation to Department of Servey and settlement) इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मन्त्री महोदय का ध्यान १२ दिसम्बर, सन् १९५२, को राजस्थान में राजपत्र में जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, यह नोटिफिकेशन १२ दिसम्बर, सन् १९५२ को राजस्थान राजपत्र में निकला। उसके अन्दर यह था कि सर्वे एन्ड सेटिलमेंट डिपार्टमेंट पर जो कन्ट्रोल था वह रेवेन्यू बोर्ड को दे दिया जायगा। वह नोटिफिकेशन तो निकाला गया और उसको काफी अरसा भी हो चुका, लेकिन आज तक सर्वे एन्ड सेटलमेंट डिपार्टमेंट पर एक्सक्लूज़िव कन्ट्रोल (exclusive control) रेवेन्यू बोर्ड के हाथ में नहीं दिया गया है और सर्वे एन्ड सेटलमेंट डिपार्टमेंट आज भी, मैं समझता हूँ, डिपार्टमेंटल सेक्रेट्री के आधीन ही काम कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब सरकार ने इस सम्बन्ध में एलान कर दिया, तो आज तक भी उस नीति पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और मैं समझता हूँ कि कट मोशन में उसका जवाब दिया जावेगा। बस इस सिलसिले में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। मैं सिर्फ सदन का ध्यान इन दोनों बातों की तरफ आकर्षित करता चाहता हूँ कि एक तो रेवेन्यू बोर्ड में सदस्यों की कमी की पूर्ति की जाय ताकि पुराने केसेज़ जो पड़े हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी फैसला हो जाय, उनका निबटारा हो जाय और दूसरी बात यह है कि इस नोटिफिकेशन के कारण जितनी भी गलतफहमी पैदा हो गई है उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाय। अगर सरकार की मन्शा एक्सक्लूजिव कन्ट्रोल रेवेन्यू बोर्ड के हाथ में रखने की है तो, मैं समझता हूँ कि इस मामले में इस नीति पर जल्दी से जल्दी अमल किया जाय और अगर सरकार की मन्शा रेवेन्यू बोर्ड इन रिलेशन टू डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे एन्ड सेटलमेंट जिस तरह से काम कर रहा है, डिपार्टमेंटल सेक्रेट्री के आधीन में उसी तरह काम करता रहे, तो सरकार को पब्लिक में यह एलान कर देना चाहिए कि जो नोटिफिकेशन गजट में निकला था वह गलत था। उसके केन्सिलेशन (cancellation) के लिए भी आदेश दे देना चाहिए। बस इस सिलसिले में इतना ही कहना चाहता हूँ। इतना ही कहकर मैं इस कट मोशन पर अपनी बहस समाप्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष, तीसरे कट मोशन का सब्जेक्ट मैटर यह है:—

'To discuss t over-increasing and un-necessary expenditure on ministers".

इस कटमोशन का नोटिस मैंने इसलिए दिया है ताकि मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूँ कि हमारे मन्त्री-मन्डल के ऊपर कितना खर्चा हमारे बजट में होता है और वह खर्चा न्याय-संगत है या नहीं। इस सिलसिले में मैं कुछ आँकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूँ। सन् ५१-५२ का बजट मैंने देखा कि उसके अन्दर मन्त्री-मन्डल के ऊपर जो खर्चा हुआ उसका परिमाण है ५,५३,४००) रु० । ५२-५३ के लिए बजट एस्टीमेट को मैंने देखा तो उसका परिमाण

[श्री अबनिकुमार मुकर्जी]

है ५,८४, ७००) रु० । ५३-५४ के रिवाइज्ड बजट को जब देखा तो उसके अन्दर उसका परिमाण निकला ५,६३,०००) रु०, और ५४-५५ के बजट के अन्दर इस सिलसिले में ४,६५,०००) रु० का प्रोवीज़न किया गया है । मैं इस सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता हूँ कि पिछले साल जब कि ५३-५४ का बजट हाउस के समक्ष पेश किया गया था तब ४,६३,०००) रु० का प्रोवीजन मन्त्री मन्डल के लिए रखा गया था। तो जब यह साल खत्म होने को आया तो इसके लिए सप्लिमेन्ट्री ग्रान्ट की जरूरत हो गई और ६६,०००) की सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट के लिए सरकार को मन्जूरी मांगनी

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

पड़ी । और कुल मिलाकर ५,६३,०००) रु० गत वर्ष के अन्दर हमारे मन्त्री मन्डल पर खर्चा हुआ है । तो अगर हमारे मन्त्री-मंडल की संख्या को ध्यान में रखते हुए, इस रकम को विभाजित करें, तो यह साफ-साफ हो जायगा कि हमारे मन्त्र-मंडल के प्रत्येक मन्त्री पर करीब-करीब ४६००) रु० मासिक खर्च होता है, यह जो खर्चा है वह मन्त्री-मन्डल पर जो कुछ खर्चा होता है वह तमाम का तमाम व्यय नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जो फीगर्स मैंने हाउस के सामने रखे हैं उनके अन्दर मोटरें जो वे इस्तेमाल करते हैं उनके डेप्रिसियेशन कॉस्ट (depriciation Cost) भी इसके अन्दर नहीं है । दूसरे मन्त्री लोग जिन मकानों के अन्दर रहते हैं उन मकानों में एडीशन्स और आल्टरेशन्स (additions and alterations) जो होते रहते हैं, उन एडीशन्स एन्ड ऑल्टरेशन्स की कॉस्ट भी मैंने जो आँकड़े प्रस्तुत किये हैं उनके अन्दर नहीं है । और जब मैंने इस वर्ष का बजट देखा तो उस के अन्दर यह देखा कि सरकारी मकानात के मेन्टेनेन्स और रिपेअर्स के लिए जो प्रोवीजन है उसमें ३ लाख रुपयों की बढ़ोत्तरी की गई है । मैं समझता हूँ कि इसमें ३ लाख की बढ़ोत्तरी इसलिए की गई है कि जिन मकानों में मिनिस्टर्स रहते हैं उनमें एडीशन्स एण्ड ऑलट्रेशन्स होते रहते हैं । इस खर्चे को भी उनके ऊपर जो कुछ खर्चा होता है उसमें जोड़ देना चाहिए ताकि उनके ऊपर जो कुछ खर्चा होता हैं उसका एक अनुमान जनता को मिल जावे ।

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह है मिनिस्टर्स जो यात्रा करते हैं और उसमें जो व्यय होता है उसके बारे में है। मैंने जब मिनिस्टर्स पर जो खर्चा होता है उसका निरीक्षण किया तो मुझे मालूम हुआ कि यात्रा-व्यय बहुत ही अधिक होता है । यदि इसमें कमी करना चाहें तो मन्त्री लोग कमी कर सकते हैं । मैं समझता हूँ कि इससे जनता को फायदा होने वाला है, क्योंकि ऐसा करने से वे लोग काम में ज्यादा ध्यान दे सकेंगे और जो काम में ढिलाई आ गई है वह ठीक हो सकेगी । इसलिए मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूँ कि वे यात्रा कम करने की भरसक कोशिश करें और दूसरा मेरा सुझाव यह है कि मिनिस्टर्स शहर में निजी काम के लिए ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल न करें । गत वर्ष इस सदन का अधिवेशन जब हुआ था तब एक ऐसा ही बिल इस सदन के सामने पेश किया गया था जिसके द्वारा मिनिस्टरों को गाड़ियाँ खरीदने के लिए लोन देने का सुझाव था । पता नहीं उसे वापिस क्यों ले लिया गया । उसके द्वारा हमारे मन्त्रियों को लोन मिलता जो आगे चलकर वेतन में से वसूल कर लिया जाता। मैं समझता हूँ कि वह बहुत अच्छा

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

सुझाव था और इसीलिए सदन में पेश किया गया था। लेकिन समझ में नहीं आता कि उसको वापिस लेने के बारे में सदन में कोई स्टेटमेन्ट न देकर अचानक क्यों वापिस ले लिया गया। मैं समझता हूँ यदि मन्त्री लोग अपनी-अपनी मोटरें इस्तेमाल करेंगे तो आज कल मोटरों की जो हालत होती है वह हालत नहीं हुआ करेगी। आज यदि मोटर की सीटिंग केपेसिटी (seating capacity) चार की होती है तो उसमें ७-८ आदमी बैठते हैं और इससे मोटर की दुर्गति होती है और बुरी तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण दो-तीन साल से ज्यादा वे मोटरें काम नहीं देतीं। इसलिए मैं मन्त्री महोदयों में अर्ज करूँगा और खासकर मुख्य मन्त्रीजी से अर्ज करूँगा कि जो बिल विथड्रा (with draw) कर लिया गया है उसे ही वापिस लावें ताकि सरकारी खजाने से मिनिस्टरों को लोन दिया जाय, जिससे वे खुद की मोटरें खरीद सकें और सरकारी मोटरों का ज्यादा इस्तेमाल न करें। इसके अलावा मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना है।

मेरा जो चौथा कट मोशन है वह है लोकल फंड ऑडिट एस्टेब्लिशमेंट के सम्बन्ध में, और वह इस प्रकार है:—

"To discuss the inadequate provision made under the head 'Local-Fund Audit Establishment".

लोकल फंड का ऑडिट किया जाना बहुत ही आवश्यक है। पहिले लोकल फंड्स का ऑडिट अकाउन्टेन्ट जनरल की मारफत किया जाता था और उसके लिए राजस्थान सरकार अकाउन्टेन्ट जनरल को रुपये देती थी। हम लोगों ने सदन में यह आवाज़ उठाई कि लोकल फंड ऑडिट ठीक तरह से काम नहीं करता है और इस वजह से हमारी लोकल बॉडीज़ का ऑडिट समय पर नहीं होता और इस कारण से लोकल संस्थाओं में भारी गड़बड़ी होती है। मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने यह काम अपने हाथ में ले लिया है और आश्वासन दिया है कि लोकल बॉडीज़ का ऑडिट अच्छी तरह से करवाया जायगा। लेकिन बजट को ध्यान से देखा तो पता चला कि उसके लिए प्रोवीज़न बहुत ही कम है। हमारे यहाँ नया पंचायत एक्ट पास हो चुका है। उस एक्ट के अन्तर्गत पंचायतों के नये चुनाव होंगे, और नयी पंचायतें जब काम करने लगेंगी तब पंचायतों के ऑडिट का काम काफी बढ़ जायगा। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से इतनी कम रकम में इतना बड़ा काम पूरा हो सकेगा। कट मोशन रखने का मेरा उद्देश्य यह था कि इस ओर सरकार का ध्यान खींचा जाय कि इस विषय में ज्यादा रकम रखना जरूरी है ताकि लोकल फंड्स में जो गड़बड़ियाँ ऑडिट नहीं होने के कारण होती हैं वे आयन्दा न हों। इसी परटिक्यूलर पॉइन्ट (particular point) की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने यह कट मोशन रखा है। इस बारे में मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है।

मेरा जो चौथा कट मोशन है वह है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर महाराजप्रमुख के सेक्रेटेरियट के बारे में। मैंने जब इस साल के बजट का निरीक्षण किया तो उसमें यह देखा कि

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

महाराजप्रमुखके सेक्रेटेरियेट के लिये करीब २०,०००) रुपये रखे गये हैं। महाराजप्रमुख का जो ऑफिस है उसके पीछे कोई कन्स्टीट्युशनल सेंकशन नहीं है। इसलिये उनका भार हमारे राजस्थान के बजट पर जब पड़ता है, तो मैं उसे व्यर्थ समझता हूँ। इसलिये महाराजप्रमुख के सेक्रेटरियट पर जो व्यय होता है उसे बन्द कर देना चाहिये। महाराजप्रमुख के सेक्रेटेरियट से राजस्थान राज्य का कोई सम्बन्ध नहीं है राजस्थान राज्य का कोई काम उनके द्वारा नहीं होता। ऐसी हालत में महाराजप्रमुख के सेक्रेटेरियेट के रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसका भार हमारे बजट पर क्यों डाला गया है, इसके बारे में मुख्य मन्त्री महोदय गौर करेंगे, ऐसी आशा है। इसीलिए सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने यह कट मोशन रखा है। मुझे अब इसके बारे में और अधिक कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मुझे जो समय मिला था वह अब समाप्त हो चुका है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा— उपाध्यक्ष महोदय, इस कटौती प्रस्ताव (To discuss the failure of the Government to check the growing discontent, dissatisfaction and corruption in the Services) के जरिये मेरी मन्शा सदन के सामने हमारे प्रशासनीय सेवाओं में कार्य करने वाले उन अफसरों, उन लोगों के अन्दर बढ़ते हुए असन्तोष की तरफ ध्यान दिलाना है, जो आज राजस्थान के प्रशासन में सर्वत्र व्याप्त है। यह असंतोष केवल आज ही पैदा हुआ हो ऐसी बात नहीं है। इसका मूल कारण तो राजस्थान बनने के बाद इन्टीग्रेशन के उन उसूलों पर आधारित है। राजस्थान की सेवाओं के इन्टीग्रेशन की तरफ बहुत कुछ अब तक कहा जा चुका है। इंटीग्रेशन के जो कायदे बने और जिस तरह सेवाओं का इन्टीग्रेशन किया गया उससे यह सारा असन्तोष बढ़ रहा है। हमने राजस्थान की सेवाओं को कई केडर (cadre) में विभाजित किया। हमने आई. ए. एस. पद्धति को माना, हमने आर. ए. एस. पद्धति बनाई, आर. जे. एस. पद्धति बनाई और आर. पी. एस. पद्धति बनाई और इन सर्विसेज़ को इस तरह की सेवाओं में विभक्त किया जिस तरह हमारे यहाँ आज प्रचलित हैं। लेकिन जिस तरह इस सिलसिले में कार्य हुआ है उस तरफ हम जरा ध्यान दें तो हमें मालूम हो जायगा कि किस तरह इन सेवाओं में विभक्तिकरण से हमारे यहाँ की सर्विसेज़ में असन्तोष बढ़ रहा है।

कुछ लोगों को जो आई. ए. एस. में आ चुके हैं उनको छोड़कर कई लोगों को जो दो सौ, ढाई सौ तनख्वाह पाते थे उनको ८००)–६००) रुपया तनख्वाह ५–१० मिनट के इन्टरव्यू के आधार पर मिलती है। पर इस ५–१० मिनट के इन्टरव्यू में उनके पिछले अनुभव, पिछली सेवाओं और पिछले कार्य का कोई खयाल नहीं रखा गया है।

आर. ए. एस. के इन्टरव्यू में भी वही हुआ। एक कमेटी पहुँची जिसमें कुछ आई. सी. एस. सदस्य थे। उस कमेटी ने ५–७ मिनट का इन्टरव्यू लेकर उनको सिलेक्ट किया। इस सिलेक्शन का नतीजा यह हुआ कि जो बहुत बड़ी तनख्वाह पाने वाने वाले थे वे सिलेक्शन में नहीं आ सके और छोटी-छोटी तनख्वाह पाने वाले बहुत ऊंचे ओहदों पर बड़ी-बड़ी तनख्वाहों पर रख लिये गये। मैं

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

मिसाल के तौर पर आपको बता दूँ कि तहसीलदार जो आर. ए. एस. में आ गये, तो उनको एस. डी. ओ. बना दिया गया, चाहे उनको कोई तजुर्बा नहीं था। आर. ए. एस. में कई ऐसी मिसालें हैं कि ८००)–६००) रुपया माहवार तनख्वाह मिलती है वे आर. ए. एस. में नहीं आ सके इसलिए उनसे दो सौ, तीन सौ रुपया पाने वाला जो काम कर सकता है वे सेवाएँ उनसे ली जा रही हैं और तनख्वाह वही ८००)–६००) रुपया देनी पड़ती है।

सेवाओं में इस तरह के असन्तोष और गड़बड़ी को कुछ दिन पहले सरकार ने महसूस किया और राणावत कमेटी सरकार ने इस बारे में दुबारा जाँच करने के लिये मुकर्रर की थी। इस कमेटी के कार्य से कुछ लोगों को सन्तोष हुआ, परन्तु बहुत हद तक सन्तोष नहीं हुआ।

परन्तु जिस तरह सरकार ने आर. ए. एस. के लिए महसूस किया कि फिक्सेशन और इन्टीग्रेशन में गड़बड़ियाँ हुई हैं जिससे राजस्थान की उन सर्विसेज़ में असन्तोष बढ़ा उसी तरह जिस कदर पक्षपात, भेदभाव और सर्विसेज़ में भी बढ़ता गया, जिससे जाहिर है कि राजस्थान की सर्विसेज़ में असन्तोष बढ़ा है। इसलिए जिस तरह आर. ए. एस. के लिए सरकार ने राणावत कमेटी बनाई उसी तरह हर तरह की सर्विसेज़ के लिये भी सरकार एक कमेटी मुकर्रर करे और जो बहुत हार्ड केसेज़ हैं उनको दुबारा देखा जाय और उनको उनकी जगहों पर रखा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, फर्क केवल इतना है कि कई व्यक्ति कुछ दिन पहले आर. ए. एस. थे, अब आई. ए. एस हैं, उनको तनख्वाह ज्यादा मिल गई, पर इनसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति जो इस ८-१० मिनट के इन्टव्यूं में प्रभावित न कर सके वे लोग सिलेक्शन में न आ सके। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन सारी बातों को देखा जाय। इन्टव्यूं का जहां तक सवाल है इसको रिवाइज़ करना बहुत जरूरी है।

जहाँ तक प्रमोशन का सवाल है कोई क्राइटेरिया (criteria) नहीं रखा गया है। किसी तरह एक व्यक्ति जूनियर है, सीनियर नहीं है और कितना ही नीचे उसका नम्बर आ गया है, उसकी सर्विसेज़ का, पीरियड ऑफ सर्विस का तथा अनुभव का कोई खयाल नहीं रखा जाता और उसे प्रमोशन दे दिया जाता है। ऐसी कई मिसालें भी आज मौजूद हैं। एक क्लर्क से लेकर सब इन्पेक्टर तक एक तहसीलदार से लेकर एस. डी. ओ. तक और एस. डी. ओ. से लेकर कलेक्टर तक आज कोई सन्तुष्ट नहीं है। आज एक व्यक्ति बहुत अर्से से कलेक्टर का काम करता आ रहा है, परन्तु वह आई. ए. एस नहीं होने से उसको यह धोखा है कि वह कलेक्टर से एस. डी. ओ. बना दिया जायगा। उसको हर वक्त यह धोखा बना रहता है कि किसी वक्त उसकी तनख्वाह कम हो जायगी और कलेक्टर का ओफिशियेटिंग एलाउन्स जो उसे दे रखा है वह न जाने कब हट सकता है। साथ ही उसे यह भी निश्चित रूप से मालूम नहीं है कि वह सेटलमेंट में या कस्टम्स में कल पहुँच जाय।

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की एक मिसाल मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। एक कस्टम के सुपरिन्टेन्डेन्ट शाहपुरा में थे। उनको एग्जीक्यूटिव का तजुर्बा नहीं था फिर भी उनको एस. डी. ओ. बना दिया गया। उनको यह भी तजुर्बा नहीं था कि किस तरह स्टेटमेंट रेकर्ड किये जाते है, अहलकार ही सारा काम कर देते हैं। वे कहते हैं कि मुझे तो एग्जीक्युटिव का को तजुर्बा नहीं, आर. ए. एस. होने से एस. डी. ओ. बना दिया गया। मैं तो कस्टम्स का काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ। इसी तरह जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे और जो मजिस्ट्रेट का काम कर सकते हैं, उन्हें कस्टम्स में लगा रखा है और जो कस्टम्स का काम कर सकते हैं उन्हें मजिस्ट्रेसी के काम पर लगा रखा है। और इस तरह "Jack of all Master of none" बनाया जा रहा है। आज एक जगह है तो कल दूसरी जगह। उनको सीक्योरिटीज़ नहीं है सर्विसेज़ में। वह देखते हैं कि आज हमने इस काम में काबलियत बताई तो कल दूसरे महकमे में जाना पड़ेगा। इस सरकार की हमारी मौजूदा सर्विसेज़ रिफ्यूजीज़ (refugees) की तरह हो रही है; जिस तरह रिफ्यूजीज़ कहते हैं कि हम सब कुछ छोड़ कर यहाँ आ गये। अगर इसी तरह चलता रहा और चलाते रहे काम तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम किसी तरह राजस्थान के शासन को नहीं सुधार सकेंगे। हमें इस पद्धति को सुधारना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष, एक केस में, मैं एक दफा सीकर गया हुआ था। एस. डी. ओ. साहब का फैसला अदालत के सामने था। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट साहब तो चार्ज फ्रेम करना भी नहीं जानते सिर्फ आर. ए. एस. हो गये और एस. डी. ओ बना दिये गये। दोनों सर्विसेज में एक ग्रेड का फर्क है। माफ कीजिए लोग कहते हैं आर. ए. एस. और आई. ए. एस. में क्या फर्क है? एक में 'आई' पहले है तो दूसरे में 'आर' पहले है; काबलियत में कोई फर्क नहीं रखा गया है।

इस तरह उपाध्यक्ष महोदय, शुरू से लेकर आखिर तक की सर्विसेज़ में क्रान्ति है, असन्तोष फैल रहा है। तनख्वाह का उनके ठिकाना नहीं है। आज उनको ८००) रु० मिलते हैं कल ४००) रु० हो जायेंगे यह डर उन्हें हर समय बना रहता है। दूसरी भावना उनमें यह है कि जनसम्पर्क के कामों में दिलचस्पी नहीं लेते; क्योंकि उनकी आदत है कुर्सियों पर बैठ कर दस्तखत करने की और जो कागज उनके सामने आये उनको निकालने की। इसीलिये जो तहसीलदार आते हैं उनको दौरा करते नहीं देखते। वे जानते नहीं कि उनके यहाँ के लोगों की क्या हालत है? लोग पूछते हैं तो कहते हैं कि हम दौरे में कैसे जायं। टी. ए., डी. ए. साल दो साल में पास होकर आते हैं, सवारी हमारे पास है नहीं, बसें नही जातीं; वहाँ कैसे जांय? और अगर बसें भी चलती हैं और ७ मील के एरिया में दौरा करने जाते हैं तो टी. ए. डी. ए. मिलता नहीं। ऐसी हालत में उपाध्यक्ष महोदय हर जगह हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति सन्तुष्ट नहीं है। किसी भी दुकान पर हम पहुँचते हैं तो कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सरकार की बातें करता रहता है वह सरकार को क्रिटीसाइज़ करता रहता है। उस पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। आज के इन्टीग्रेशन को हम देखें तो आपको मालूम होगा कि जो लोग २७–२७ साल से काम कर रहे हैं वे

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

आज भी लोअर डिवीज़न क्लर्क हो गये। वे लोग दो साल बाद रिटायर होने वाले हैं मगर फिर भी उनको हायर ग्रेड नहीं देकर उनकी वही तनख्वाह जो उनको ८०, ६० रुपये मिल रही है देते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि सर्विसेज़ में इस इन्ट्रीग्रेशन से व मौजूदा टी. ए. और डी. ए. के रूल्स से बहुत बड़ा डिस्सेटिसफेक्शन बढ़ता जा रहा हैं।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूँगा कि हमारे यहाँ पर करप्शन और नेपोटिज्म (corruption and nepotism) बहुत हद तक बढ़ चुका है और दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। यदि इसको कम नहीं किया तो थोड़े से अर्से में ऐसी स्थिति हो जावेगी कि आप इसको रोक ही नहीं सकेंगे। हर एक डिपार्टमेंट में आप चलिये। मैं खुद बूंदी से ट्रक में बैठ कर आया और देखा है कि किस तरह से कस्टम के नाके पर किसी भी ट्रक को रोक कर २ या ४ रुपये बड़ी आसानी से लिये जाते हैं। मैंने अपनी आँखों से यह देखा है और मुझे यह महसूस हुआ कि यदि हम इसको खत्म नहीं करेंगे तो यह रिश्वतखोरी बहुत बढ़ जावेगी।

करप्शन का कारण भी सर्विसेज़ का असन्तुष्ट होना हो सकता है। इसके अलावा सर्विसेज़ को यह पता नहीं कि कब तक वे नौकरी में रहेंगे। इसके अलावा जिनकी रिकमन्डेशन्स (recommendations) हैं वे सस्पेन्ड होते हुए भी वापिस नोकरियों में ले लिए जाते हैं और जिनके किसी प्रकार की सिफारिश नहीं है और जो छोटी-छोटी रियासतों से आये हैं उनमें से कई ऐसे आदमी हैं जो मारे-मारे फिरते हैं और कहते हैं कि आज कई महिनों से तनख्वाह बन्द है।

इसके अलावा टीचर्स और दूसरे ग्रेडों के लोगों को जो पुराने जमाने से नौकर हैं और उनकी वही क्वालीफिकेशन्स है उनको तो ६० रुपये मिलते हैं और दूसरे नये लोगों को जिनकी वही क्वालीफिकेशन है उनको ६० और १०० रुपये दिये जाते हैं इससे सर्विसेज़ में बहुत असन्तोष है और वह इतना असन्तोष है कि उनको सर्विसेज से निकलना बहुत जरूरी है। मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आज तक जितना सर्विसेज़ का इन्ट्रीगेशन हुआ है उस सब को रद्द कर दिया जावे और दुबारा उनकी अच्छी सर्विसेज़ और क्वालीफिकेशन के आधार पर इन्ट्रीगेशन होना बहुत जरूरी है। जो-जो व्यक्ति जैसी-जैसी योग्यता रखता हो अपने काम के मुताबिक उनको वैसा-वैसा स्थान दिया जावे। जो जिस काम के योग्य हो उसको वहीं रखा जावे। ऐसा नहीं होना चाहिये कि आज वह एक डिपार्टमेंट में है, कल किसी दूसरे में और तीसरे दिन किसी तीसरी जगह। इतना कह कर में अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री तेजमल बापना—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक कटौती का प्रस्ताव जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की रकम में एक रुपया कमी करने के लिए सेक्रेटेरिएट के स्टाफ में करपशन और नेपोटिज्म जो फैला हुआ है उसके सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए पेश किया है, और मैं इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ वह इस प्रकार है—

Page No.50

[श्री तेजमल बापना]

"That the Demand for Grant No. IX in respect of 25—General Administration be reduced by Re. 1/- (to discuss the corruption and nepotism prevailing in the Secretariat staff)."

आज सेक्रेटेरिएट का काम किस प्रकार चल रहा है और जनसाधारण के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सब ही जानते हैं। सेक्रेटेरिएट से आप अपने कागज़ का पता नहीं लगा सकते कि आपका कागज कहाँ और किसके पास है। यदि किसी कारणवश आप पहुँच भी जाएँगे सेक्रेटेरिएट में तो भी आपका कागज़ निकलना नहीं। उपाध्यक्षजी, बहुत से प्रान्तों में सेक्रेटेरिएट हैं। विदेशों में भी सेक्रेटेरियेट होते हैं और उनका भी काम चलता है, लेकिन राजस्थान सेक्रेटेरिएट का काम किस तरह से चलता है उसका तो भगवान् ही मालिक है। उसका काम तो भगवान् के भरोसे ही चलता है। जन-साधारण की तो कोई हिम्मत नहीं कि वह अपना कागज़ एक दो या तीन दिन में निकलवा ले। यदि कोई मन्त्री महोदय का मिलनेवाला हुआ या किसी सेक्रेट्री की जान पहिचान का हुआ तो वह ६ महिनों के बजाय अपना कागज एक महिने में निकलवा सकता है। मैं किसी खास डिपार्टमेंट की मिसाल नहीं बतलाता, लेकिन करीब-करीब सभी डिपार्टमेंट्स में इतनी सुस्ती चलती है कि कोई भी काम शीघ्रता से नहीं हो पाता। बहुत से ऐसे जरूरी काम होते हैं जिनको एक सप्ताह भी यदि देरी लग जाए तो काफी नुकसान हो सकता है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हम मानते हैं कि गवर्नमेंट के सेक्रेट्रीज़, चीफ सेक्रेट्री आदि काफी होशियार हैं, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि वे अपना काम शीघ्रता से निकालने में क्यों नहीं दिलचस्पी लेते। कई केसेज़ ऐसे हैं जहां पैसे वाले पहुँच गये तो दूसरी पार्टी वालों को कोई इत्तिला नहीं दी जाती और उनका काम उनके पक्ष में हो गया और यदि कोई जन-साधारण व्यक्ति जो गरीब है पहुँच गया तो सामने वाले को कई बार सूचना दी जावेगी और उसके केस को लीगल रिमेम्ब्रेन्सर को रेफर किया जावेगा और जान बूझकर देरी की जावेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके कागजों को फुटबॉल की तरह बनाया जावेगा और कहीं साल, डेढ़ साल में जाकर उसका कुछ होगा। यही हाल हर विभाग का है। यह बीमारी यहाँ तक चढ़ चुकी है कि बहुत से सरकारी कर्मचारियों को भी अपना काम निकलवाने के लिए पैसा देना पड़ता है। जब यह हाल है तो किस प्रकार हम एफिशिएन्सी ला सकते हैं, किस प्रकार हमारा सेक्रेटेरिएट राजस्थान की भलाई करने के लिए तत्परता दिखला सकता है। हमारा यह सेक्रेटेरियेट स्टेट का हाइएस्ट ऑफिस (सर्वोच्च कार्यालय) है। जब उसकी यह हालत है तो जिलों और कमिश्नरी के दफ्तरों व तहसीलों की क्या हालत होगी। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं मानता हूँ कि हैड ऑफ डिपार्टमेंट यदि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत स्ट्रॉंग होंगे तभी लोअर ऑफिसर और दूसरे कर्मचारियों में कोई लेज़ीनेस (laziness) नहीं होगी।

दूसरी बात, मैं यह मानता हूँ कि सर्विसेज़ को उनका प्रोटेक्शन मिलना चाहिये। उनको तनख्वाह उनकी काबलियत के मुताबिक मिलनी चाहिये ताकि वे ईमानदारी और शीघ्रता से काम करें। हमारी गवर्नमेंट को इस बात पर ध्यान देना चाहिये और कम से कम एक महीने में हर एक हैड

[श्री तेजमल बापना]

ऑफ डिपार्टमेंट का इन्सपेक्शन कर ले, तो उनको मालूम हो जावेगा कि वस्तु-स्थिति क्या है। मगर आप देखेंगे कि कई जगह दो-दो तीन-तीन सालों से पड़े हुए ऐसे कागजात, मिसलें हैं जिनका निकलना तो दूर रहा, कई बजट भी पास नहीं होते, कई टेन्डर भी पास नहीं होते। इसलिये मैं हमारी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि दर असल करप्शन और नेपोटिज्म जो आज सेक्रेटेरिएट में फैला हुआ है उसको कम किया जावे और इसके लिये एक कमेटी केबीनेट मेम्बरों की बनाई जावे, जो इसकी तरफ ध्यान दे। आप देखेंगे कि बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं कि जब मिनिस्टर या कोई सेक्रेट्री उनसे फाइल मंगवाता है तो उसको महसूस होता है कि उसका कोई कलेजा निकाल कर ले जा रहा हो, क्योंकि वह उसकी एक आमदनी का ज़रिया है। यही काम हो रहा है इसलिए इसको खत्म किया जाना चाहिये, जिससे कि काम बहुत शीघ्रता और आसानी से चल सके। मेरे कट मोशन का यही आशय है।

श्री उपाध्यक्ष—अभी जो कुछ कटौती के प्रस्ताव आये हैं वे समय के अन्दर और कायदे के मुवाफिक नहीं आये हैं, फिर भी जो कोई भी कटौती के प्रस्ताव पर बोलना चाहेगा उनको समय दिया जायेगा। तीन मिनिट, चार मिनिट, पाँच मिनिट जैसा भी विषय होगा, उसके अनुसार समय दिया जायगा। श्री हरिकृष्ण व्यास का जो कटौती का प्रस्ताव है वे उसको मूव करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव ६ हैं। जैसे एक कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने तीन मिनिट का समय रखा है इसलिये मेरा निवेदन है कि मैं सिर्फ एक कटौती प्रस्ताव पर ही अपने विचार व्यक्त करूँगा इसलिये मुझे जो समय दिया जाय व ६ को गुना करके दिया जाय।

मैं सब से पहले जो राय प्रस्तुत करूँगा वह यह कि माननीय मन्त्रीगणों के लिए जो मोटरकारों के लिए खर्चा रखा है, जो प्रोवीज़न रखा है, वह ७५ हज़ार रुपये का है। मेरी राय है कि इसको बिल्कुल उड़ा दिया जाय। इसको बजट में न रखा जाय और इसलिये न रखा जाय क्योंकि ये प्रोवीज़न लगातार बढ़ने लगे हैं। सन् ५२-५३ में बजट एस्टीमेट्स १ लाख ५४ हजार था, ५२-५३ के रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में १ लाख ५ हजार रहा और ५४-५५ में अचानक कम हो गया, तीन हजार कम हो गया, लेकिन जैसे-जैसे रबड़ की गेंद को जमीन पर लगाया जाता है, उतनी ही तेजी से वह उछलती है। १ लाख तीन हजार से कम होने की बजाय रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में यह रकम दो लाख तक पहुँच गई है। अगर हिसाब लगाया जाय तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, १० मन्त्रियों का एवरेज़ साल भर में लगातार बराबर ही मान लिया जाय तो प्रत्येक मन्त्री के लिए १६००) रु० मेन्टीनेन्स एन्ड रनिंग ऑफ कार्स का होता है। पहला कारण इसको हटाने का यह होना चाहिये। मेरा ख्याल है कि मंत्रीमंडल में जितने भी सदस्य हैं उनको भी इस बात का समर्थन करना चाहिये। उनको खुद को तो तनख्वाह मिलती है १५००) रुपये और उनकी कार के लिए

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

खर्च हो जाता है १६००) रु० माहवार। इसलिये मन्त्रियों के वेतन से ज्यादा तनख्वाह उनकी मोटरें ले लेती हैं। यदि ऐसी मोटरें राजस्थान के मन्त्रियों के लिए रहे जो उनसे भी ज्यादा तनख्वाह लेती हों तो इस विषय में तो उनको भी एतराज करना चाहिये। अगर ईर्ष्या के मारे वे न करें तो कम से कम जनहित के मारे तो माननीय सदस्यों को एतराज करना चाहिये। यह भी कहा गया कि छोटी मोटरें खरीद ली गईं इसलिये इस वजह से खर्चा अब कम होगा, लेकिन बजट प्रोवीज़न में अब तक भी ७५ हजार रुपये रखे हुए हैं और सप्लीमेन्टरी माँग इसमें आने वाली है। यह निश्चित है। बताने को तो यह कहा गया कि छोटी मोटरें खरीद ली हैं इसलिये कम खर्च होगा; किन्तु इन पर भी ६० गेलन का खर्चा शहर में घूमने फिरने के लिए आ जाता है। अगर छोटी मोटरें हैं तो कम खर्च होना चाहिये, किन्तु वे मोटरें दौसा जाती हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है महीने में कई बार दौसा जाती हैं।

मैं अब, इस माँग को क्यों कम करना चाहिये इसके कारण बताता हूँ। एक कारण यह है कि अब छोटी मोटरें और बड़ी मोटरों को सबको मिलाकर वीअर एन्ड टीअर (wear and tear) का जो खर्चा होता है वह इसमें नहीं जोड़ा गया, जो डेमेज़ होता है वह भी नहीं जोड़ा गया। इन सब को मिटाने का सब से सहल तरीका यह होगा कि माननीय मन्त्रियों को २००) रु० माहवार गाड़ी का भत्ता दे दिया जाय, गाड़ी के मेन्टीनेन्स के तौर पर। यदि वे गाड़ी रखना चाहें तो ठीक, और अगर वे साइकिल रखना चाहें तो जिस प्रकार पाँच रुपये दूसरों को दिये जाते हैं इनके लिए १५) रु० माहवार मन्जूर कर दिये जाँय, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं। फिर वे चाहें तो गाड़ी को तोड़े-फोड़े या छोटी गाड़ी रखें या मोटी गाड़ी रखें, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा और किसी को कोई एतराज करने का कारण ही नहीं होगा। इस तरह से राज्य का खर्चा बचेगा। इस प्रकार इन २००) रुपयों के देने का प्रोवीज़न करने की इसलिये आवश्यकता नहीं कि टी. ए. बिल का खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। सन् ५२-५३ में यह खर्चा २५ हजार था और ५३-५४ में इसके लिए रखे गये १ लाख रुपये, २५ हजार से केवल ४०० परसेन्ट बढ़ाकर, यह बजट एस्टीमेट है। रिवाइज्ड एस्टीमेटस में इसकी तादाद ६० हजार रखी गई है, और सन् ५४-५५ के बजट एस्टीमेट्स में ६० हजार रुपये रखे गये हैं। यदि दौरे की तादाद लगाई जाय तो ५२-५३ से मन्त्रियों का दौरा ढाई गुना बढ़ गया है। जो दौरा करते हैं उनका टी. ए. ढाई गुना है। पचास हजार से बढ़कर जो यह प्रोवीज़न ६० हजार का रखा गया है वह इतना ज्यादा है। २००) रुपया माहवार मोटर खर्चे के रूप में दिया जा सकता है। इससे यह होगा कि इस पर किसी को अंगुली उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा और ऐसा मौका खत्म हो जायगा। सब से अच्छा तरीका ही यही है। दूसरे-दूसरे राज्यों में यह पद्धति विद्यमान है, वह यहाँ भी लागू की जानी चाहिये।

दूसरी चीज़ जिसका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ उसका ताल्लुक है हमारे सिविल सेक्रेटेरिएट से। सिविल सेक्रेटरिएट पर जो खर्चा आता है उस पर मेरे मित्रों ने काफी प्रकाश डाला है, उनको न दोहराते हुए मैं चन्द बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। राजस्थान के मुकाबले की मध्य-प्रदेश एक रियासत है जिसकी तीन साल पहले की आय २० करोड़ रुपये के करीब थी और भौगो-

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लिक दृष्टि से वह राजस्थान से ३००-४०० स्क्वायर मील से ज्यादा है। जिस प्रान्त की आय तीन साल पहले २० करोड़ थी और आज हमारी आय हम २१ करोड़ गिनते हैं वह प्रान्त भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के बराबर है। उस समय मध्यप्रदेश के सेक्रेट्रीएट का खर्चा था १५ लाख ३८ हजार रुपये और हमारे राजस्थान सेक्रेट्रीएट का खर्चा २४ लाख रुपये के करीब है। स्वामीनाथन् की रिपोर्ट के अनुसार यदि कार्यवाही की जाती तो इसमें कमी हो सकती थी। स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट दी उसमें सेक्रेट्रीयों की संख्या ७ थी, वह बढ़ाकर ९ कर दी गई, एक जॉइन्ट लीगल रिमेम्बरेन्सर रखा गया और डिप्टी सेक्रेट्री १४ थे। उनकी जगह १६ हो गये और एक नये नेशनल सेविंग्ज़ ऑफिसर मुकर्रर किये गये। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि रीज़नल सेविंग्ज़ ऑफिसर भी मुकर्रर किये गये हैं, जो सर्क्यूलर भेजा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो नये प्रोवीज़न किये गये हैं यह करीब दो तीन लाख से कम किये जा सकते हैं, और यह कम किये जाने चाहिये।

टेलीफोन के खर्चे का जिक्र मेरे मित्र ने कर दिया है और इस पर मुझे आशा है कि सप्लीमेन्ट्री माँग के समय जो आश्वासन माननीय मुख्य मन्त्री ने जाँच-पड़ताल का दिया था, इस कट मोशन के समय वे उस जाँच-पड़ताल के नतीजे पर कुछ प्रकाश डालेंगे। एक-एक मन्त्री पर एक-एक महीने में १२००) से १३००) रुपये तक ट्रन्क टेलीफोन का खर्चा आया है। इसके लिये प्रोवीज़न २२ हजार का रखा गया है। उसको काटकर ११ हजार कर दिया जाय, इस तरह से यह कमी पूरी हो जायगी।

अब अन्त में, मैं एक ऐसी चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक भी मन्त्री-मण्डल से है जो यह है कि राजस्थान के अन्दर जो पब्लिक सर्विस कमीशन बना है उस पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट, माननीय उपाध्यक्षजी, आज तक सदन को उपलब्ध नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इसके कारण की छानबीन में जाना तो एक पूरे साइन्टिस्ट का काम बन गया होगा। पर एक बात सही है कि सन् १९५०-१९५१ को रिपोर्ट बहुत पहले श्रीमान् राजप्रमुख के सामने प्रस्तुत करदी गई थी। मैंने इस सिलसिले में इस रिपोर्ट को देने के लिए, माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान के मुख्य सचिव से और कई लोगों से पत्र-व्यवहार भी किया था और उसके उत्तर में यह कह दिया गया कि सन् १९५०-१९५१ की रिपोर्ट तो उस समय के राजप्रमुख, जो उस समय की राजस्थान सरकार के प्रमुख थे यानि इन्हीं राजप्रमुख के सामने प्रस्तुत कर दी गई है। रिपोर्ट दिखाई गई होगी शायद। पर राजप्रमुख तो ऐसी चीज़ है कि जिसकी कन्टीन्युइटी (Continuity) रहती है। यदि उस समय के राजप्रमुख के सामने प्रस्तुत कर दो गई है तो वह पब्लिक डॉक्युमेंट बन चुकी है। वह अब पब्लिक डॉक्युमेंट है, अब वह आम जनता की चीज है और उसे इस सदन की टेबिल पर ही नहीं रक्खा जाए, बल्कि हर सदस्य को उसकी एक-एक कॉपी भी सर्क्युलेट कराई जाए। लेकिन उसको भी आज कॉन्फीडेंशियल डॉक्युमेंट करार दिया जाता है। मैं कहता हूँ कि अगर वह रिपोर्ट राज के प्रमुख की हैसियत से राजप्रमुख के सामने प्रस्तुत करदी गई है और इस प्रकार एक सदन के सामने रख दी गई है तो फिर वह कॉन्फीडेन्शियल डॉक्युमेंट कैसा है, और अगर वह कॉन्फीडेन्शियल

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

डॉक्युमेंट है तो यह सही है कि वह सदन के सामने नहीं रक्खा गया है, चाहे फिर वह कोई भी सदन हो। चाहे यह सदन हो और चाहे उस समय के राजप्रमुख को ही सदन मानकर चला जावे। तो इसलिए एक खामी तो यह है ही कि सदन के सामने यह रिपोर्ट आज तक कभी प्रस्तुत नहीं हुई, फिर चाहे राजप्रमुख का नाम कितना ही लिया जावे। टेकनीकली राजप्रमुख ही लेने वाले और राजप्रमुख ही शासन चलाने वाले हैं, इसलिए प्रस्तुत करदी गई वह राजप्रमुख के सामने, यह मान लिया जावे, पर हकीकत में यह कभी प्रस्तुत नहीं की गई। और इसके बाद मुझे यह कहा गया, माननीय उपाध्यक्ष, लिखित तौर पर कि सन् १९५१– ५१ की रिपोर्ट हाल ही में आई है। यह उत्तर मुझे जुलाई के महीने में मिला है, जुलाई सन् ५३ के महीने में मिला है कि यह १९५१-५२ की रिपोर्ट हाल ही में आई है और उस पर सरकार गौर कर रही है और बहुत जल्दी उसे सदन के सामने पेश कर दिया जावेगा। यह "बहुत जल्दी" शब्दों की मीमांसा और खास कर इस राजस्थान सरकार के इन शब्दों की मीमांसा अभी तक तो कभी हुई नहीं, लेकिन अगर है तो राजस्थान के मन्त्री-मण्डल के माननीय मन्त्री महोदय के "बहुत जल्दी" का तात्पर्य कोई न कोई साल दो साल से भी अधिक हो सकता है; चूँकि जुलाई का महीना चला गया। "जल्दी" करते-करते अब सन् ५४ भी आ गया और अभी तक तो वह प्रस्तुत हुई नहीं है सदन के सामने और बीच में एक अधिवेशन सदन का और हो गया, उसमें भी वह प्रस्तुत नहीं हुई और आज अब भी प्रतुत नहीं की जा रही है।

मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय उपाध्यक्षजी, कि ऐसी कौनसी बात है इस रिपोर्ट में कि उसे पेश करने से वह घबरा रहे हैं, ऐसी कौनसी कार्यवाहियों का हवाला है उसमें कि जिससे राजस्थान सरकार को इतनी शर्म आ रही है इस रिपोर्ट को सदन के सामने पेश करने में; जिससे राजस्थान सरकार का दिल धड़कता है। और यदि यह कहा जावे कि सरकार को एक मेमोरेण्डम तैयार करना है कि किस बात में पब्लिक सर्विस कमीशन की राय क्यों नहीं मानी गई और किस मामले में उसकी राय क्यों नहीं ली गई आदि आदि तो मेरा कहना है कि यह तो कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें इतना समय लगने का सवाल पैदा हो, इसलिए कि साल भर यह काम तो लगातार होता रहता है कि कौनसी रिकमन्डेशन जो पब्लिक सर्विस कमीशन भेजती है वह सरकार मानती या नहीं मानती है तो क्यों नहीं मानती और मानती है तो क्यों मानती है। यह तो उसी समय मालूम हो जाता है जब इस बारे में सरकार का कोई फैसला उस पर करती है और सारा रेकॉर्ड में भी आता रहता है। कोई नया रेकार्ड तैयार करने की जरूरत नहीं रहती है। इस वास्ते मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय उपाध्यक्षजी, कि यह देर अब क्यों है? क्यों नहीं वे इस रिपोर्ट को जल्दी ही इस सदन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? मैं बताऊँ, माननोय उपाध्यक्षजी, इस देर का कारण। वे क्यों नहीं हिम्मत कर रहे हैं इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की ओर क्यों देर कर रहे हैं? इसके लिए ऐसा सुना जाता है कि इस रिपोर्ट में इस सरकार द्वारा अपनाये गये अनडिजाइरेबल (undersirable) तरीकों पर बहुत जबर्दस्त टीका-टिप्पणी की गई है। यह बताया गया है साफ-साफ इस रिपोर्ट में कि किस तरह पब्लिक सर्विस कमीशन की रायों को ठुकरा कर, उनको टालमटोल करके अपोइन्टमेंट्स किये जाते हैं, डिपार्टमेंट्स के जरिये

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सिलेक्शन बोर्ड बिठाते हैं और तरह-तरह के घोटाले करते हैं, गोलमाल करते हैं। इन सब के मुताल्लिक काफी एतराज इस रिपोर्ट में उठाये गये हैं और इसलिए ही इसे पेश नहीं किया जा रहा। पर कैसी भी रिपोर्ट हो, उसको महीनों अटकाये रखना, महीनों तक इस प्रकार इस पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर उस पर बैठ जाना, यह राजस्थान सरकार के लिए शोभास्पद नहीं है और इसलिए अगर उनका हम और कुछ नहीं करना चाहते तो कम से कम मन्त्री लोगों की तनख्वाह में से ही हमें एक रुपये का टोकन कट करना चाहिये। उन लोगों ने इस रिपोर्ट को इस सदन के सामने पेश नहीं करके जो गलत तरीके अख्तियार किये हैं उसका दण्ड हम और कुछ नहीं दे सकते, तो उनकी तनख्वाह में से टोकन कट करके हम अपने अभिप्राय को व्यक्त करना चाहते हैं। और जो तरीके अपनाये जा रहे हैं उनके बारे में, माननीय उपाध्यक्षजी, मेरी राय व्यक्त करने के साथ-साथ और इस माँग को बहुत कम किया जाना चाहिये।

इस माँग को पेश करने के साथ-साथ मेरा यह भी सदन से निवेदन करना है कि इस सवाल पर मतदान होना चाहिये और मतदान करने के पश्चात् जो निवेदन मैं करना चाहता हूँ वह यह है कि श्रीमन् महाराजप्रमुख, राजप्रमुख और उपराजप्रमुख को जो भत्ते दिये जाते हैं और महाराजप्रमुख के और राजप्रमुख के सेक्रेटरियट के लिए जो खर्चा दिया जाता है और महाराजप्रमुख, एच. एच. महाराणा उदयपुर, को पाँच लाख की चैरिटी का भी जो खर्चा दिया जाता है, ये सब के सब आइटम जो हैं, माननीय उपाध्यक्षजी, वोटेड हैं, चार्ज्ड नहीं हैं और वाकई में सरकार के मेरे माननीय मन्त्रियों को अगर यह सब खर्चा रोकना है, उसको कम करना है तो बलवा और केओस (chaos) के डर से घबराने वालों को मैं सूचना दे दूँ कि इस बलवे और केओस की भी कोई सम्भावना नहीं रहेगी, कोई डर नहीं होगा। आप इससे घबरायें नहीं। इस सब की इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। मैं तो आपको सीधा सा और सरल सा रास्ता बताता हूँ। इसमें केवल एक मामूली सी बात की आवश्यकता है और वह यह है कि जब 'हाँ' पक्ष और 'ना' पक्ष की राय की अध्यक्ष द्वारा माँग हो तब इन भारी मदों के खर्चे के लिए आप 'हाँ' करने के बजाय केवल 'ना' कह दें। मात्र इतना सा कह देने से ही और किसी बलवे के और बगैर किसी केओस के बहुत ही सन्जीदा और सरल तरीके से लाखों रुपये को यह बचत की जा सकती है। इसलिए इमानदारी से और दर असल में अगर खर्चा आप कम करना चाहते हैं, तो इस सवाल पर अपना वोट दें और अगर नहीं देंगे तो यही समझा जावेगा कि केवल हव्वा दिखाया जाता है लोगों को केओस का अनारकी (anarchy) का और गड़बड़ी का। दरअसल तो आप स्वयं चाहते हैं इसे। हकीकत में तो समर्थन किया जाता है इन निहित स्वार्थों का कि जिनका समर्थन करना न सिर्फ अस्वाभाविक ही है, बल्कि उन लोगों के लिए, जो एक समय खुद अपनी जबान से इस संस्था के खिलाफ जोर-शोर से आवाज़ उठा चुके हैं, उनके लिए अपनी जबान की खिलाफवर्जी भी होगी।

इसलिए माननीय उपाध्यक्षजी, इस प्रश्न पर मत होने चाहिये ऐसी मेरी राय प्रस्तुत करते हुए जो मैंने सुझाव सदन के सामने रक्खा है उस पर यदि अच्छी तरह से मनन करके अगर सरकार स्वीकार न करे तो माकूल जवाब तो दिया ही जावेगा, यह आशा प्रकट करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन शासन का दिमाग व जान है और इस वक्त जब दिल और दिमाग बीमार है तो वह शरीर वैसे चल सकता है? मैं आपको यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे बहुत सी शिकायतें हैं और उन शिकायतों में से मैं यहाँ थोड़ी सी शिकायतें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ।

सबसे पहली शिकायत तो यह है कि राजस्थान के अन्दर राजस्थान गवर्नमेंट सरकार फन्ड्स को बुरी तरह बरबाद कर रही है। जो इकोनोमी शासन में करनी चाहिए थी वह नहीं की जा रही है और इसके सम्बन्ध में मेरे बहुत से मित्रों ने बहुत सी बातें बताई कि किस-किस तरह से यह सरकार रुपया बरबाद कर रही है। मैं समझता हूँ कि अकेला जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का बजट जो है उसमें से करीब १४ लाख रुपये बचाये जा सकते हैं। लेकिन वह नहीं बचाकर इस वक्त हम इस बात पर तुले हुए हैं कि जिस लत (चाल) में पहले से पड़े हुए हैं, उसमें ही पड़े रहें। पिछले साल मैंने निवेदन किया था बजट के वक्त, चीफ मिनिस्टर साहब को चेलेन्ज किया था कि ३ हजार रुपये जो मोटरों के लिए रखे हैं वह हाउस के लिए धोखा है और उन्होंने कहा था कि बजट सही है। और अब ३ हजार रुपये के बाद रिवाइज्ड जो ५३-५४ का अभी रखा था उसमें २ लाख रुपये की रकम है। तो जैसा कि उन्होंने पहले ३ हजार रुपये रखे थे इस साल ७५ हजार रुपये रखे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि २५०) रुपये माहवार मोटर का दे दिया जाय तो उससे यह जो शिकायत है मेरे बहुत से दोस्तों की वह भी हट जायगी। २५०) रु० काफी हैं। उस २५०)रु० के हिसाब से एक मिनिस्टर के ऊपर ३ हजार रुपये देने पड़ते हैं और ८-१० के २० हजार रुपये हो जायँगे लेकिन ७५ हजार रुपयों में से कम से कम ४५ हजार रुपये की बचत होगी।

इसी तरह दूसरी चीज़ जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप से कि वेस्टेज कहाँ हो रहा है, वह है मन्त्री महोदय के दौरों के ऊपर। इसके लिए हम पिछले दो साल से कोशिश करते चले आ रहे हैं लेकिन इसमें कमी नहीं हो पाती है कॉंग्रेस के मित्रों की हमसे बात होती है तो वे इस चीज को मानते हैं कि हम पार्टी के लोग मन्त्रियों को तंग करते हैं कि हमारे यहाँ उद्घाटन करो और मन्त्रियों को पहुँचना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसको आप बिल्कुल बन्द कर दीजिये। आपके वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। एक प्लान आप बनाइये टूरिंग का और टूरिंग इन्टेन्सिवली (turing intensively) कीजिये। आज जो मिनिस्टर जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वे वहाँ १० बार पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँच कर चले आये। किसी जलसे में स्पीच देकर चले आये, कांग्रेस के वर्कर्स से बात करके चले आये। मैं आपको बताऊँ कि पहले स्टेट्स के मिनिस्टर जिस वक्त टूर करते थे तो एक एक डिपार्टमेंट को इन्टेन्सिवली देखते थे। देहात के दौरे पर जाते थे तो केम्प साथ में होते थे, वे लोगों की शिकायतें सुनते थे। आजकल मिनिस्टर्स दौरों से लौटकर आते हैं, तो इसके बाद कोई रिपोर्ट उनकी शायद ही सबमिट होती हो, केबिनेट को या डिपार्टमेंट के पास लिख कर भेजते हों कि हमने यह-यह गल्तियाँ देखीं, यह सुधार होना चाहिये। तो मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ और पहले भी मैंने कहा था राजप्रमुख के भाषण के वक्त कि दौरों की तादाद मुकर्रर कर

[श्री गोपीलाल यादव]

दी जाय। एक मिनिस्टर एक साल में कई एक डिस्ट्रिक्ट्स का टूर कर सकता है। जो कुछ भी हो इस तरह से हो सकता है। आप ८-१० मिनिस्टर हैं तो हरेक डिस्ट्रिक्ट में साल में कम से कम चौथे महीने में एक मिनिस्टर पहुँच जायगा। वह इन्टेंसिवली हरेक डिपार्टमेंट के कामों को देखे और जो गल्तियाँ मिलें वे उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को भी भेज दें और उसको हैड्स ऑफ दी डिपार्टमेंट्स को भी भेज दें, और जिनको वह ठीक कर सकें उनको करें। इस तरह से बहुत सारे काम बच जायँगे और खर्च कम हो जायगा और लोगों की शिकायतें दूर होंगी।

इस तरह से, राजप्रमुख और महाराजप्रमुख के संबन्ध में मेरे मित्रों ने काफी कहा और इस पर मैं भी इतना निवेदन कर देना चाहता हूँ कि उनसे ही अगर आप यह प्रार्थना करेंगे कि आप प्रिवी पर्स कुछ न लीजिये तो वे सारी की सारी छोड़ देंगे और आपकी दिक्कत हल हो जायगी और यह रकम बच जायगी। प्रिवीपर्स कुछ ड्युटीज़ के लिए मुकर्रर होती है न कि राज छोड़ा है इसलिये। वह अब भी रूलर्स बने हुये हैं। क्वीन ऑफ इङ्गलैंड को जो प्रिवीपर्स दिया जाता है, तो वह क्वीन की ड्युटीज़ करने के लिए दिया जाता है, क्वीन होने के लिए कोई भत्ता नहीं दिया जाता है। इसके लिए आप उनसे कह सकते हैं। वह ठीक हो सकता है। यह वेस्टेज़ बन्द होना चाहिये।

इसके अलावा दूसरी चीज़ के विषय में जो मेरी शिकायत है वह यह है कि न तो हम काम करते हैं और न हम अपने मुलाजिमों से, अपने सबोर्डिनेट्स, से काम लेना जानते हैं जिसका नतीजा यह हो रहा है कि काम बिल्कुल टप्प है। कई आदमी मुझे ऐसे मिलते हैं, वह यह कहते हैं कि हमने ६-६ दफा अपने कागज बनाकर भेजे, लेकिन छहों दफा ही खो गये, पता नहीं चलता है, चिट्ठी का जवाब नहीं दिया जाता है। मेरा २ साल से एक पर्सनल केस मैंने अभी तक बतलाया नहीं लेकिन आज सिर्फ उदाहरण के तौर पर, शिकायत के तौर पर नहीं, बतलाना चाहता हूँ। मैंने अपना एक मकान गर्ल्स स्कूल के लिए दिया था। उसका किराया ७ महिने का बकाया था, सन् ४८ का। उसके लिए मैं हर साल एक चिट्ठी लिख देता हूँ। लेकिन आज तक किसी साल भी को जवाब कभी भी नहीं मिला कि क्या चीज़ है। तो मेरी चिट्ठी का ही जब यह हाल है तो आप ही बतलाइये कि दूसरे लोगों का क्या हाल होगा? इसके अलावा मैंने एक बीमा कम्पनी को एक चिट्ठी लिखी तो दूसरे दिन ही मेरे पास जवाब आ गया और किसी फर्म को लिखते हैं तो तीसरे दिन जवाब दे देते हैं तो क्या कारण है कि आप लोग अपने ऑफिसेज को, उन लोगों की लाइन्स पर नहीं डाल सकते हैं, जिन लाइन्स पर कॉमर्शियल फर्मों के आफिसेज़ हैं। जब तक आप काम नहीं करते हैं, काम ठीक नहीं हो सकता। आपने उनके अपने क्लार्कों के सुपरिन्टेन्डेन्टों के कामों को कितनी दफा देखा है, उनकी आलमारियों को चेक किया है कि उन्होंने कितने पुलिन्दे कागजों के वहां पटक रखे हैं और उनमें दियासलाई लगा दी जाती है। आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा।

इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक हार्टलेस मशीन (heartless machine) की तरह काम कर रहा है। सबसे मुख्य मैं पेन्शनों का

[श्री गोपीलाल यादव]

सवाल लेता हूँ। पिछले साल मेरे मित्र चीफ मिनिस्टर साहब ने यह वायदा किया था कि ६ महिनों के अन्दर-अन्दर वे पेन्शनों का सवाल खत्म कर देंगे, लेकिन आज भी वह उसी तरह से पड़े हुए हैं, उनको पेन्शनें नहीं मिल रही हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हैड आफ दी डिपार्टमेंट को क्यों नहीं इन्स्ट्रक्शन्स दी जाय कि हरेक क्लेम को १५ दिन के अन्दर अन्दर-बनाकर भेज दें और पास करा लें। इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि यूनिट् के कागजात नहीं मिले। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ आपसे उस सम्बन्ध में कि वह ५५ साल के हो गये या उनकी सर्विस ३० साल की हो गई, यह कागज कहाँ से आ गये। जब यह कागज नहीं मिलते हैं तो उनको पेन्शन क्या मिलने वाली है? हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट से लोग रिटायर हो जाते हैं तब तक कागज नहीं आते हैं। आपको एक-एक हजार मिलते हैं दो-दो हजार टी. ए., डी. ए. के हो जाते हैं फिर भी तनख्वाह में देरी हो जाय, तो भी आप कहने लगते हैं। तो किसी आदमी को रिटायर करते हैं सर्विस से तो वह दूसरे महीने में क्या खायेगा? नतीजा यह होता है कि करप्शन चलता है जिसके लिये चारों तरफ से आज आवाजें आ रही हैं। हरेक सरकारी मुलाजिम यह समझता है कि मैं रिटायर होऊँगा तो पाँच साल तो मुझे जब पेन्शन नहीं मिलेगी, तो मैं क्या खाऊंगा, इसलिये कुछ तो जमा करके रखो। करप्शन का मुख्य कारण यह है तो महरबानी करके इस चीज़ को छोड़ें, नहीं तो खर्च बढ़ जायगा। आप अपनी तनख्वाहें नहीं लें, लेकिन पेन्शन वालों को जरूर दें?

इसी तरह से दूसरी जो हार्टलेस चीज़ है वह भी मैं निवेदन करता हूँ। वह है कि छोटे मुलाजिमों को जो तनख्वाह देते हैं, छोटे-छोटे मुलाजिमों को जो तनख्वाह २५) रु० देते है और कुछ एलाउन्स देते हैं, इस तरह उनको ४०) रु० देते हैं तो ४०) रु० में उनका काम नहीं चलता है। आप बचत कीजिये, दूसरे फिजूल खर्चों को दूर कीजिये, कुछ रुपये बचाये जायँ और उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय। उनके लिए कुछ चीफ शॉप खोलें। जो पहले ग्रेन शॉप थी वैसी ही ५०) रु० से कम पाने वाले मुलाजिम जो हैं उनको ८५ सेर का गेहूँ दिया जाय उनके लिए ८२ सेर की चीनी दी जाय, कुछ कपड़ा सस्ता किया जाय, ताकि उनका काम चले। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आदमी पर कितना असर होता है जबकि सेन्ट्रल डिपार्टमेंट एकाउन्टेन्ट जनरल का और ऑडीटर जनरल का, जहाँ कि चपरासी को ८०) रु० मिलता है और यहाँ के चपरासी को उनके नीचे ही दफ्तर में ४०) रु० मिलता है। वह भी वही काम करता है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट यह समझती है कि ८०) रु० से कम में काम नहीं चल सकता है तो आप ही क्यों समझते हैं कि इससे काम चल सकता है।

इसके अलावा दूसरी चीज़ जो मुझे निवेदन करनी है आपसे वह है कि लेक ऑफ प्लानिंग (lack of planning) है आपके एडमिनिस्ट्रेशन में। आप हेप्हेजार्ड वे (hap-hazard way) से चल रहे हैं। कोई आपके पास आये और आपसे कहे कि हमारे लिये एक कमेटी बना दो, कोई कहे बेदखली का प्रबन्ध कर दो, किसी ने कहा सीलिंग कर दो, तो आप करने को तैयार हो जाते हैं। किसी ने आपसे कहा कि राजप्रमुख से एक ऑर्डिनेन्स निकलवा दो जिसके द्वारा काश्तकारों से ¼ भाग वसूल कर सकें और आपने ऐसा ही कर दिया और उसका रीज़न (कारण) यह दिया कि एसेम्बली सेशन में नहीं थी इसलिये ऑर्डिनेन्स निकालते हैं। ५ तारीख को एसेम्बली का अधिवेशन

Page No.59

[श्री गोपीलाल यादव]

होता है और ३ तारीख को आप यह ऑर्डिनेन्स निकलाते हैं। आप किसानों को देहात में तंग करना चाहते हैं, यह इल्जाम है मेरा आपके ऊपर। शहरी तबके का आप पीछा नहीं करते। शहर के आदमी चार हजार रुपयों की इनकम (आय) तक इनकम टैक्स फ्री (Income Tax free) रह सकते हैं, लेकिन देहात के मामूली आदमियों पर भी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगा रहे हैं, उन पर रेन्ट ज्यादा लगा रहे हैं, सर्विसेज़ में उनको कोई हक नहीं देना चाहते और उनको हर तरह से परेशान करते जा रहे हैं। इसके अलावा मैंने पहले भी एक चीज़ कही थी और आज भी उसको दोहराता हूँ कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन लॉलेस (Lawless) हो रहा है। आपको किसी कॉंग्रेसी को जमीन देनी है तो पुराने ४० साल से जिसका कब्जा है उससे आप छीन लेते हैं और दूसरों को एलॉट कर देते हैं। इसके लिये मैं आपको शाहपुरा की कल्याणीदेवी और लादूराम व्यास, जो एक कॉंग्रेस कार्यकर्त्ता हैं, उनका उदाहरण देता हूँ। उस कॉंग्रेसी कार्यकर्त्ता को जमीन देने के लिये एक ४० साल के कब्जे वाले आदमी को बरबाद किया जा रहा है। इन्हीं बातों को लेते हुए जो-जो कट मोशन्स मेरे मित्रों ने दिये हैं उनका सपोर्ट करता हूँ और मेरे कट मोशन को पेश करता हूँ।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्रीजी ने, जब विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने श्रीमन् राजप्रमुख, उपराजप्रमुख व महाराज प्रमुख, के अलॉउन्स के बारे में आपत्ति उठाई थी उस वक्त, यह कहकर सदन को विश्वास दिला दिया कि संधियों के प्रतिकुल जाना इस सरकार के लिए और इस सदन के लिए दोनों के लिए शोभाजनक नहीं कहा जा सकता। दूसरे लोगों पर इस प्रकार प्रभाव डालना बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन हमारा जो अब तक का कार्यकाल है उसको यदि सामने रखकर देखें तो हमें अवश्य मालूम होगा कि जो-जो संधियां थीं, जो-जो वादे किये थे उनको हमने किस प्रकार से कार्यरूप में परिणित करने का अपने ऊपर भार उठाया है और उसमें सफलता प्राप्त की है। आपने इसी जनता से वादा किया था कि हमारे देश में कोई भूखा नहीं रहेगा, हमने यह वादा किया था कि जनता में से कोई बेकार नहीं रहेगा तथा किसी के लिये कपड़े की कमी नहीं होगी और किसी आदमी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा? एवं यहाँ पर पूर्णतया राम-राज्य होगा। उसे वादा कहें या जनता के साथ वोट लेने की संधि कहें। वोट लेने की संधि के लिये जो कार्य किया उसे संधि समझें या कुछ भी समझें, मैं उन तीनों चीज़ों में कोई अन्तर नहीं समझता। मैं यह कहूँगा कि राजस्थान सरकार ने या सत्ता-धारियों ने जो संधि के वादे किये उनमें वे बिल्कुल असफल रहे और जब विरोधी दल के सदस्य इस बारे में कुछ कहते हैं तो उन्हें यह बात कही जाती है कि सरकार और सदन के लिये किसी प्रकार की संधि के प्रतिकूल कार्यवाही शोभनीय नहीं कही जा सकती। इस पर भी आपने एक रास्ता निकाल लिया है। वह रास्ता निकाला है हमारे प्रधान मन्त्रीजी ने। जब आर्थिक संकट के कारण आर्थिक विषम स्थिति पैदा हो जाती है उस वक्त माननीय प्रधान मन्त्रीजी राजाओं से अपील करते हैं कि उनको जो अलाउन्सेज़ प्रीवी-पर्स के तौर पर मिल रहे हैं उनमें वे स्वेच्छा से कुछ कटौती करें। उस अपील के बाद जितने राजा हैं वे सब एकत्रित होकर प्राधान मन्त्री महोदय को खुश करने के लिये यह लिख कर भेज देते हैं कि हमने इस वर्ष इतनी कटौती की या हम इतनी कटौती स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं, इसे स्वीकार किया जाय और वह कटौती स्वीकार होती

[श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)]

है और उनको धन्यवाद दिया जाता है। यही नीति यदि राजस्थान सरकार अपनावे तो वह संधिपत्र के अनुकूल ही कही जा सकती है और वह जनप्रिय बन सकती है और जो पैसा राजाओं को मिल रहा है उसका भी सदुपयोग हो सकता है। इस प्रकार की प्रेरणा हम जागृत कर सकते हैं लेकिन उसके लिये त्याग की आवश्यकता है, कुछ साहस की आवश्यकता है। उसके लिये खुशामद की आवश्यकता नहीं है, उसके लिये भारत सरकार की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिये आवश्यकता होती है जनता के समर्थन की और उसी के आधर पर कार्य करने की। मुझे सत्ताधारी दल में कुछ अभाव प्रतीत होता है, वरना भारत के प्रधान मन्त्री ने राजाओं से अपील की थी। उसी तरह सत्ताधारी दल के नेता सदन का विश्वास प्राप्त करके राजाओं से अपील करते कि लाखों रुपये आपको मिल रहे हैं, आप उनमें धीरे-धीरे कटौती करें। मैं समझता हूँ, आज तक बराबर अपील की जाती तो यह मौका नहीं आता जिससे हम हेरिडेटरी अलाउन्स (hereditary allowance) देने को मजबूर होते। राजप्रमुख के पास कोई काम नहीं है और न वे काम में दिलचस्पी लेते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि महाराज प्रमुख किन्हीं कागजों पर दस्तखत नहीं करते होंगे फिर भी उनको ६ लाख रुपये मिलते हैं। मान लीजिये राजप्रमुख तो खास-खास कागजों पर दस्तखत तो करते हैं लेकिन महाराजप्रमुख एक सौ कागजों पर भी दस्तखत नहीं करते। यदि मान लें कि वे एक सौ कागजों पर दस्तखत करते हैं, तो उनको एक दस्तखत के पीछे ६००० रुपये मिलते हैं, वे भी सिर्फ दस्तखत करने के लिये नहीं बल्कि चपरासी, क्लर्क या पी. ए. द्वारा उनके दस्तखतों की मोहर लगाने के। यदि बेकारी की समस्या रोकने के लिये ६ लाख रुपये देते, तो उससे दो सौ आदमियों को ५०) रुपये माहवार के हिसाब से मिल सकता था। उससे दो सौ आदमियों का जीवन-निर्वाह का साधन वह रकम बन सकती है। मैं कहूँगा कि जैसा कि गोपीलालजी ने कहा वे राजाओं से अपील करें। पहले सदन का सहयोग प्राप्त करें और फिर हम सब चलकर राजप्रमुख या महाराजप्रमुख या उपराजप्रमुख के पास जाकर उनसे अपील करें, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि हम खाली हाथ कभी नहीं लौटेंगे, बल्कि एक दो लाख की कटौती करवा कर ही आयेंगे। हमारे राजा-महाराजा बहुत उदार हैं। उसी उदारता के कारण उन्होंने अपनी-अपनी रियासतें ही छोड़ दीं, तो ६ लाख रुपयों का मोह उनको नहीं है। वे मजबूर हो जायेंगे कि जनता के प्रतिनिधि उनसे माँगने आये हैं, तो उनको अवश्य देना चाहिये और कुछ कटौती स्वीकार करनी चाहिये।

दूसरा प्रस्ताव मेरा था पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। पता नहीं वह कट मोशन क्यों नहीं आया। पी. एस. सी. के बारे में श्री एच. के. व्यास ने कुछ बातें बताई थीं। उन्होंने कहा था कि पी. एस. सी. की रिपोर्ट इस अधिवेशन में पेश नहीं की गई, लेकिन बार-बार यह देखने में आता है कि पी. एस. सी. की रिपोर्ट इस सदन में या पब्लिक (जनता) के सामने न होने के कारण आज गरीब जनता पर किस प्रकार की ज्यादती की जा रही है। आज देखते हैं कि राजपत्र में या कुछ अखबारों में, जिनको राजस्थान सरकार की ओर से कुछ प्रकाशन मिलता है, कई जगहों के एडवरटाइजमेन्ट्स (विज्ञापन) निकलते हैं जो २०) रुपये मासिक वेतन की जगहों के लिये होते हैं या ३०) रु० या ४०) रु० या ५०) रु० मासिक वेतन की जगहों के लिये या टेक्निकल जोब्स (Techmical Job)

[श्री भैरूँ सिंह (वि० सं० १६)]

के लिये निकलते हैं जिनके योग्य विद्यार्थी हमारे यहाँ कम मिलते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ wants बहुत कम निकलता हैं और जब मालूम करते हैं तो पता चलता है कि सौ रुपयों पर या दो सौ पर या चार सौ पर फलां आदमी का अपोइन्टमेन्ट हो गया है और जब पूछते हैं तो पता चलता है कि यह अपोइन्टमेन्ट पी. एस. सी. को कंसल्ट किये बिना ही हो गया है क्योंकि कोई मिनिस्टर या कोई हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट एडहॉक बेसिस (ad-hoc basis) पर छः महीनों के लिये तो जिसकी चाहे नियुक्ति कर सकते हैं और बाद में पी. एस. सी. से approve कराते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक मानी हुई चीज है कि राजस्थान के मन्त्रीमंडल द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, किसी आदमी की नियुक्ति हो जाती है तो उसको चेलेंज करना पब्लिक सर्विस कमीशन के हिम्मत के बाहर की बात है। फिर भी राजस्थान के इस पब्लिक सर्विस कमीशन ने राजस्थान सरकार की कई नियुक्तियों के बारे में स्पष्ट, एक दफा नहीं बीसियों दफा, चेतावनी दी है कि आप जितनी नियुक्तियाँ करते हैं वे उन क्वालिफिकेशन्स की पूर्ति करते हुए नहीं करते जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नियुक्त किये जाने की सूरत में आवश्यक होती हैं।

आप हर एक डिपार्टमेंट को ले लीजिये, सेक्रेटेरियेट को ले लीजिये, पी. डब्ल्यू. डी. को ले लीजिये, इरिगेशन को ले लीजिये, सब डिपार्टमेंट्स में जो एपोइन्टमेंट्स होते हैं उनके छः महीने बाद एप्रूवल होते हैं और बावजूद इसके कि पब्लिक सर्विस कमीशन एप्रूवल नहीं दे, वे लोग राजस्थान सरकार के मुलाजिम यों के यों बने बैठे हैं। जैसा कि माननीय मित्र वेदपालजी त्यागी ने बताया था, उसी तरह शायद किसी एक इन्जंक्शन (injunction) के द्वारा वे लोग राजस्थान सरकार के मुलाजिम होने से बन्द नहीं होते। (घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष—आप जरूरी बातों पर ही बोलिये।

श्री भैरूँ सिंह—मैं जरूरी बातों पर ही बोल रहा हूँ। अब मैं मन्त्रियों के खर्चे के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। इस सदन के करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने मिनिस्टरों के खर्चे के लिए न सिर्फ तीव्र आलोचना ही की है बल्कि कइयों ने तो उनकी अपने कामों में असफलता के रूप में उनकी तनख्वाह में कटोती की सदन से अपील की है। माननीय उपाध्यक्ष, जहाँ तक मिनिस्टरों की सेलेरी (वेतन) का प्रश्न है, गत वर्ष में १० मिनिस्टर दिखाये गये हैं और इस साल दिखाये गये हैं ८ मिनिस्टर और २ डिप्टी मिनिस्टर। गत वर्ष मिनिस्टरों पर १,०५,२४२) रुपयों का खर्च था और इस वर्ष १,१५,२००) रुपया रखा है इस प्रकार १०,०००) रुपयों की वृद्धि की गई है। २ डिप्टी मिनिस्टर कम किये गये तो मिनिस्टरों का खर्चा १,०५,०००) रुपयों से कम होना चाहिए था, परन्तु उल्टा बढ़ाकर १,१५,२००) रुपयों का खर्चा रखा गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह वृद्धि क्यों की गई है? क्या आज जो राजनैतिक उथल-पुथल राजस्थान में मच रही है उसको ठीक तरह से

[श्री भैरूँ सिंह वि० सं० १६]

बैठाने के लिए मन्त्री महोदयों की संख्या बढ़ाई जायगी ? इस इरादे से यह वृद्धि की गई है या जो परिवर्तन हमारे सन्निकट आ गये हैं उनमें किसी तरह का घुन न आ जाय, उसको रोके रखने के लिये बजट में प्रोवीज़न रखा गया है ताकि ऐसी आवश्यकता पड़ने पर मन्त्री-मण्डल में Extention हो सकता है, यह ख्याल सब को बना रहे ?

मिनिस्टरों के खर्चे में सबसे ज्यादा खर्चा मिनिस्टरों के टी. ए. का है। माफ कीजिये, मुझे तो स्पष्ट कहना पड़ेगा कि मन्त्री महोदयों के दौरे राजस्थान सरकार के अधिकारियों की जाँच के लिए या सरकारी विभागों की जाँच के लिये नहीं बल्कि अपनी कांग्रेस पार्टियों के प्रचार के लिये किये जाते हैं। इसके सबूत हैं, एक-एक दौरा इनके सबूत हैं। जहाँ भी मन्त्री महोदय दौरे पर जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में जाते हैं, वर्किंङ्ग कमेटी की मीटिंग करने के लिये जाते हैं, किसी तरह की कोई बात काँग्रेस पार्टी को कन्वे (convey) करनी होती है तो वो कन्वे करते हैं। यदि कहीं म्युनिसिपैलिटी के चुनाव-उपचुनाव होते हैं तो वहाँ जाकर भाषण देते हैं और वापिस आकर कहते हैं कि हमने सरकारी काम के लिए दौरे किये हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि मिनिस्टर महोदय सारी कमिश्नरियों के दौरे करें और वहाँ जाकर वे ऐलानियाँ कहें कि हमें राजस्थान की जनता की तकलीफें दूर करनी हैं और वहाँ की जनता की तकलीफों को सुन कर दूर करें तो अवश्य राजस्थान की जनता की तकलीफें कम होंगी, इन तकलीफों में वृद्धि नहीं होगी। (घण्टी)

अभी हाल ही में राजस्थान के एक मन्त्री महोदय ने सीकर का दौरा किया। उन्हीं दिनों शहर के छात्रों और प्रिन्सिपल एवं अधिकारियों के बीच संघर्ष हुआ, संघर्ष बढ़ा और कई एक के चोटें आई। उस दिन सौभाग्य से एक मन्त्री महोदय भी वहाँ पहुँच गये। लड़कों ने अपील की, सरकारी अधिकारियों ने भी अपील की, मैं भी वहाँ उपस्थित था, मैंने भी अपील की। उन्होंने यह कह कर बात टाल दी कि मैं जल्दी से इसका निर्णय नहीं कर सकता। उन्हें चाहिये था कि छात्रों का जो मामला है, इनके इम्तिहान के दिन नजदीक हैं, छात्र कहीं इम्तिहान से वंचित रह जायेंगे, इसलिए जल्दी ही इस मामले का निबटारा करते। पर इसकी उनमें हिम्मत नहीं थी क्योंकि दूसरी पार्टी जो छात्रों से मुकाबला करने वाली थी, वह इस सदन के एक सदस्य के नेतृत्व में थी जो मन्त्री महोदय की पार्टी के एक सदस्य हैं, चाहे वे मन्त्री महोदय आज सदन में भले ही इस चीज़ से इन्कार कर दें। (घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट और। उस वक्त मन्त्री महोदय ने उनका ख़याल किया जिनकी बात को लेकर छात्रों में असंतोष है। उन्होंने इस चीज़ को बुरा समझा, और अब भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है बल्कि जो लड़का इस माँग को लेकर आगे बढ़ा था उसको रेस्टीकेट (Rusticate) कर दिया गया है।

इस कटौती प्रस्ताव को रखकर मैं तो अपील करूँगा कि मन्त्री महोदय अगर यह सोचें कि राजस्थान में यदि उनके दौरे नहीं होंगे तो राजस्थान में काँग्रेस का पतन हो जायगा, तो मैं तो यही

[श्री भैरूँसिंह वि० सं० १६]

प्रस्ताव करूँगा कि इस काम के लिए एक और नया मन्त्री रख लिया जावे, चाहे उसका नाम दौरे करने वाला मन्त्री रखा जावे, चाहे कॉंग्रेस प्रचार मन्त्री रखा जावे या कुछ और हम समझ लेंगे कि कॉंग्रेस की सरकार है, अपनी पार्टी के लिए, कॉंग्रेस के प्रचार के लिए सरकार कुछ पैसे का उपयोग करना चाहती है, तो कर सकती है। इस नाम से अगर राजस्थान के मन्त्री कॉंग्रेस का प्रचार करलें तो कोई बात नहीं, कोई एतराज नहीं, परन्तु कॉंग्रेस के मन्त्री (मिनिस्टर) होते हुए डौंडी इस बात की पीटें कि हम तो पक्षपात का रवैया नहीं रखते, सब को समान, बराबर समझते हैं, और फिर कॉंग्रेस पार्टी का प्रचार करें; यह न तो सरकार के लिये शोभनीय बात है और न इस सदन के लिये ही शोभा की बात है।

दूसरा राजस्थान सिविल सेक्रेटेरियेट के बारे में आज एक कट-मोशन मेरी ओर से था। आज सबसे बड़ी खुशी तो यह हुई कि राजस्थान के एक भूतपूर्व मन्त्री ने सर्विसेज़ के एकीकरण को लेकर सरकार की कटु आलोचना की। मैं समझता हूँ कि उन्होंने आलोचना की दृष्टि से आलोचना ही की है। उन्होंने मन्जूर किया है कि अगर असन्तोष को दूर करना है तो सर्विसेज के एकीकरण में जो तरीका अख्तियार किया गया है उससे दूसरा तरीका अख्तियार किया जावे और किसी तरह सर्विसेज़ में सन्तोष हो सके। ऐसा तरीका अख्तियार करें। यह केवल कहने की बात ही है। करने की बात होती तो यदि राजस्थान सरकार ऐसा करने को तैयार नहीं तो वे मेरे माननीय मित्र उधर से इस ओर आकर सरकार की आलोचना करते। यदि उनमें साहस है और वह यह जानते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी में रहकर सरकार की आलोचना करने से काम नहीं चल सकता, तो माननीय सदस्य उधर से इधर आ जायेंगे और फिर सरकार की आलोचना करेंगे। इस तरह वे समाज की जबर्दस्त सेवा कर सकेंगे।

Secretariat के आँकड़े देखे जायं तो चीफ सेक्रेट्री, एडीशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेट्रीज, डिप्टी सेक्रेट्रीज, एसिस्टेन्ट सेक्रेट्रीज आदि ४४ ऑफिसर्स के ऊपर ३,८५,६०१) रुपया खर्चा बताया गया है। इसमें किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं हो, ऐसा कहा जाता है। तनख्वाह में भी कोई भेद नहीं होना चाहिए। बजट में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि सेक्रेटेरियट के ४४ अफसरों के लिए ३ लाख ८५ हजार रुपये रखे गये हैं और दूसरी तरफ सेक्रेटेरियट के स्टाफ के लिए जो २५१ आदमी हैं एक लाख और कुछ रुपया रखा गया है।

आप देखेंगे कि ४४ आदमियों के लिए ३ लाख ८५ हजार रुपया रखा गया है उधर २५१ आदमियों के लिए इतना कम। वे भी आदमी हैं। उनको भी अपने बाल बच्चों को पालना है, उनको भी खाना है, कपड़े पहनने होते हैं, बच्चों को भी पालते हैं। आप उनको भी मानवता के नाते से देखें और फिर विचार करें कि आखिर यह असमानता क्यों ? आप काबलियत के लिहाज़ से कुछ ज्यादा ले सकते हैं, मगर इतना अन्तर क्यों ? एक तरफ १ लाख २५ हजार और दूसरी तरफ ३ लाख ८५ हज़ार। इतना बड़ा अन्तर !! इसलिये मैं तो यह कहूँगा कि सरकार को ऐसे स्टेप्स (steps) लेने चाहिए जिनसे किसी प्रकार का विशेष भेद-भाव न हो सके। चपरासी जो सुबह ५ बजे

[श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)]

से १२ बजे तक काम करता है, वह आपके मकान पर काम करता है, उसको आप ५०) रुपए देते हैं। वह १० बजे से ४ बजे तक काम करता है। आप भी दफ्तरों में १० बजे से ४ बजे तक काम करते हैं। इस बीच में आप लोबीज़ में चले जाते हैं, रेस्ट रूम में चले जाते हैं और फिर दो-तीन घन्टे काम करके १५००) या १८००) लेते हैं। वह बेचारा चपरासी जो दिन भर काम करता है, वह फराश जो आपके यहाँ झाड़ू लगाता है उसको आप २०) रुपये माहवार देते हैं? यह भेदभाव क्यों? यह भेदभाव नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार का वर्ग भेद जो उत्पन्न हो गया है उसको किसी भी प्रकार से कम किया जावे और जब यह वर्गभेद कम हो जावेगा तो न तो कोई राजस्थान के मन्त्रियों को और न कोई अफसरों को बुराई सुननी पड़ेगी। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के कारण मैं इतना ही कहकर अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्षजी, मुझसे पहले बोलने वाले कई मित्रों ने महाराजप्रमुख, राजप्रमुख, मन्त्रियों और सेक्रेट्रीज़ पर काफी आलोचना की है। मैंने भी अपना कट मोशन दिया है और मैं भी कुछ अपने विचार इस सम्बन्ध में व्यक्त करना चाहता हूँ। जिस समय हम स्वराज्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उस समय महात्माजी यह कहते थे कि स्वराज्य से हमें बहुत सुख होगा। लेकिन मैंने भी अब अनुभव किया, मुझे भी यह अनुभव बहसियत एक मिनिस्टर व बहेसियत धारा सभा के सदस्य के हुआ है और मैंने यह अनुभव किया कि स्वराज्य से पहले जिस प्रकार कुर्सियों पर अंग्रेज, गोरी चमड़ी वाले बैठा करते थे वहाँ पर आज सफेद टोपी के लोग बैठे हैं और किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमारे शासन में नहीं हुआ है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—इस वक्त तो धोली टोपी मालूम नहीं होती।

श्री वेदपाल त्यागी—और अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों के हाथ में राज्य की बागडोर है वे उसे संभाल नहीं सके और उसका काम न कर सके। जो आश्वासन उन्होंने स्वराज्य बनने के बाद शासन के सुधार के लिये दिये थे उन्हें वे पूरे नहीं कर पाये। जिस चीज को वे बदलना चाहते थे, नहीं बदल सके। उसका नतीजा यह है कि लोगों के दुख-दर्द और बढ़ गये, बजाय इसके कि वे स्वराज्य में घटते। वे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण राज्य में लोगों का जो विश्वास था वह कम होता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो हमारे बजट में रकम रखी गई है, हमारे सामान्य प्रशासन के लिए उसमें सिर्फ एक चीज़ (राजप्रमुख और उनके दफ्तर आदि) को रखने के लिए १३½ लाख रुपया खर्च किया जाता है; सिर्फ उनकी डिग्निटी को कायम रखने के लिए यह रकम खर्च की जाती है। उनका सेक्रेटेरिएट अलग है। जबकि हमारा प्रान्त बहुत गरीब है, हम लोग लगातार ५ वर्षों से इस बात को देखते आ रहे हैं और इस बात की माँग करते आ रहे हैं कि हमारे पास पैसों की कमी है और इस साल भी जब रिवाइज्ड एस्टीमेट हमारे सामने आवेंगे तो उस समय यह पता लगेगा कि सेन्टर से हमको कितनी मदद मिलनी चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि

[श्री वेदपाल त्यागी]

हमारी राजाओं के साथ जो संधियें हुई हैं उनको न माना जाये। हमने उनको जो वचन दिये हैं उनको हमें निभाना चाहिये, लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि राजनैतिक संधियों का भार कभी भी किसी प्रान्त की सरकार पर न रहना चाहिये। वह न रहा है और न कभी रहेगा। इस प्रकार के खर्चे का भार भारत सरकार पर ही होना चाहिये। इस प्रकार महाराजप्रमुख और राजप्रमुख को जो रुपये दिये जाते हैं उनको भारत सरकार के जिम्मे रखना चाहिए। चाहे किन्हीं खास पोलिटिकल कारणों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया गया हो, मगर इस खर्चे को भारत सरकार को अपनी पोकेट से देना चाहिये और यह भार किसी भी हालत में राजस्थान सरकार पर नहीं होना चाहिए।

दूसरी तरफ माननीय मंत्रियों पर मोटरों के बारे में काफी आक्षेप हुए और मेरे मित्र श्री हरिकृष्ण व्यास ने कहा कि ईर्ष्या के भाव से ही मोटरों का खर्चा कम करना चाहिये। मैं कहूँगा कि ईर्ष्या इन लोगों से नहीं हुआ करती, इनसे तो प्रेम होता है। वे यह कहते हैं कि मोटर कार भेज दें, मोटर कार आ जाती है, मगर वास्तव में आपके यह खर्चे प्रोपोर्शनेट (proportionate) होने चाहिये। मिनिस्टरों की कारों पर जितना खर्चा हो वह तनख्वाह के हिसाब से होना चाहिये। यदि आपके ६० गैलन माहवार के खर्च के कथन में कुछ भी सत्यता हो तो आपको इसकी जाँच करानी चाहिये कि जो ६० गैलन पेट्रोल शहर में घूमने के लिए मिनिस्टरों के लिए रखा गया है वह कहाँ तक वाजिब है। आप देखेंगे कि जयपुर जैसे छोटे से शहर में घूमने के लिए मिनिस्टरों के लिए ६० गैलन पेट्रोल की आवश्यकता है तो फिर दिल्ली और दूसरे बड़े-बड़े शहरों के लिये तो मिनिस्टरों के घूमने के लिए बहुत ज्यादा पेट्रोल की जरूरत होगी। मगर आप देखेंगे कि दिल्ली जो बहुत बड़ा शहर है और जहाँ के मन्त्रियों को बहुत ज्यादा काम करने पड़ते हैं वहाँ फॉरिन रिप्रेजेन्टेटिव्ज आदि भी रहते हैं और ऑफिसेज़ भी बहुत हैं, उनको कई जगह जाना पड़ता है, उनको केवल २५०) रुपये माहवार एलाउन्स मिलता है। मैं यह निवेदन करूँगा कि जिस तरह पहले एक बिल पेश हुआ था और उसमें गाड़ियें मिनिस्टरों को लोन से खरीदने की बात थी कि वे अपनी तनख्वाह से लोन लेकर खरीद लें और २५०) रुपये मासिक कार एलाउन्स ले लें, तो मैं यह समझता हूँ कि वह बहुत अच्छा और ज्यादा उपयुक्त होगा। इससे वे उन पर होने वाले कटाक्षों से बच जावेंगे और इस चीज़ को महसूस करने लगेंगे कि यह चीज़ हमारी है इसलिए इसकी हिफाजत की जावे। अभी तो वे यह सोचते हैं कि गाड़ी दूसरे की है, पेट्रोल दूसरों का है, अतः उनको घूमने में कोई दर्द नहीं होता। जब गाड़ी घर की होगी तो अपने आप दर्द होगा और वे यह सोचेंगे कि गाड़ी खराब नहीं की जावे।

इसके अलावा माननीय मन्त्रियों के टी. ए. और डी. ए. में जो खर्चा आता है वह इस बात को बताता है कि कितना खर्च होता है। मैं यह जानता हूँ कि बहुत से मन्त्री जल्दी-जल्दी दौरा करते हैं, मगर वह दौरा सरकार के काम के लिए नहीं होता। उस दौरे में या तो उनका खुद का काम होता है या उनकी पार्टी का काम होता है और इसीलिए दौरा किया जाता है।

हमारी सरकार को इस डेमोक्रेसी में स्वस्थ परम्पराएँ डालनी चाहिये। इसका उत्तरदायित्व भी हमारी सरकार पर ही है। इसलिए उनको चाहिये कि जब भी वे दौरा करने जाएँ तो किसी पार्टी

[श्री वेदपाल त्यागी]

का काम बिल्कुल न करें। इसके अलावा टेलीफोन आदि पर भी दिल खोल कर खर्च किया जाता है। पर्सनल काम के लिये टेलीफोन किये जाते हैं और उसका खर्चा राज्य पर डाला जाता है। इस तरह की परम्परायें सरकार को नहीं डालनी चाहिये। एक मिनिस्टर को हजार रुपया मिलता है। समय को देखते हुए हजार रुपया बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन यह देखते हुये, उनके कार्य को देखते हुये, जो एक हजार रुपये उन्हें मिलते हैं वे पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक हजार रुपया उनके खर्चे के लिये काफी है। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि वे स्वतन्त्रता के युग में स्वस्थ परम्परायें डाले ताकि लोगों को सबक मिले और अगर वे स्वस्थ परम्परायें नहीं डालेंगे तो ऊपर से चला हुआ रोष नीचे पहुँचेगा और मजबूती के साथ मुकाबला करेगा।

इसके अलावा सिविल सेक्रेटेरिएट के लिये स्वामीनाथन् की रिपोर्ट में यह बतलाया गया था कि हमारे यहाँ कितने सेक्रेटरीज़ होने चाहिये और कितना मिनिस्टीरियल स्टाफ होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मन्त्रीजी ने यह तय किया कि स्वामीनाथन् की रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों में कमी की जावे और उन्होंने कुछ लोगों में कमी भी की मुझे दुख है यह बात कहते हुए कि इस रिपोर्ट को कार्य-रूप में परिणत किया गया केवल नीचे की श्रेणियों के कर्मचारियों तक रही, ऊपर की श्रेणियों के कर्मचारियों तक बिलकुल नहीं।

जब श्री स्वामीनाथन् यहाँ आये थे उस समय यहाँ १४ सेक्रेटरी काम कर रहे थे। उन्होंने मैसूर और मध्यप्रदेश, जो हमारे बराबर की स्टेटस हैं, वहां केआँकड़े दिखाते हुए बताया कि हमारे सिविल सेक्रेटेरिएट के खर्चे से बहुत कम इन स्टेटों में खर्च होता है। उन्होंने उसी स्टेन्डर्ड के अनुसार अपनी रिपोर्ट दी थी, किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि वे सिफारिशें केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तक ही लागू रहीं, मिनिस्टीरियल स्टॉफ पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। गत वर्ष मिनिस्टीरियल स्टॉफ की संख्या ४१८ थी जो इस साल रिवाइज्ड बजट के अनुसार ५२६ रख दी गई है। मैं यह निवेदन करूँ कि हमें हमारे सेक्रेटेरिएट में कागज का डिस्पोजल किस गति से होता है इसकी ओर हमें ध्यान देना होगा। हमारे सेक्रेटेरिएट में एक कागज पहले डिस्पेचर के पास जाता है। वहाँ से वह क्रमशः सुपरिन्टेन्डेन्ट, असिस्टेंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और फिर सेक्रेटरी के पास जाता है। इस गति से चलने में कागज को डिस्पोज ऑफ (dispose of) करने में दो महीने से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिये। लेकिन दो महीने लगते नहीं, छः महीने, आठ महीने तक ये कागजात बिना डिस्पोजल के पड़े रहते हैं। यह इसलिये होता है कि या तो कागज किसी के मेज पर पड़ा रह जाता है या मन्त्रीगण दौरों में चले जाते हैं। इस तरह से कागज के डिस्पोजल में देरी हो जाती है, रुकावटें पैदा हो जाती हैं। इस प्रकार अगर हमारे यहाँ डिस्पोजल होता है उसको देखा जाय तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इतना ज्यादा खर्चा करते हुए भी हमारे यहाँ डिस्पोजल का जो तरीका है वह बहुत ही लम्बा है। अगर हम पेपर्स के डिस्पोजल में एफीशियेन्सी न ला सकें

Page No.67

[श्री वेदपाल त्यागी]

तो सेक्रेटेरिएट पर इतना जो खर्चा होता है वह व्यर्थ है। मुझे तो कभी सेक्रेटेरिएट में जाने का काम नहीं पड़ता; किन्तु मेरे कुछ मिलने वाले मित्र हैं जो अक्सर अपने काम के लिए सेक्रेटेरिएट जाते हैं। वे अक्सर कहा करते हैं कि क्लर्क लोग केन्टीन में हाज़री दिया करते हैं। जिनके केस पेन्डिंग होते हैं उनको अपने पेपर्स को निकलवाने के लिए केन्टीन में उनकी हाजरी भरनी पड़ती है; फिर जाकर कहीं उनके कागज निकलते हैं। यह हम पर बहुत बड़ा लाञ्छन है कि कागज तब निकाले जाते हैं जब कि उन बाबू लोगों को चाय पिलाई जाय। इस बात पर आपको नियन्त्रण रखना चाहिये। जो क्लेरिकल स्टाफ है उन पर ध्यान रखा जाय कि वे कितने कागज रोजाना डिस्पोज़ ऑफ करते हैं। एक पेपर को वे कितने दिन में निकालते हैं। उसके बराबर आँकड़े रखने चाहिये और हर वक्त वे ऑफिसरों के सामने जाते रहें ताकि यह पता पड़ सके की किसके कितने कागज पेन्डिंग पड़े हैं और कितने डिस्पोज ऑफ हो गये।

श्री उपाध्यक्ष—श्री कपिलदेव।

(अनुपस्थित)

श्री बी. एन. जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्षजी, मैंने इस बारे में कुछ कटौती के प्रस्ताव भेजे थे, किन्तु दुर्भाग्यवश वे शायद आपके सामने नहीं आये।

मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोलते हुए......

[सिरे ड्यौढी पर नौबत बजने लगी]

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Either the Naubat should be suspended or the meeting should be adjourned.

श्री उपाध्यक्ष—Both the things.

(इसके पश्चात् श्री चाँदमल मेहता ने बोलना प्रारम्भ कर दिया.)

श्री चाँदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में दो-तीन कटौती के प्रस्ताव भेजे थे। मेरा पहला कटौती का प्रस्ताव है रिऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। इस वक्त राजस्थान की डेढ़ करोड़ की आबादी है और इसके २४ जिले हैं। अगर हम इन जिलों की हालत को देखें तो पता चलेगा कि इनमें से कई जिलों की आबादी बहुत कम

[श्री चाँदमल मेहता]

है और कई जिले एक सब-डिवीजन के बराबर हैं। इन जिलों में कई जिले ऐसे भी हैं जिनसे यह पता नहीं चल सकता कि वे तहसील हैं या जिले। तथा दूसरी ओर ऐसे जिले भी हैं जिनकी आबादी एक डिवीजन के बराबर है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, we are discussing at the moment the grant relating to General Administration—A, B and H. I do not think it includes District Administration. I would like a clarification whether the Hon'ble member can talk about District Administration at this stage.

श्री चाँदमल मेहता (अपना भाषण जारी रखते हुए)—डिस्ट्रिक्ट्स का खर्चा भी तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बजट से ही होता है।

एक माननीय सदस्य—नहीं।

श्री चाँदमल मेहता (अपना भाषण जारी रखते हुए)—मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी मैंने एक कटोती का प्रस्ताव भेजा था, जो कागजात के डिस्पोज़ल के बारे में था। सेक्रेटेरिएट के स्टाफ को देखें तो हमें यह पता चलता है कि उनकी संख्या काफी है और इन पर बहुत बड़ा खर्च सरकार कर रही है और अगर हम कागज के डिस्पोजल की बात को देखें तो हमें ऐसा पता चलता है कि या तो उन सेक्रेट्रियों का अपने विभाग के कर्मचारियों पर नियन्त्रण नहीं है या वे उन पर अपना नियन्त्रण रखने में असमर्थ हैं। ऐसे-ऐसे मामलात हैं जिनके डिस्पोज़ल हुए दो-दो, तीन-तीन साल हो गये हैं, जिनके केस तीन-तीन साल से पेन्डिंग पड़े हैं, उनकी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। मैं मिसाल की तौर पर आपके सामने एक नजीर पेश कर रहा हूँ। हमारे माइन्स डिपार्टमेंट के एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर (सर्वोच्च अधिकारी) हैं जिनको ढाई सौ रुपये माहवार मिलते हैं और जो उनके मातहत कर्मचारी हैं, जो टेम्परेरी कर्मचारी हैं उनको ५०० से लेकर ८०० तक का वेतन मिल रहा है, उनका केस कितने ही अरसे से पेन्डिंग पड़ा है; अभी तक उनका केस तय नहीं हो पाया है।

ऐसे कई करप्शन और रिश्वतखोरी के मामले हैं जिनको जब सजा देने का मौका आता है, तो उनके कागजात सेक्रेटेरिएट में दबा दिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक मिसाल तहसील किशनगढ़ की आपके सामने पेश करता हूँ। एक तहसीलदार के खिलाफ वहाँ की जनता ने करप्शन और रिश्वतखोरी की शिकायत की और प्रमाणित भी कर दिया; लेकिन जब उनका कागज सेक्रेटेरिएट में आया तब से उस कागज का पता नहीं। वह वहाँ दबा दिया गया और बाद में उनको मोका मिला और वे एस. डी. ओ. बना दिये गये।

दूसरी तरफ टिकावड़ा ग्राम के खलिहान में जो सरकारी हिस्से के खलिहान का अनाज था उसको सरकारी कर्मचारियों की साजिश से वहाँ से उड़ाया गया। इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी हुई

[श्री चाँदमल मेहता]

और सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार प्रमाणित हो गया लेकिन जब अफसर को सजा देने का मौका आया और जब उसके कागजात सेक्रेटेरिएट में गये तो वे कागजात दबा दिये गये और उस व्यक्ति को किसी प्रकार की सजा नहीं दी गई। इसी तरह से एक कागज जो यहाँ के सेक्रेटेरिएट में किशनगढ़ म्युनिसिपैलिटी की ओर से भेजा गया जिसके ऊपर वहाँ से २१ रिमाइन्डर दिये जा चुके हैं लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं आया। जब ये सारी बातें हम देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि या तो हमारे सेक्रेटेरिएट के अधिकारी योग्य नहीं या उनका उनके कर्मचारियों पर नियन्त्रण नहीं। इसलिये इनकी तनख्वाह पर जो खर्च होता है वह एक तरह से वेस्ट ऑफ मनी (Waste of money) है।

दूसरी बात मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, वह यह कि ट्रान्सफर्स जो किये जाते हैं वे बहुत शीघ्रता से किये जाते हैं जिससे आम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। राजस्थान बहुत लम्बा-चौड़ा प्रान्त है। एक व्यक्ति को एक कोने से दूसरे कोने में भेज दिया जाता है, जैसे क्लर्क, चपरासी, पुलिस का सिपाही (कॉन्स्टेबल), थानेदार उसमें इस चीज का ख्याल नहीं किया जाता कि ये छोटे कर्मचारी हैं इनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ऐसी-ऐसी चीजें भी देखने में आती हैं कि एक कर्मचारी के साल में चार तबादले हुए हैं। मैं एक तहसीलदार की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिस तहसीलदार ने साल में चार डिवीज़न देखे हैं। वह किशनगढ़ का रहने वाला है। पहले उसका पोस्टिंग जयपुर में हुआ, उसके बाद उसे जोधपुर भेजा गया और बाद में उदयपुर और आज वह बीकानेर डिवीज़न में है। इस तरह से उसने साल में चार डिवीज़न देख लिये हैं और चार दफा उसका तबादला हुआ है। इस प्रकार के ट्रान्सफर्स में सरकारी रुपये का अपव्यय तो होता ही है पर साथ में बेचारे साधारण कर्मचारियों को बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को अपना सामान ले जाना पड़ता है, न उनको मकान दिया जाता है, न किसी प्रकार का अलॉउन्स ही दिया जाता है। इससे इन कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए बेचारे कई कर्मचारी अपनी ट्रान्सफर को केन्सिल करवाने के लिए यहाँ सेक्रेटेरिएट में चक्कर लगाते रहते हैं; उनका इस कार्य में बड़ा समय व्यय होता है। कई बार तो बेचारों को पैसा खर्च करना पड़ता है; क्योंकि वे किसी प्रकार भी अपने ट्रान्सफर को केन्सिल करवाना चाहते हैं, अपने इलाके में आने की कोशिश करते हैं। दूसरी रियासतों में, रेलवे आदि में इस प्रकार की सुविधा है कि जिस जिले में जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है उसको उस काल के लिए, मुकर्रेरा टाइम के अन्दर ही उसका ट्रान्सफर होता है और यदि वह किसी दूसरे जिले में अपना ट्रान्सफर करवाना चाहता है तो उस जिले के अन्य कर्मचारी के सहमति से भी ट्रान्सफर हो जाता है। इस तरह से यहाँ भी होना चाहिये।

लेकिन इस तरह की यह प्रणाली यहाँ नहीं है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं यह निवेदन करूँगा कि इन ट्रान्सफर्स के बारे में नियम बनाए जाने चाहिए कि किस तरह से ये ट्रान्सफर्स हों। इसके बाद भी इन ट्रान्सफर्स के बारे में जनमत को कहाँ तक मान्यता दी जाती

[श्री चाँदमल मेहता]

है इसका भी नमूना में माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने रखना चाहता हूँ । जिन पदाधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी साबित करते हैं, जनता और सभी पार्टियाँ मिलकर आवाज बुलन्द करते हैं, पर उस रिश्वतखोर अधिकारी का ट्रान्सफर नहीं किया जाता हमारी इस सरकार से । वह जबर्दस्ती हम पर थोपा जाता है । मैं निवेदन करूँ किशनगढ़ तहसीलदार के बारे में । किशनगढ़ की जनता की सारी पार्टियाँ, किसान और कॉंग्रेस, सभी ने इस अधिकारी के खिलाफ आवाज बुलन्द की, दरख्वास्तें दीं पर इसके बावजूद भी उसका ट्रान्सफर कई दिनों तक नहीं किया गया ।

दूसरी ओर स्थिति यह है कि जो ईमानदार हैं, अपना काम अच्छी तरह करते हैं और जिन्हें जनता चाहती है उन व्यक्तियों का ट्रान्सफर कर दिया जाता है । तो इस तरह की यह सारी अव्यवस्था है । तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी और दूसरे मन्त्रियों से निवेदन करूँगा कि इस तरह के कागजातों को जल्दी से जल्दी निपटाएँ और ट्रान्सफरों के बारे में जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र खत्म करें ।

श्री कानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिये जो माँग रखी गई है उसके बारे में मिनिस्टरों पर, सेक्रेट्रियों पर, और महाराजप्रमुख, राजप्रमुख और उपराजप्रमुख पर बहुत कुछ कह भी दिया गया है । मैं थोड़ा-सा समय सदन का लेकर महज़ एक-दो बातें अर्ज़ करके मिनिस्टरों के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ ।

यह तो हमें बजट से मालूम ही है कि मिनिस्टरों पर, ट्रेवलिंग अलॉउन्स में, जैसा कि पहले के वक्ताओं ने कहा है, काफी रुपया खर्च किया जाता है और इसी प्रकार मोटर अलॉउन्स और उनकी तनख्वाओं पर भी बहुत कुछ खर्चा होता है । इतना रुपया खर्च इन मिनिस्टरों पर होते हुए भी हमारे सामने जिस क्वालिटी (Quality) के मिनिस्टर आते हैं उनके बारे में यह शंकास्पद ही है कि आया वे पब्लिक की कोई भलाई कर भी सकते हैं या नहीं; इसमें हमें बहुत कुछ सन्देह है ।

तीन-चार रोज पहले की बात है, मैंने बूंदी के हरिजनों की औरतों द्वारा गहने पहनने पर मीणों द्वारा एतराज किए जाने सम्बन्धी विषय में एक मन्त्री महोदय को एक सवाल का जवाब देते हुए सुना और उन्होंने कहा कि उस सवाल का उत्तर इस प्रकार है । उसी वक्त एक दूसरे मन्त्री महोदय खड़े होकर बोलते हैं कि ये मन्त्री महोदय झूठ बोलते हैं । जिस मिनिस्टर का स्टेन्डर्ड यह हो कि इस सदन के सामने एक बात ऐसी कहे और दूसरा उसके लिए कह दे कि यह झूठ है, तो इससे तो यह लगता है कि या तो वह झूठा है या दूसरा झूठा है; या तो वह मिनिस्टर के पद के लायक नहीं है और अगर लायक है तो उनके दिलों में कोई वैमनस्य है और इसके अलावा या कि उसके दिल में ऐसा भाव है कि जिसको किसी वजह से प्रकट नहीं कर सकते, या उनमें मिनिस्टरों का जो जाइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी (Joint responsibility) का कर्तव्य है उसको महसूस नहीं करते । तो एक तरफ

Page No.71

[श्री कानसिंह]

तो ऐसे दर्जे के मिनिस्टर रक्खे जावें और दूसरी ओर उन पर इतना-इतना खर्चा किया जावे तो मेरी समझ में इससे बढ़कर रुपए का अपव्यय और क्या हो सकता है ?

इसलिए मैं अर्ज करूँगा कि अगर सरकार इस रुपए का सदुपयोग करना चाहती है और यह रुपया यहाँ पास करवाना चाहती है तो कम से कम मिनिस्टरों के रूप में ऐसे व्यक्ति तो लिए जावें जो हमारे भावों को समझ सकें और अपने कर्तव्यों को भी समझ सकें।

अब जब हमारे सामने अभी-अभी इस ओर से कहा गया कि हमारे सामने पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट भी पेश नहीं की जा रही है तो इस पर माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करूँगा कि सरकार की ओर से एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट भी सालाना पेश नहीं होती। यह क्यों नहीं पेश की जाती इसका कारण ढूंढने के लिए हमें दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब इस-इस दरजे के मिनिस्टर हमारे यहाँ रहेंगे तो क्या हम उनसे एक्सपेक्ट (आशा) कर सकते हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट वे तैयार कर सकते हैं। यह एक्सपेक्ट हम उनसे नहीं कर सकते। इसीलिए जब जो पी. एस. सी. की रिपोर्ट दबाई जा रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट छपी नहीं, आउट नहीं हुई; उनकी तरफ से कोई भी परवाह मिनिस्टरों की तरफ से नहीं की जाती और इस देर का कोई एक्सप्लेनेशन (स्पष्टीकरण) भी नहीं दिया जाता कि पी. एस. सी. की रिपोर्ट ५२-५३ की भी क्यों नहीं अब तक शाया की गई और क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट एक साल की भी सामने नहीं आती ? तो यह तो वे ही कर सकते हैं जो अपने कर्तव्य को समझते हैं। पर इस मिनिस्टरी का जो स्टेन्ड़र्ड है उसको देखते हुए तो इनका खुदा ही हाफिज है। इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं ?

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

ऐसी मोटी-मोटी बातों को नज़र अन्दाज करना और इस प्रकार मोटरों के अलाउन्स के नाम पर और भत्तों के नाम पर, तनख्वाहों के नाम पर और-और नामों से रुपया ड्रॉ करना और अपने-अपने काफी दोस्तों को लेकर मोटरों में सैर कराना, मेरे खयाल से अपने कर्त्तव्य से गिरना है और पब्लिक को धोखा देना है। इन चन्द शब्दों के साथ में अपना कथन समाप्त करता हूँ।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जो ग्रान्ट है उसके मुतल्लिक मेरे दोस्तों ने......

श्री अध्यक्ष—कौन से कट मोशन पर आप बोलना चाहते हैं ?

श्री मानसिंह महार—मेरे तीन-चार कट मोशन्स हैं।

श्री अध्यक्ष—एक भी नहीं है आपका सुझाव।

श्री मानसिंह महार—मैंने तीन-चार कट मोशन्स का नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्ष—They have been ruled out. The Hon,ble Member will have to confine himself to one particular out-motion or two, as the case may be.

श्री मानसिंह महार—I will not speak on more than two items.

श्री अध्यक्ष—Which one he wants to support ?

श्री मानसिंह महार—One is about the Ministers and the other is about the Civil Secretariat.

श्री अध्यक्ष—Yes, Yes.

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, मुझे जिस प्रकार आपका आदेश हुआ है उस माफिक......

श्री अध्यक्ष—The choice is of the Hon'ble Member and not mine.

श्री मानसिंह महार—उस माफिक मैं अपना दायरा सीमित रखते हुए थोड़े समय में ही, जो कुछ मुझे कहना है वह आपके सामने प्रस्तुत करूँगा।

पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि राजस्थान सेक्रेटेरियट का जो काम करने का तरीका है वह वही पुराना, दकियानूसी तरीका है जो कि पहले अंग्रेजों के जमाने में था। आजादी मिलने के बाद और खास कर चुनावों के बाद जब से तथाकथित पोपूलर मिनिस्टर सरकार में आये थे तब से हम यह जरा उम्मीद करते थे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ फरक आवेगा, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह बद से बदतर होता जा रहा है और अब जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उनसे तो यही बात जाहिर होती जा रही है कि वे बदतर से भी और ज्यादा बदतर होने वाली हैं।

इसलिए मैं आपके जरिये, अध्यक्ष महोदय, सदन को यह बताना चाहता हूँ कि हमारे पहले के मिनिस्टर्स या अब होने वाले व्यक्ति जो कि मिनिस्ट्री की उम्मीद लगाये बैठे हैं वह उम्मीदवारी के समय में क्या बात कहते हैं और जब नाउम्मीद हो जाते हैं या उन कुर्सियों पर बैठते हैं तो क्या बात कहने लग जाते हैं; इन बातों को शायद हमारे मित्र ध्यान में रखें तो वह बड़ा अच्छा होगा। मेरे एक मित्र ने यह फरमाया कि आर. ए. एस. का जो सिलेक्शन हुआ है उसको स्क्रेप कर दिया जाय। बात सुनने में बड़ी प्यारी लगी, लेकिन जब हम ध्यानपूर्वक सोचते हैं कि स्क्रेप करने का नतीजा क्या होगा तो उसका नतीजा हमें और भी भयंकर लगता है, क्योंकि यह एक चीज जो दो बार स्क्रेप हो चुकी है, एक मिनिस्ट्री आई तो उसने आर. ए. एस. का सिलेक्शन किया फिर दूसरी आई तो दूसरी कमेटी बनाई और उसमें रद्दोबदल किया और इससे हमारे राजस्थान के उच्चकोटि के अफसरान को परेशानी उठानी पड़ी और अब तीसरी बार उनको मारने के लिए एक

Page No.73

[श्री मानसिंह महार]

सजेशन (Suggestion) आता है और वह भी ऐसे समय में जब कि हरेक आदमी को नई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता, जैसा कि हमारे मित्र त्यागीजी ने कहा था कि उस क्वालिफिकेशन का होना इसलिए जरूरी हो गया है, तो इस जमाने में जो थोड़ी बहुत न्यायपूर्ण आर. ए. एस. की लिस्ट है उसको स्क्रेप किया जायगा तो मैं आपके जरिये, अध्यक्ष महोदय, सदन को बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो रवैया है हमारी सरकार का तो इस जमाने के अन्दर आर. ए. एस. की जो पुरानी लिस्ट है उसमें कोई सुधार नहीं होगा। अगर मेरे मित्र यह कहते या कोई ऐसा तरीका बतलाते कि बिल्कुल निष्पक्ष आदमी हैं और वह दुबारा आर. ए. एस. का चुनाव करते तो हम मान सकते हैं, लेकिन वर्तमान पक्षपातपूर्ण जो नीति हमारी सरकार की है उस पक्षपात को देखते हुए आर. ए. एस. को स्क्रेप किया जाता है, और दुबारा सिलेक्शन किया जाता है तो मैं यह सरासर कहना चाहता हूँ कि वह पुराने सिलेक्शन से भी खराब होगा और एक ही डिवीज़न के आदमियों को तरजीह मिलेगी और जो जयपुर डिवीज़न वगैरह के आदमी हैं उनको बहुत नीचे कर दिया जायगा और उनके साथ तो आज तक जो अन्याय हुआ है, उससे भी कहीं ज्यादा अन्याय होगा। इस तरह से इस सजेशन को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ।

इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार हमारे यहाँ के अफसरान के जो तबादले करती है वह बड़े गलत ढंग से करती है। अफसरान के ऐसी-ऐसी जगह तबादले किये जाते हैं कि जहाँ उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती है। अफसर लोग यह सोच लेते हैं कि इस जगह, इस कोने में अगर डाले गये हैं तो सरकार इससे बुरी जगह डालने की नहीं है और अब हम क्यों काम करें, क्योंकि उनकी तरक्की के दरवाजे बन्द हैं। उनको बी. पी. एम. जे. की डिग्री प्राप्त नहीं है, और जब रद्दी जगह डाल दिये जाते हैं तो यह सोचने लगते हैं कि हम तरक्की भी नहीं पा सकते और इससे बुरी जगह कोई भेज नहीं सकता, इसलिए हम आराम से दिन काटें। क्या जरूरत है हमें कोई काम करने की? यह जो हमारी सरकार की प्रणाली है उसको बदलना पड़ेगा, इस प्रणाली को रिवोल्यूशनाइज़ (revolutionise) करना पड़ेगा, और रिवोल्यूशनाइज़ करने के बाद हम हमारे सरकारी अफसरान में, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि हर प्रकार की तब्दीलियाँ पायेंगे कि हमारे अफसरान जो हैं व बड़ी ईमानदारी से और संजीदगी से काम करेंगे। कोरे आर. ए. एस. को स्क्रेप करने से, अगर आप यह समझते हैं कि आपके अफसरान में कॉन्फीडेन्स आ जायेगा तो यह बिल्कुल गलत बात है।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज सरकार ने कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाई हैं जिनकी शायद हिन्दुस्तान के इतिहास में कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। मैं सदन के सामने एक मिसाल रखना चाहता हूँ। मेरी कॉन्स्टीटुएन्सी जमुआ रामगढ़ है, वहाँ की अपील्स सुनने के लिए मि० वियोरा जो पहले एस. डी. ओ. थे आमेर में उनको मुकर्रर किया गया था, उनका ट्रान्सफर हो गया साँभर और साँभर में कॉम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एरिया होने के कारण वह बड़ा इम्पोर्टेन्ट सब डिवीजन है; तो उन महाशय को केवल इसलिए जयपुर में रखा है कि उनका घर जयपुर में है। अभी तक उनको जमुआ रामगढ़ के सेटिलमेंट की अपील्स सुनने के लिए कायम रखा

[श्री मानसिंह महार]

जा रहा है। वह आमेर से जयपुर आते हैं और जयपुर में रहते हैं। अगर पूछा जाता है तो कहते हैं कि मैं रामगढ़ की अपीलें सुनने आया हूँ। लेकिन जमुआं रामगढ़ के किसान बेचारे पुकार करते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि वह अफसर किसी कमिश्नर के कृपापात्र हैं इसलिए उन्होंने उनके जयपुर आने-जाने का रास्ता खुला रखा है और १००) रुपये माहवार का एलाउन्स देकर उनको इस काम पर मुकर्रर किया गया है। यह मैंने एक मिसाल के तौर पर सदन के सामने रखा है कि हमारी सरकार अपने कृपापात्रों को किस तरह से बढ़ावा दे रही है। यह एक स्पष्ट प्रमाण है, जिसको हमारे कोई भी मित्र, चाहे उन बेन्चेज़ पर (ट्रजरी बेन्चेज पर) बैठे हुए हों, डिनाई नहीं कर सकते हैं।

इसके अलावा मंत्रियों की तनख्वाह के बारे में मेरे कई मित्रों ने कई बातें कही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस चीज़ को एक दूसरे ही नुक्तेनिगाह से देखता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि हमारे मंत्रियों को हजार-हजार रुपये ही मिलते हैं। वह बड़ी रकम नहीं है क्योंकि उन मिनिस्टर्स के बड़ी-बड़ी फैमिलीज हैं, उनका भरण-पोषण करना पड़ता है। यह सब कुछ होते हुए भी हमारे मन्त्रियों के जो इनकम के सोर्सेज (साधन) हैं वह हजार रुपया ही नहीं है और भी कई सोर्सेज टी. ए., डी. ए. वगैरह के हैं। ऐसी सूरत में अगर हमारे मन्त्री वॉलन्टरी कट कर दें और अपनी तनख्वाह ५००) रुपया या १०० रुपया टोकन सेलेरी या १ रुपया लेते तो वह चीज़ बेहतर होगी, क्योंकि फिर अगर उनके ट्रेवलिंग के ५ हजार रुपया महावार या और कुछ हो तो उनके लिए [घंटी] जस्टीफिकेशन (Justification) हो जायगा। ......

अध्यक्ष महोदय, मैं २ मिनिट ही लूँगा। सबको बहुत टाइम दिया गया है, मुझको भी दिया जाय।

और लोगों को मन्त्रियों को यह कहने को हो जायगा कि अब हम तो तनख्वाह भी नहीं लेते हैं, हमको किसी तरह भरण-पोषण तो करना ही है; इतना तो हम इधर-उधर से कर लेते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये लेजिस्लेटिव असेम्बली को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तरह से मन्त्री महोदय अगर अपनी तनख्वाह छोड़ देंगे तो राजस्थान को ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि वह बातें तो अब भी हो रही हैं, इससे इसलिए दुनियाँ का भला जरूर हो जायगा। इसलिए मैं मेरे मित्रों से प्रार्थना करूँगा कि वे अपनी तनख्वाह में वॉलन्टरी कट (Voluntary Cut) कर दें और फिर राजप्रमुख, महाराजप्रमुख से जाकर कहें कि हमने तो वॉलन्टरी कट कर दिया, आप भी वॉलन्टरी कट कीजिये। हमारे दोस्त, जो यहाँ बैठे हुए हैं उनसे बार-बार प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थना के बावजूद भी वे इस बात को मन्जूर नहीं करते हैं: तो जो दूर बैठे हुए हैं उनको कैसे कहा जाय? इसलिए उन्हें कटौती के लिए कहा जाता है। इस सदन के अन्दर हमारे मित्र एग्ज़ाम्प्ल सेट (example set) करें: फिर वे जाकर उनसे, प्रार्थना कर सकते हैं। यह बात उनकी तनख्वाह के लिए हुई।

दूसरी बात हमारे मन्त्रियों के लिए यह है कि उनके टेलीफोन्स पर बहुत ज्यादा खर्च होता है। यह मैं मानता हूँ कि उनको ट्रन्क कॉल्स (Trunk Calls) बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। मैं यह कहना

[श्री मानसिंह महार]

चाहता हूँ कि वे ट्रन्क कॉल्स सीमित कर दिये जायँ। ये किन्हीं छोटी-मोटी बातों को छोड़कर और इम्पार्टेन्ट वर्क के लिए ही हों, तो इससे भी काफी रिडक्शन हो सकता है। लेकिन यह कह देना कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि किस तरीके से हम खर्च को कम कर सकते हैं, यह गलत है। मैं यह मानता हूँ कि जो आज उधर बैठे हैं लेकिन उनको १-२ दिन इधर बिठा दिया जाय तो इधर बैठने वाले दोस्त यही कहेंगे कि खर्च कम किया जाय। मगर दुर्भाग्य की बात यह है, अध्यक्ष महोदय, कि मैं कोई उन्हीं बेन्चेज पर बैठे हुए जो हैं उन्हीं पर यह आरोप नहीं लगाता हूँ। हमारी बेन्चेज पर भी ३ आदमी ऐसे हैं जो ऐसी बातें कहते हैं और जो उनसे भी ज्यादा शायद खर्च करते थे। मौजूदा मन्त्रियों के बराबर खर्च तो करते ही थे, बल्कि उससे भी ज्यादा खर्च करते थे। हमारे मन्त्रियों में मदान्धता नहीं होनी चाहिये। मन्त्रियों को मदान्ध न होकर नम्रतापूर्वक काम करना चाहिये। जो मन्त्री होते हैं उनको अपने आपको जनता का सेवक समझना चाहिये। हमारे मन्त्रियों को यह न समझना चाहिये कि वे राजस्थान के मालिक बन गये हैं। यदि भारत के चिपक महादेव भी हटाये जा सकते हैं तो क्या वजह है कि इनके जैसे छोटे-छोटे मन्त्री नहीं हटाय जा सकते। मैं मन्त्रियों से निवेदन करूँगा कि वोलन्टियरिली कट करके ऐसा आदर्श पेश करें कि जिससे हम राजप्रमुख से भी प्रार्थना कर सकें, जिससे कि वे हमारे मन्त्रियों के एग्जेम्पल को फॉलो (fallow) करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, एक डिमान्ड पर करीब ढाई घन्टों से बहस हो चुकी है और कुल मिलाकर मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुख्य बातें कहीं गईं तो घूम फिर कर नजर आता है राजप्रमुख और मिनिस्टर। स्वाभाविक ही है कि मिनिस्टरों के लिए ही यदि कुछ नहीं कहें तो उधर बैठने का कर्त्तव्य कैसे पूर्ण हो? जैसे कि अन्तिम वक्ता ने कहा कि उस तरफ बैठने वालों का लक्ष्य ही यह है कि मिनिस्टरों के बारे में कुछ कहा जाय। तो मैं समझता हूँ कि कहने के लिए ही वे बातें कही गई हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—और भी कोई नई बातें कही गई हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उन पर मैं बाद में आऊँगा।

मैंने देखा कि भरतपुर से चुनकर आनेवाले हमारे माननीय मित्र जो पहले मत्स्य में मन्त्री रह चुके हैं, वे भी यह बात कहने लगे कि कार पर बहुत ज्यादा खर्च होता है, उसकी क्या आवश्यकता है? मैं नहीं समझ पाया कि पहले कार की क्या आवश्यकता थी और अब क्यों नहीं है? इसी तरह हमारे माननीय मित्र जो कोटा की तरफ से आये हैं उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया जब कि पहले वे जानते हैं कि उन्होंने भी मोटरों का उपयोग किया है। मैं नहीं समझता कि मोटरों पर इतनी चर्चा क्यों होती है? एक हमारे साम्यवादी साथी इस प्रकार जोर से बोलते हैं कि मानो प्लेटफार्म पर भाषण दे रहे हों। वे जोर-जोर से बराबर यह कहते रहे हैं कि मिनिस्टरों पर जितना खर्चा होता है वह सब व्यर्थ होता है। उनके लिए आदर्श जो उनका फादर लैंड (father-land) है और जिसे वे समझते हैं उसका उदाहरण रखूँ तो वे भी मानेंगे कि वहाँ पर मिनिस्टरों के आगे-पीछे इन्तजाम के लिये जितनी पुलिस, जितनी इन्टेलिजेन्स और जितना खर्चा उनके लिए किया जाता है, उतना राजस्थान में नहीं

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

किया जाता है। कई बार तो उनके मिनिस्टरों की शक्ल तक देखना मुश्किल हो जाता है। वहाँ इतना छिपकर काम होता है और बेशुमार खर्चा होता है। लेकिन क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए उनके बारे में दुनियाँ नहीं जान पाती कि कितना खर्चा होता है और कितना नहीं होता। लेकिन क्योंकि यह चर्चा की जानी चाहिये इस इरादे से की जाती है। क्योंकि पिछले साल के लिए एक माननीय मित्र ने कहा कि मोटरों पर इतना खर्चा हुआ, इस बात पर यदि वे ध्यान देते तो उनको मालूम होता कि वह दो साल का खर्चा है, एक साल का नहीं। इसके अलावा पहले पेट्रोल पर ज्यादा खर्चा होता था और कहा जाता था कि पेट्रोल पर इतना खर्चा हो गया। इस बार यह कह दिया गया कि यदि ६० गैलन से अधिक पेट्रोल खर्च हो जाय तो उसका खर्चा मिनिस्टर खुद दें। इस तरह से पेट्रोल की एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम नहीं चाहते कि जो गाड़ियें हैं या जो आम जनता के पैसों से गाड़ियें आई हैं उनका दुरुपयोग किया जाय या खराब तौर से उन्हें इस्तेमाल किया जाय, यह नहीं चाहते (हियर हियर)। कुछ गाड़ियें आपको ऐसी मिलेंगी जो ८० हजार मील चल चुकी हैं लेकिन उनका इन्जिन खराब नहीं हुआ। कोई ८ सवारियें बिठाने की बातें करते हैं, तो कोई ६ बिठाने की बातें करते हैं। यहाँ लेक्चर देने के लिये ८-६ बैठाने की बातें कही जाती है। मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि किसी गाड़ी में ८, ६ आदमी बैठे हों।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह एसेम्बली खत्म होने के बाद प्रूफ कर सकता हूँ कि ८, ६ सवारी बैठी हैं। इसके फोटोग्राफ्स भी मिल सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ, आप छोटी गाडियों की बात नहीं कर रहे होंगे।

कुँ० श्री जसवन्त सिंह—मैं छोटी गाडियों की ही बात कर रहा हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप उन छोटी गाड़ियों में इतनी सवारियाँ जमा कर (बिठला कर) तो दिखलाइये, फिर पता चलेगा कि कैसे इतनी सवारियें बैठ सकती हैं।

(विराम)

एक बात और विरोधी दल के नेता ने कही कि राजप्रमुख, उप-राजप्रमुख और महाराज-प्रमुख पर जो खर्चा किया जाता है वह जनता की रकम का दुरुपयोग होता है। साथ ही यह भी कहा कि भारत सरकार ने समझौता किया है तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार ही अपने खजाने से यह खर्चा दे लेकिन राजस्थान को नहीं देना चाहिये। ये दोनों बातें एक दूसरे के प्रति विरोधाभास सी मालूम होती हैं। मै समझता हूँ कि उनका यह प्रश्न नहीं हैं कि जनता का पैसा न मिले, यदि ऐसा होता तो भारत सरकार का पैसा जो की देश की जनता का पैसा है और राजस्थान का पैसा जो भी जनता का पैसा है, लेकिन अन्तर इतना हैं कि एक से राजस्थान के बजट पर भार नही होता और दूसरे से

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

भारत सरकार के। लेकिन मूल में जिस इन्स्टीट्यूशन के बारे में आप बात कहते हैं उसको पैसा न देना आप भी नही चाहते। आप बात कहते हैं कि ८ महिनों तक वे कोई काम नही करते, गैर हाजिर रहते हैं, उन पर पैसा खर्च करना व्यर्थ है। यदि इन सब बातों पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि आप खाली क्रिटिसिज्म करने के लिये ही ये बातें कहते हैं लेकिन मूल में आपके दिल की भावना ऐसे क्रिटिसिज्म की नहीं है। जो भारत सरकार ने अंगीकार किया; जिसके कारण बजट में यह खर्चा रखा जाता हैं, इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री ने जो कुछ लिखा; उसके बारे में माननीय मित्र ने कहा। उन चीज़ों में परिवर्तन करने का कारण आया तो जिन्होंने समझोता किया है वे ही यदि इस बारे में कार्यवाही करें तो उपयुक्त हो सकता है। लेकिन जहाँ तक राजस्थान का प्रश्न है हमें यह मानकर चलना होगा कि जो प्रथा समाप्त की गई उसके कारण न केवल राजस्थान में ही बल्कि देशभर में बिना खून खराबी के ऐसा परिवर्तन, जो स्वर्गीय पटेल ने किया, जिनके कारण जनता की सत्ता स्थापित हुई, उनके निर्णय में हम राजस्थान में बैठकर परिवर्तन करें तो उपयुक्त नहीं होगा। उसमें परिवर्तन का यदि प्रश्न आये तो भारत सरकार ही उसे उचित समझ कर कर सकती है। इसलिये मैं केवल इस बात को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। यह बात कही गई कि यू० पी० में वहां के राज्यपाल श्री के० एम० मुन्शी और बम्बई में श्री गिर्जाशंकर बाजपेयी शासन को संभालते हैं और उन पर बहुत जिम्मेदारी है और क्योंकि राजप्रमुख इस ओर कोई ध्यान नहीं देते इसलिये वे इतने जिम्मेदार नहीं हैं। यू० पी० और बम्बई का शासन अच्छा रहा है, इसका कारण राज्यपाल नहीं है। बम्बई और यू० पी० में राज्यपालों का स्थानान्तर होता रहता है ओर शासन व्यवस्था इतने अच्छे रूप से चल रही है। इससे जाहिर होता है कि इसके लिये राज्यपालों का परिवर्तन इतना जिम्मेदार न होकर वहां के शासक, मन्त्री मण्डल ही इसके लिये अधिक जिम्मेदार हैं और प्रजातंत्र में यह कल्पना करके चलना कि राजप्रमुख राज्य के कामों में अधिक हस्तक्षेप करके सार्वजजिक हित के काम कर सकते हैं, यह मूल में गलत है। आपको यदि शिकायत है कि शासन ठीक तरह से काम नहीं करता तो आपको अधिकार है कि आप उसे बदलिये। यदि आप यह समझे बैठे हैं कि पुरानी मनोवृत्ति के अनुसार मन्त्री हो और ऊपर से राजा-महाराजा लोग शासन चलाया करें ओर मिनिस्टरों को इधर-उधर किया करें, तो यह आपकी भूल है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—महाराजप्रमुख के लिये कहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं महाराजप्रमुख के बारे में भी यही बात कहूँगा। आप जानते हैं कि महा-राजप्रमुख का इन्स्टीट्यूशन भारतवर्ष में और कहीं नहीं है और केवल राजस्थान में ही कायम किया गया हैं और उसके पीछे भी वही भावना थी जो राजप्रमुख और राजाओं को प्रिवी पर्स देने के पीछे थी। उनका एक विशेष स्थान समझ कर उनके साथ समझोता किया गया। उसमें रद्दोबदल करना या और बातें तय करना हमारा काम नहीं है। ऊपर से तय करना ही ज्यादा अच्छा होता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सौजन्य की भावना बताते हैं, सौदेबाजी को क्यों नहीं बता पाते?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सोजन्य और सौदेबाजी की भावना रहती तो ट्रावनोर कोचीन में अवसर आने पर यू० एफ० एल० के साथ जाकर राजप्रमुख के सामने शपथ लेने को तैयार न होते।

(विराम)

तो यह अलग-अलग कहने के तरीके हो सकते हैं जिसके लिये हम अलग-अलग तरीकों से राय जाहिर कर सकते हैं।

भरतपुर से आये हुए मेरे एक माननीय मित्र जब भी भाषण देते हैं तो बाज दफा मुझे ऐसा लगता है कि मानो मुकद्दमे की पैरवी कर रहे हैं और अभी ता वह मेरा खयाल और भी स्पष्ट हो गया जब वे अपने मकान की पैरवी करने लग गये।

श्री गोपीलाल यादव—मैं यह चाहूँगा कि माननीय मन्त्री निरा आक्षेप नहीं करें, मैं चैलेंज करता हूँ कि वे उसका उत्तर दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ जो आपने कहा था।

श्री गोपीलाल यादव—मुझे जो मुकद्दमे के दौरान में नोलेज (knowledge) हासिल हुई उसको जाहिर किया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुकद्दमे के दौरान में या किसी तरह नोलेज हासिल हुई हो उसी के बारे में तो मैं कह रहा हूँ। जो आपने फरमाया था। आपने कहा कि एक केस ६ दफा लौट कर आया।। ऐसे मामलों में अच्छा हो कि जो उन्हें कहना हो निश्चित तौर से कहें।

मेरे एक माननीय मित्र ने पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कहा कि सदन के सामने उसकी रिपोर्ट पेश करने की सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि वह रिपोर्ट सदन के सामने पेश करने से सरकार की सारी गड़बड़ियाँ सदन के सामने आ जाती हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सदन को यह सूचित कर देना चाहता हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट इस सदन में इसी सेशन में पेश होने वाली है। इसमें छुपाने, हटाने का कोई प्रश्न ही नहीं जो स्थिति है वह सदन के सामने आयेगी।

मैं इस सदन में २ बातें देखता हूँ। कई माननीय मित्र कहते हैं कि यदि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट सदन के सामने रखी जाय तो मालूम हो जायगा कि जितनी गड़बड़ियाँ की गई हैं सारी सदन के सामने आ जायंगी।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

एक सदस्य कहते हैं कि पहले एडहॉक एपोइन्टमेंटस (ad-hoc appointments) कर देते हैं और फिर ६ महीने बाद एप्रूवल के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजते हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन दबाव में आकर एप्रूवल दे देता है। मैं समझता हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन के लिये कहना कोई अच्छी बात नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन जब आवश्यकता होती है तो परिवर्तन करता है, जब रिपोर्ट सदन के सामने आयगी तो आपको मालूम हो जायगा। दबाव में आकर फैसला करने का प्रश्न पब्लिक सर्विस कमीशन के लिये पैदा ही नहीं होता।

सर्विसेज़ के मामले में सदन के बहुत से सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं कह सकता हूँ कि सेक्रेटेरिएट का काम पहले से ज्यादा सुव्यवस्थित और जल्दी निबटने वाला हुआ है। जैसी कि पहले शिकायत की जाती थी कि सेक्रेटेरिएट से कागज गुम हो जाते हैं वह बात अब नहीं होती है। आप अगर देखेंगे तो सेक्रेटेरियेट के काम को पहले से कहीं अधिक सुव्यवस्थित पायेंगे।

आर. ए. एस. और आइ. ए. एस. की सर्विसेज़ के बारे में कई सदस्यों ने कहा। मैं सदन को सूचित कर देना चाहता हूँ कि बार-बार रद्दोबदल करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। हम स्वयं मानते हैं कि एक चीज का फाइनेलाइजेशन, फाइनल डिसीजन (final decision) जरूरी समझा जाता है, फिर से इसका परिवर्तन करना है। इस तरह के खयाल को रखना उचित नहीं होगा।

मेरे एक माननीय मित्र ने और यह कहा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो हमारे सामने रखी गई उसके ऊपर कोई पर्वाह नहीं की कई। माननीय अध्यक्ष, मैं सदन को आपके द्वारा सूचना देना चाहता हूँ कि अभी जो सेक्रेटेरियेट में स्टाफ है वह स्वामीनाथन की जो सिफारिशें हैं उसी के माफिक है, उससे ज्यादा नहीं है। २ साल पहले जो काम सेक्रेटेरियेट में था उससे ज्यादा काम आज है और स्वामीनाथन की सिफारिशों के अनुसार उसी स्टेन्डर्ड को मानते हुए सब काम किया गया है। इस सम्बन्ध में सी. पी. का उदाहरण दिया जाता है, पर मैं आपको बता दूं कि सी. पी. और राजस्थान की परिस्थितियों में, हालात में बहुत फर्क है। सी. पी. में, जो नये शासन को जमाने की अवस्थाएं होती हैं वह नहीं हैं, वे अवस्थाएं जैसे integration वगैरह की राजस्थान में हैं। इसके अलावा और भी कोई बातें होती हैं उन सब पर खयाल करके ही निर्णय किये जाते हैं।

आर. ए. एस. के इन्टव्यू के बारे में कहा गया कि ५, १० मिनिट में फैसले किये गये। बात दरअसल ऐसी नहीं है। सदन के बहुत से सदस्यों की जानकारी में है कि सब का सारा सर्विस रेकर्ड मंगा कर देखा गया था, इन्टव्यू लिया गया था, फिर हाई कोर्ट के जजों ने बैठ कर केसेज़ को देखा था, उन्होंने फैसला किया और फिर अन्तिम रूप से राजस्थान सरकार ने सीनियोरिटी लिस्ट मन्जूर की है। फिर भी संभव है कि स्वाभाविक तौर से कुछ न कुछ परसेंटेज मिलेगा जिसमें असंतोष हो सकता है। बिल्कुल असंतोष किसी में न मिले, इस बात का कहना असंभव है, परन्तु देखने की

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

बात यह है कि कितना पर्सेंटेज है असंतोष का। जैसे एक सदस्य ने कहा कि सेक्रेटेरियेट में नेपोटिज्म (nepotism) होता है, यह बात कहाँ तक ठीक है। एपोइन्टमेंट जो होते हैं पी. एस. सी. से होते हैं, पी. एस. सी. का फाइनल डिसीजन होता है, बल्कि कागजों पर अन्तिम निर्णय पी. एस. सी. के द्वारा होता है। तो ऐसी सूरत में ऐसा कहना कहाँ तक ठीक है ?

पेन्शन के केसेज़ के बारे में भी जिक्र किया गया कि पेन्शन के कागजों को तय नहीं किया गया है, बहुत से पेन्शन के कागजों को तय नहीं किया गया और बहुत से पेन्शन के कागज बिना तय हुए ही अभी तक पड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सदन को सूचित कर देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से उनको फेक्ट्स एण्ड फीगर्स (facts and figures) जानने की मंशा हो तो वे भी रखे जा सकते हैं जिनसे पता चलेगा कि पहले कितने केसेज थे और अब कितने रह गये हैं। फिर इन चीजों पर निर्णय नहीं किया गया है या नहीं हो सकता है, ऐसा प्रश्न ही नहीं आता।

बजट को दिखाते हुए एक माननीय सदस्य ने कहा कि पहले बहुत कम खर्चा था मिनिस्टरों पर, अब मिनिस्टरों पर खर्चा टी. ए, डी. ए. पर बढ़ता जा रहा है। मैं सदन को बता दूं कि टी. ए. डी. ए. का खर्चा ६६८३१) रुपया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—टोटल खर्चा कितना है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—१ लाख ४ हजार रुपये इस साल रखे गये हैं, कई दूसरे खर्चे बढ़ गये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—What is the total expenditure...

श्री अध्यक्ष—Order !

श्री हरिकृष्ण व्यास—On travelling Allowance ?

श्री अध्यक्ष—Order Please !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—You will please not interrupt me. जैसा कि एक माननीय मित्र ने कहा कि मिनिस्टरों की तनख्वाह कम करके टी. ए., डी. ए. से मिनिस्टरों का खर्चा चलाना चाहिये तो मैं समझता हूँ कि अवसर पड़े तो अपने लिये जैसे काम चलाना चाहते हैं दूसरों के लिये भी वही सजेस्ट (suggest) करते हैं। टी. ए., डी. ए. में कितना खर्चा होता है इसका खयाल करते तो उनको पता चलता कि वे गलत कह रहे हैं।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

एक बात बहुत दोहराई जाती है कि मन्त्रीगण केवल इसलिए बाहर दौरे पर जाते है कि अपनी पार्टी का प्रोपेगेन्डा करें। यह बात ठीक है कि मन्त्री दौरे पर जाते हैं तो वहाँ के काम-काज को देखते हैं और वहाँ के काम-काज को देखने के बाद कॉंग्रेस के दफ्तर में भी जाते हैं, मीटिंगों को भी एटेन्ड करते हैं और वे काम करते हैं सुबह से शाम तक; जिसमें वे अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग समय देते हैं। वे लोग जन-सम्पर्क में आते हैं। तो मेरे माननीय मित्रों को यह नहीं मानना चाहिये कि मिनिस्टर लोग जन-सम्पर्क में न आवें। बहुत से व्यक्ति रात-दिन कहते हैं कि जिस प्रकार स्वराज्य में हम राम-राज्य और सुखों का अनुभव स्वराज्य के स्थापित होने से पहले करते थे और यह समझते थे कि हमारे यहाँ राम-राज्य स्थापित होगा वैसा शासन आज जनता को नहीं मिल रहा है। एक सदस्य ने कहा कि पब्लिक को कोई सुख और सुशासन, जिसकी कि वह आशा लगाये हुए थी नहीं मिलता है। उनसे मैं यह कहूँगा कि आप देहातों में कहीं पर भी जावें और देखें तो आपको मालूम होगा कि वहाँ के लोगों में काफी संतोष है। और इसके नतीजे को आप देख ही रहे

(हियर-हियर)

हैं कि आज कॉंग्रेस जहाँ पर इलेक्शन लड़ी वहीं पर कॉंग्रेस जीती है। इसका यही कारण है कि देहातों में सन्तोष है। (करतल-ध्वनि) अगर कहीं भी देहातों में असन्तोष सरकार के प्रति होता तो आज यह हालत जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर, कॉंग्रेस की, वह नहीं होती; कॉंग्रेस विजयी नहीं होती और देहातो में असन्तोष होता।

एक सदस्य—आप म्युनिसिपेलिटियों के इलेक्शन का हाल कहें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने स्पष्ट कहा है और कह रहा हूँ। मैंने खास कर आपको देहातों में जाकर देखने के लिए कहा है। अब म्युनिसिपेलिटीज़ की बात कही जाती है इस संबन्ध में मैं फिर कहना चाहता हूँ कि पिछले साल से म्युनिसिपेलिटीज़ में भी कांग्रेस ज्यादा जगहों पर विजयी हुई है। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ जगहों को छोड़ कर; जैसे अलवर, बाँदीकुई आदि इसके मुकाबले में डूँगरपुर, चित्तौड़ निम्बाहेड़ा आदि को देखें तो आपको मालूम होगा कि वहाँ सारी की सारी सीटें ८० प्रतिशत से लगाकर १०० प्रतिशत तक कांग्रेस को मिली है और कांग्रेस विजयी हुई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—(अश्रव्य)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जो कुछ आज सरकार कर रही है और उसका जो परिणाम राजस्थान में हुआ है वह आपके सामने है और वह यही है कि आम लोगों में सरकार की नीति से सन्तोष है। (विरोधी पक्ष द्वारा हियर-हियर) आप जो हियर-हियर कह रहे हैं मैं समझता हूँ कि दिल से कह रहे हैं। लेकिन मैं यह कहूँगा कि हमको किसी चीज के परिणाम को देख कर चलना चाहिये और यदि कोई व्यक्ति परिणाम देखना चाहे तो वह उनके सामने है ही।

Page No.82

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मैं आपका अधिक समय न लेकर अपना भाषण समाप्त करता हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत सी बातें जो कही गई हैं उन सबका समावेश हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कट मोशन्स पर, प्लेटफॉर्म पर जिस प्रकार की स्पीचेज होती हैं, नहीं होनी चाहिये, तथ्य की बातें ही कही जानी चाहिये, जिससे सदन का समय बचे। जब कोई बात कही जाती है तो फिर हमें तो उसका जवाब देना पड़ता है। मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए यही निवेदन करूंगा कि डिमान्ड्ज बहुत हैं और समय बहुत कम है इसलिये प्लेटफॉर्म स्पीचेज़ न हों तो अच्छा हो, ताकि समय बच जाए।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैंने जो सेक्रेट्रिएट के सम्बन्ध में बातें कहीं, उनका कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने तो सब का जवाब दे दिया।

(श्री हरिकृष्ण व्यास खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! He takes it as un-challenged.

कु० श्री जसवन्तसिंह—It is un-repliable.

श्री अध्यक्ष—Now I put the cut-motions to vote.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—May I request the Hon'ble Members to withdraw their cut-motions.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Sir, I withdraw my cut-motion.

श्री तेजमल बापना—Sir, I also withdraw my cut-motion.

श्री अध्यक्ष—We take the cut-motions on List No. 2, Serial No. 26 moved by Shri Jaswant Singh. (श्री जसवन्तसिंह को संकेत करते हुए) Do you press it ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—I press it, Sir.

श्री अध्यक्ष—"unjustified expenditure thereon in Rajasthan"

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—There is something wrong in Typing, Sir.

Page No.83

श्री अध्यक्ष--You have vividly explained it.

(विराम)

The question is that the cut-motion moved by Shri Jaswant Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The cut-motion fails.

(विराम)

Next cut-motion is by Shri Abani Kumar Mukerjee.

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—I withdraw my cut-motions.

श्री अध्यक्ष—All ?

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—Yes Sir.

श्री अध्यक्ष—Shri Tejmal Bapana has withdrawn.

श्री तेजमल बापना—Yes Sir.

श्री अध्यक्ष—Now the cut-motion by Shri H. K. Vyas.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir,as far as I understand if the Hon'ble Members want to withdraw their cut-motions they have to obtain permission of the House.

श्री अध्यक्ष—Yes. I think it is the leave of the House.

कुछ माननीय सदस्य—Yes.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—It is not proper, Sir.

श्री अध्यक्ष—If you like I will put all of them separately.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—That will be proper, Sir.

श्री अध्यक्ष—Yours is out-voted.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष—Next comes the cut-motions of Shri Abani Kumar Mukerjee. They are five. The question is that leave be granted for the withdrawal of the five cut-motions of Shri Abani Kumar Mukerjee. Is it the leave of the House ?

(स्वीकृत)

एक माननीय सदस्य—Leave has been granted.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--I withdraw my cut-motions, Sir.

श्री अध्यक्ष—Cut-motion by Shri Brij Sunder. Is it the leave of the House ?

माननीय सदस्य—Yes. श्री हरिकृष्ण व्यास—No.

श्री अध्यक्ष—Yes. The Leave is granted.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—I withdraw my Cut-motion, Sir.

श्री अध्यक्ष—Cut-motion by Shri Tejmal Bapna. Is it the leave of the House ?

(स्वीकृत)

Yes. The laeve is granted. Now the Hon'ble Member should withdraw.

श्री तेजमल बापना—I withdraw my cut-motion.

श्री अध्यक्ष--Now Shri H. K. Vyas. The question is that the cut-motion moved by Shri Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

The cut-motion fails.

(विराम)

Now the question is that the Demand be accepted.

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

श्री गोपीलाल यादव—I was allowed to move my cut-motion and without taking vote on it how can the Demand be granted ?

श्री अध्यक्ष—You were not allowed.

श्री गोपीलाल यादव—I was allowed.

श्री अध्यक्ष—You may please yourself that you were allowed.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

माँग संख्या २५—निर्माण कार्य इत्यादि

Now the Motion is, "That a sum not exceeding Rs. 2,17,63,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XXV Major Head 50-Civil Works. etc.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Now there are hardly ten minutes left......

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, no such motion has been before the House so far, no request for the Demand.

श्री अध्यक्ष—The motion has been moved, I represent the whole House.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Sir, there are only ten minutes left.

श्री चन्दनमल वेद— What is the point in wasting time ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—What do you mean by wasting time ?

श्री अध्यक्ष—Rising before the scheduled time is waisting time. Now I want to ascertain from the House whether we will sit both the times; we will have double sittings ?

कुछ माननीय सदस्य—No,no.

श्री अध्यक्ष—Yes. From 4 to 7 or 4 to 8. (विराम) Yes upto 8.

श्री कानसिंह— It is very inconvenient, Sir. Once a day is sufficient.

श्री अध्यक्ष — About cut-motions we have been observing that they are mostly received late and so far as the office is concerned it is very difficult for the office people to circulate those cut motions, if they are not received in time. I want to express my sympathy with the Hon'ble members who wish to ventilate their feelings over all the cut-motions but I will also request them to co-operate with me by tabling their cut-motions in time and if they are just fresh and barred by time I will be helpless to accept them.

Now we come to the Demand again. There is the cut-motion moved by Shri Tan Singh.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The cut-motions sent upto 18-3-1954 have been circulated, I hope.

(श्री तानसिंह खड़े हुए)

श्री हरिकृष्ण व्यास—What will be the position, Sir? It is five days in between, Sir?

श्री अध्यक्ष—Order! Order!!

श्री तनसिह—अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कटौती का प्रस्ताव बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में यातायात के अभाव को डिसकस करने के लिए रखा था। अध्यक्ष महोदय, बातचीत हमारे यहाँ इस प्रकार की होती है, बताया जाता यह है कि अब हमें विशालता की दृष्टि से देखना चाहिये और राजस्थान को पूरे राजस्थान की दृष्टि से देखना चाहिए, अब हमें अपनी छोटी-छोटी सीमाओं पर से अपनी नजरों को हटा देना चाहिये। ये बातें किसी हद तक उन लोगों के लिए ठीक हैं जो उसी विशालता की दृष्टि को सामने रख कर, उस विशालता की आड़ लेकर अपनी संकुचितता का पोषण कर रहे हों; इसलिए उन्हें यह कतई आवश्यक नहीं रहता कि वे कभी संकुचितता पर आयें। जिन लोगों के जिलों में अच्छी तरह से विशालता के आवरण को लेकर उन्नति के लिए पूर्ण मदद मिल जाती है उन्हें अपनी डिस्ट्रिक्ट की सीमाओं के अन्दर रहने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मजबूर होकर यह चीज आपके सामने रखने की चेष्टा की जा रही है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बाडमेर डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल १० हजार वर्गमील है और उसकी आबादी ४ लाख ४१ हज़ार है। केवल जोधपुर डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर उसके जितना क्षेत्रफल और डिस्ट्रिक्ट का नहीं आता है और आबादी में भी यह कम नहीं है। यहाँ चार लाख की आबादी ग्रामीण जनता की है। पाँच साल में पाँच करोड़ रुपया राजस्थान में सिर्फ सड़कों पर खर्च होने को है। इस साल इस मद में १ करोड़ २० लाख रुपया रखा गया है और पूरे बाड़मेर डस्ट्रिक्ट पर एक पैसा भी न पिछले चार सालों में और न इस साल में ही सड़कों के लिए कोई खर्च करने को रखा गया है।

यहाँ मैं उदाहरण के तौर पर कुछ आँकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा। वे यह हैं कि—

जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए— ४० लाख रुपया

सवाई माधोपुर के लिए— ३० लाख रुपया

सीकर के लिए— ४० लाख रुपया

अर्ज करने की बात यह है कि कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जिस पर लाखों से यानी १० लाख से कम पैसा खर्च न होगा। हरेक डिस्ट्रिक्ट के लिए १० लाख रुपये की तादाद रखी गई है और जब बाडमेर का नम्बर आता है तो एन. आई. एल. (Nil) अर्थात् कुछ नहीं।

[श्री तनसिंह]

बाडमेर के लिए एक पैसा भी न रखने का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। अगर माननीय मन्त्री की निगाह में इसका कुछ कारण हो, जो सारे राजस्थान को विशाल दृष्टि से देखते हैं, जिनकी विशाल दृष्टि सारे राजस्थान पर एक सी है, शायद उनकी नजर में बाडमेर के लिए एक पैसा न रखना भी उनकी विशालता में आता है; उन्होंने सोचा हो कि यहाँ के लिए एक पैसा भी न रखा जाय, तो अच्छा है। पंच-साला योजना के लिए जिन प्रतिनिधियों को बुलाया गया, क्या सोचकर उनको बुलाया गया और पता नहीं उन्होंने बाडमेर के लिए एक पैसा भी न रखने के लिए क्या सिफारिशें कीं ? मैं मन्त्री महोदय के लिए यह नहीं कह सकता कि उन्होंने जान बूझकर नहीं रखा जबकि बाकी के डिस्ट्रिक्टों के लिए रख दिया गया और इस डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पैसा भी नहीं रखा। जब उनका विशाल दृष्टिकोण है और जब वे सारे राजस्थान को उस विशाल दृष्टिकोण से देखते हैं तो सिर्फ बाडमेर डिस्ट्रिक्ट उनकी नजरों से ओझल हो जाय, यह बात समझ में नहीं आती। अगर स्लिप भी हो जाय तो बात दूसरी है, लेकिन बाडमेर का नाम तो लिखा गया किन्तु उसके आगे रकम कुछ भी नहीं लिखी गई।

माननीय मन्त्री महोदय जब कल्याणकारी बजट बनाने और जब योजना बनाने के ध्यान में रहे होंगे उस समय बाडमेर का ध्यान उनको नहीं आया होगा और आया होगा तो एक पैसा भी न रखने में ही कल्याण समझते हैं उनको यह ध्यान में आया होगा कि बाडमेर के लिए एक भी पैसा रख दिया तो कहीं उस इलाके में राम-राज्य स्थापित न होगा। इस काम के लिए जब कि करोड़ों रुपया रखा गया है और उस डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पैसा भी न रखना यह बतलाता है कि वहाँ जनता में इससे अमन-चैन रहेगा, वहाँ की जनता को बड़ा आराम होगा, मैं भी इस बात की ताईद करता हूँ। लेकिन एक पैसा भी न रखना और उसका असर वहां की जनता पर क्या पड़ने वाला है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहले तो लोग यह सोचते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के अन्दर चारों सीटों पर काँग्रेसी उम्मीदवार बुरी तरह पराजित हुए उनको इसलिए एक भी पैसा नसीब न हो सका और पहला कारण वहां की जनता यही समझती है कि इसी कारण पंचवर्षीय योजना के अन्दर सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पैसा भी नहीं रखा गया। यह बातें मिनिस्टरों के ध्यान में भले ही न हों किन्तु वहाँ की जनता के दिमाग में तो आ सकती है और आ रही हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर उनके पास इसका कोई उत्तर है तो वे जरूर इस बात पर प्रकाश डालें कि उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट को क्यों ओझल किया। वे अपनी सम्पूर्ण ईमानदारी से उत्तर दें। इससे वे क्या पोलीसी से काम कर रहे हैं, उन्होंने किस-किस अनुपात से यह रकम बांटी है और उस रकम में बाडमेर के हिस्से में क्यों कुछ भी रकम नहीं आई, इसकी वजह भी अवश्य बतायी जानी चाहिए। वहाँ सिर्फ एक सड़क है जो साठ मील लम्बी है, जो शिव से लेकर चोहटन तक जाती है; वह इतनी टूटी फूटी व बुरी हालत में है कि उसकी मरम्मत होना बहुत जरूरी है। वहाँ एक दूसरी सड़क बनी है जो सिणदरी जाती है वह केवल आधी बनाकर छोड़ दी गई है, जो बीस मील के करीब बनाकर छोड़ दी गई है। ऐसा पता चलता है कि जब तक वह पूरी बन चुकेगी तब तक उसका पिछला बना हुआ हिस्सा खराब हो जायगा। इन पाँच वर्षों में इन सड़कों पर एक पैसा भी खर्च करने की योजना सरकार की नहीं है। अगर ऐसी हालत ही रही तो जितनी भी सड़कें बनी हैं वे भी खराब हो जायंगी।

[श्री तनसिंह]

जब एक तरफ बाडमेर के डिस्ट्रिक्ट की सड़कों की यह हालत है और दूसरी ओर सारे राजस्थान में १८८ सड़कें बन रही हैं; वे चाहे किसी के मकान से लेकर किसी रेलवे स्टेशन तक ही क्यों न हो या किसी चारागाह से लेकर स्टेशन तक ही क्यों न हों, लेकिन हमारे यह सैकड़ों मील तक इलाका ऐसा पड़ा है जहाँ सड़कों का नाम निशान ही नहीं। इतनी आवश्यकता होते हुए भी, क्या वजह हो सकती है कि वहाँ के लिए एक पैसा भी न रखा जाय ? इसकी वजह मन्त्रियों को ही अच्छी तरह मालूम हो सकती है। जब माननीय मन्त्री कट मोशन का उत्तर देंगे तो मैं आशा करता हूँ कि स्पष्ट तौर पर बाडमेर के लिए एक पैसा भी न रखने का जो कारण है, क्या विशेष महत्व है, इस पर प्रकाश डालेंगे।

श्री अध्यक्ष—Now we adjourn for tomorrow till 8-30 A. M.

(सदन की कार्यवाही ८ बजे रात्रि को, कल दिनाँक २३ मार्च, १९५४ के ८ बजे प्रातः तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—२२ मार्च, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ३४२ का उत्तर देखिये)

जिलावार सूची जिनको कि १००० या इससे अधिक ऋण दिया गया है।

जिला का नाम		जिला का नाम	
अलवर	८२	टोंक	२२
सीकर	२	उदयपुर	२८
झुंझुनू	१५	बांसवाड़ा	२२
जयपुर	६१	भीलवाड़ा	२७
चित्तौड़	६२	डूंगरपुर	२७
झालावाड़	७	बाडमेर	४
बूंदी	२४	जालोर	६
चूरू	८	सिरोही	६
पाली	३०	गंगानगर	२४
जोधपुर	७१		
नागोर	१७		
कोटा	५४		
भरतपुर	१३४		
सवाई माधोपुर	१३		

परिशिष्ट २

(प्रश्न संख्या ३४७ का उत्तर देखिये)

सूची देवस्थान जिनको राजस्थान सरकार में विलीन होने के पूर्व रियासत गवा और मध्य भारत द्वारा सालाना रकम पूजनार्थ मिलती थी, बाबत विलीन शुदा मवाजियात टप्पा गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

क्र० सं०	नाम मन्दिर मय नाम मौजा जहाँ वे मन्दिर हैं।	नाम पुजारियान	तादाद रकम जो सालाना मिलती थी।	विशेष विवरण
१.	मन्दिर श्री लक्ष्मी नारायण जी वाके गंगापुर	कवरदास वल्द लछमनदास बैरागी सा. गंगापुर	३ रु०	
		मोहनदास वल्द नारादास बैरागी सा. गंगापुर	६ रु०	
२.	मन्दिर श्री चाँवड़ा माताजी वाके गंगापुर	केसरपुरी वल्द शंकरपुरी व लालपुरी पि. मु. रतनपुरी व नारायपुरी वल्द मानपुरी गुसाईयान सा. गंगापुर	६ रु०	
३.	मन्दिर श्री चारभुजाजी वाके गंगापुर	किशनदास गुरू दौलतरामदास बैरागी सा० गंगापुर	१८ रु०	
४.	मन्दिर श्री नीलकन्ठेश्वरजी महादेव वाके गंगापुर	जटाशंकर वल्द नीलापत व शंकर वल्द ओमकार ब्राह्मण सा० गंगापुर	३ रु०	
५.	मन्दिर श्री गोपालजी वाके गंगापुर	बलभदास चेला लछमनदास बैरागी सा० गंगापुर	१२ रु०	
६.	मन्दिर श्री महादेवजी वाके गंगापुर	हरीगिर वल्द केसरगिर गुसाई सा० गंगापुर	१५ रु०	
७.	मन्दिर श्री हरीजी वाके गेलोनी खेड़ा	जगन्नाथ दास वल्द टीकमदास बैरागी सा० मेलोनीखेड़ा	३ रु०	
८.	मं० श्री चार भुजाजी वाके अरनीया	मोहनदास वल्द हरीरामदास बैरागी सा० अरनीया	६ रु०	
९.	मं० श्री चारभुजाजी वाके चीड़ाखेड़ा	पन्नादास वल्द पोखरदास बैरागी चीड़ाखेड़ा	१८ रु०	

Page No.91

क्र० सं०	नाम मन्दिर मय नाम मौजा जहाँ वे मन्दिर हैं।	नाम पुजारियान	तादाद रकम जो सालाना मिलती थी।	विशेष विवरण
१०.	मन्दिर श्री महादेवजी वाके खुरावास	रामगिर वल्द किशनगिर गुसाईं खुरावास	४८ रु०	
११.	मं० श्री चारभुजा नाथ जी वाके सुरावास	कालदास वल्द घीसादास बैरागी सुरापास	१२ रु०	
१२.	मं. श्री चाँवड़ा माता वाके मौजा रायथला	कजोड़ी वल्द गुला बलाई सा. रायथला	२ रु०	
१३.	मं० श्री कृष्णजी वाके मौजा बघेरा	रणछोड़दास वल्द गनेसदास बैरागी सा. बघेरा	६ रु०	
१४.	मं० श्री चारभुजाजी वाके मौ. उदलियावास.	चम्पादास वल्द किशनदास बैरागी सा० उदलियावास	६ रु०	
१५.	मं० श्री चारभुजाजी मौजा माफावास	हाथीरामदास वल्द मोड़ीदास बैरागी माझावास	६ रु०	
१६.	म० श्री लक्ष्मीनारायणजी वाके मौ. माझावास	हजारी वल्द दौलतराम ब्रा० सा. माझावास	१२ रु०	
१७.	म० श्री महादेवजी मौ. माझावास.	भीखा वल्द नारायण व श्रीराम वल्द दौलतराम ब्रा० सा. गंगापुर	४ रु०	
१८.	मं० श्री चावड़ा माता वाके मौ. लाखोला	केशा वल्द शौराम व बख्ता वल्द दयाराम माली सा० बघेरा	६ रु०	
१९.	मं० श्री सावलाजी चारभुजा जी वाके सावल्यास	शिवनारायण वल्द छोगालाल ब्रा० सावलियावास	३ रु०	
२०	मं. श्री चारभुजाजी वाके मौ. गंगापुर	माँगीदास वल्द श्री हरिदास उर्फ कजोड़ियादास बैरागी सा० गंगापुर	८ रु० १२ आने	
२१.	मन्दिर श्री पारसनाथजी वाके मौजा गंगापुर	खैमचन्द चेला शिवचन्द जती सा० गंगापुर	१७ रु० ६ आने	

मीजान कुल २५७ रु० २ आने

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ३५१ का उत्तर देखिये)

The practice for levy, recovery and method of recovery of Settlement cost in vouge in this unit is as follows:—

Banswara—The expenditure of Non-khalsa area has so far been incurred by the State excepting in a few big jagirs where the expenditure was met from the income of jagirs.

Dungarpur—The cost of Settlement is recovered at the rate of Rs. 20/-% per 100 bighas from the concerning Jagirdars and Muafidars. If the request for Survey Settlement operations is made by the tenants the cost is recovered from the tenants.

Udaipur—The actual expenditure is recovered from the Jagirdar or Muafidar or the tenants or both on the following lines:—

(a) If the Settlement is done at the instance of the Jagirdar or Muafidar, the whole expenditure is recovered from Jagirdar or Muafidar.

(b) In Jagirs of the grade of Umraos, the whole expenditure is recovered from the Thikana.

(c) In Jagirs of Muafis under the management of Court of Wards expenditure is recovered from the Jagirdars where they have the means. In other cases, portions of expenditure is recovered from the tenants also.

(d) Where Settlement is done at the instance of both Jagirdar and tenant, whole expenditure is recovered according to their agreement.

(e) If the Settlement is done at the instance of the tenants, the cost is recovered from the Jagirdars and the tenants in the proportion decided by the Settlement which is generally half to half.

The procedure for fixing unit for apportionment of the actual expenditure is:—

(a) Survey & Area calculation:—The total of Khasra numbers plus 1/3 area to be increased by 25%. In villages where there is no original survey but Tarmim Survey, half the above units.

(b) Attestation & Compilation:—The proposed rent to be increased by 25% to be counted as the unit.

(c) Rate Propose & Announcement:—$^1/_2$ of the sanctioned **Mal Hansil** is the number of units.

(d) Fair Records:—Full numbers of I copy and $^3/_4$numbers of II and III to be counted as units.

The total of all the units of the whole work done during the year to be regarded as total work of the year and the actual expenditure of the year to be apportioned on the above units.

Illustration.

A village of 500 Khasra Numbers, 1500 bighas and Mal Hansil 2000/- will yield units as under:—

Survey & area Calculation:— $(500 \text{ Plus } \frac{1500}{53})1^1/_4$ 1000x5/4 1250 units

Tasdiq & Compilation:—$1^1/_4$ of Mal Hansil or $1^1/_4$ or 2000 2500 units

Panri Distribution:—$^1/_2$ of Mal Hansil 1000 units.

Safai:— I copy 500 }
II copy 375 } 1,250 units.
III copy 375 }

6000 Units.

In the same manner units of all the villages surveyed, attested, announced and fair copied during a particular year will be determined. Total cost in a year is apportioned on the units deduced as per above scale. $3^1/_2$%of Mal Hansil is alsodeduced and realised for building and tents and which is apportioned $^1/_2$ and $^1/_2$ in the years of Tasdip and announcement. Building and tents do not bear interest.

Note II (Method of Recovery)

As per Mewar Government Order No. 36373 dated 15th Nov., 1933 the expenditure of the Sattlement Department apportioned on individual Jagir Muafi villages was recovered under the direction of the Settlement Commissioner as under:—

(1) The District Offices were responsible for collection of the amount from Jagirdars and Muafidars not under the management of Court of Wards.

(2) For Jagirs and Muafis under Court of Wards, the Department of Court of Wards was responsible for making collections.

(3) The expenditures on the Lands of Sub-Jagirdars, Muafidars or the tenants of Jagirdars, Muafidars, or their Sub-Jagirdars, muafidars was to be recovered by the Jagirdars and Muafidars concerned and if they were unable to do so, on their application, the district officers used to help them and recover the cost of collection.

For non payment attachment was also made under the orders of the Settlement Commissioner.

These were not published by the former Governments. But any body who was required to contribute towards the Settlement expenses had free access to the above rules laying down the basis.

परिशिष्ट ४

[कृपया तारांकित प्रश्न ३५६ (ड) देखिये]

लिस्ट तहसील मेड़ता के स्कूल वास्ते

नं०	नाम	सरकार की सहायता स्कूल भवनों के लिये	ग्राम का चन्दा	कुल लागत लगेगी
१.	पुनलोता	४०००)	४०००)	८०००)
२.	डेगानागाँव	२०००)	२०००)	४०००)
३.	चान्दासूण	५०००)	५०००)	१००००)
४.	स्टेशन डैगाना	४०००)	४०००)	८०००)
५.	नीमड़ीकला	४०००)	४०००)	८०००)
६.	बड़ायली	५०००)	५०००)	१००००)
७.	सीरासना	१०००)	१०००)	२०००)
८.	रांईसा	२०००)	२०००)	४०००)
९.	रीयांबड़ी	४०००)	४०००)	८०००)
१०.	आलनीया वास	४०००)	४०००)	८०००)
११.	हरसोर	५०००)	५०००)	१००००)
१२.	थांवला	५०००)	५०००)	१००००)
१३.	पादु कलां	५०००)	५०००)	१००००)
१४.	भीखरनीयां	१०००)	१०००)	२०००)
१५.	जाखेड़ा	२०००)	२०००)	४०००)
१६.	बुटाटी	१०००)	१०००)	२०००)
१७.	पादु खुर्द	१०००)	१०००)	२०००)
१८.	डोडीयाणा	२०००)	२०००)	४०००)
१९.	गंगराणा	२०००)	२०००)	४०००)
२०.	डूगर दांसा	१०००)	१०००)	२०००)
		६००००)	६००००)	१,२०,०००)

सरकार अगर साठ हजार रुपया इस साल खर्च कर देवे तो एक लाख बीस हजार की इमारतें बन सकती हैं क्योंकि इस साल जमाने व साख की हालत अच्छी है और चन्दा इकट्ठा हो सकता है ।

परिशिष्ट ५

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

५. (५३/एल. एल. एम.) श्री संतोषसिंह कछवाहा, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १३६—क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर डिविजन में बस परमिट होने के पहले किन-किन रूटों (रास्तों) पर कितने-कितने रुपयों में कितनी-कितनी अवधि के वास्ते (कौन-सी तारीख से कौन-सी तारीख तक) बस व लोड ट्रक के वास्ते कोन-कौन से मोनोपोली कन्ट्रेक्टर चालू व बन्द हालत में वार्षिक व तीन वर्षों के लिये मोनोपोली कण्ट्रेक्टर थे ?

(ख) क्या सरकार यह बतलायगी कि इस वक्त राजस्थान में किन-किन रूटों (रास्तों) पर कितने-कितने रुपयों से कितनी-कितनी अवधि (कौन-सी तारीख से कौन-सी तारीख तक) के वास्ते कौन-कौन से मोनोपोली होल्डर्स अभी हैं और वे कब तक टूटेंगे ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) जोधपुर डिविजन में बस परमिट होने के पहिले कितने व किस-किस बस सरविस के रूटों (रास्तों) के मोनोपोली होल्डर्स ने ठेकों में नुकसान होने की वजह से कितनी-कितनी मोनोपोलियां केन्सल करने के वास्ते लिखित याचना की थी ?

(घ) जोधपुर डिविजन में कितने व किस-किस बस सरविस के रूटों (रास्तों) के पुराने मोनोपोली कन्ट्रेक्टरों ने कितने रुपयों के वास्ते क्लेम्स के दावे सरकार के खिलाफ किये हैं ?

(ङ) इनमें से कितने व कौन-कौन से ठेकेदारों के साथ कितने कितने रुपयों में सरकार आपसी समझौता कर रही है ? ये समझौता कराने में मध्यस्थ कौन-कौन हैं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(क) सूची विधान भवन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) इस वक्त किसी भी रूट पर किसी की मोनोपोली नहीं है। सब रूटों पर परमिट मिले हुए हैं अतः मोनोपोली कन्ट्रेक्ट टूटने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सूची विधान भवन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) सूची विधान भवन की मेज पर रख दी गई है।

(ङ) जोधपुर डिविजन में बस सर्विस होने से पहले कितने व किस-किस बस सर्विस के रूटों के मोनोपोली कन्ट्रेक्ट के ठेके में नुकसान होने से मोनोपोलियाँ केन्सल करने के वास्ते लिखित याचना करने वालों की सूची।

	नाम कन्ट्रेक्टर	रूट	तारीख अर्जी
१.	बाबूलाल गुप्ता	पाली खिबारा	१५-५-४६
२.	बाबूलाल गुप्ता	फुलाद-देसुरी	
३.	वंडाराम	हरिपुर-विलाड़ा	२१-८-४६
४.	एम. वी. के. एन्ड. कं.	शेरगढ़-फलसूंड	२६-७-५०
५.	मुबारक हुसैन बाबूलाल	सोजत सिटी जोजावर	२१-५-४६

नकशा मोनोपोली कंट्रेक्ट ता० ७-४-४६ को बन्द व चालू सर्विसों का

क्रम सं०	रूटों के नाम	कन्ट्रेक्टर के नाम	रकम कन्ट्रेक्ट	अवधि	समय	बस या लोड	बन्द या चालू	तारीख अर्जी इन्क्रीमेन्ट	फैसला	रिमार्क
१.	जोधपुर-पाली-बर	ब्रह्मासिंह	३,२१,१११)	३ साल ७ महीना	१-३-४६ से ३०-९-४९	दोनों	चालू			३१-२-५१ तक अवधि बढ़ी
२.	पाली-सन्डेराव-सुमेरपुर	उमरावखाँ	६१,३४५)	,,	,,	,,	,,			,,
३.	बाली-फालना	एम. बी. के. एण्ड कं.	७७,७७१)	२ साल ९ माह	१-१-४६ से ३०-९-४८	,,	,,			,,
४.	रानी-फालना	मुबारिक हुसेन	२,३४,१६७)	२ साल ६ माह	१-१०-४८ से ३१-३-५१	,,	,,			,,
५.	सोजत-बिलाड़ा	सालगराम	३७,१११)	३ साल ७ माह	१-३-४६ से ३०-९-४९	,,	,,			३१-३-५१ तक बढ़ी
६.	सुमेरपुर-जालोर	एम. बी. के. कं.	१,२५,००७)	३ साल ६ माह	१-४-४६ से ३०-९-४९	,,	,,			,,
७.	रास-बावला-चंडावल	मोहम्मदखाँ	६,०००)	,,	१०-१०-४८ से १०-१०-५१	,,	,,			,,
८.	रानीवाड़ा-साँचोर	प्रभुदान	२७,१५१)	३ साल ७ माह	१-३-४६ से ३०-९-४९	,,	,,			,,

क्रम सं०	रूटों के नाम	कन्ट्रेक्टर के नाम	रकम कन्ट्रेक्ट	अवधि	समय	बस या लोड	बन्द या चालू	तारीख अर्जी इन्क्रीमेन्ट	फैसला	रिमार्क
६.	फलोदी-खीचन	आईदान शिवकरण	७,२००)	३ साल ७ माह	१-३-४६ से ३०-६-४६	दोनों	चालू			३१-३-५१ तक रही
१०.	जोधपुर-खींवसर-नागौर	शंकरलाल	३,०२,२२५)	,,	१-१०-४६ से ३०-६-५१	,,	,,			,,
११.	जोधपुर-बालेसर-शेरगढ़	मुबारकहुसेन	३,५५,०५१)	,,	१-८-४८ से ३०-७-५१	,,	,,			,,
१२.	कुचामन-नारायणपुरा	मदनलाल समदुखाँ	१,२५,०००)	,,	१-१-४८ से ३१-१२-५२	,,	,,			,,
१३.	मेड़ता-आलनियावास	पुखराज	८११११)	,,	१-३-४६ से ३०-६-४६	,,	,,			,,
१४.	विलाड़ा-बरजैतारन	,,	६५१११)	,,	,,	,,	,,			,,
१५.	बालोतरा-सिंदरी-गुड़ा	रिड़मलसिंह	१४,३००)	,,	,,	,,	,,			,,
१६.	मुँडवा-जायल	क बादरसिंह	१५०००)	३ साल	१५-६-४८ से १४-६-४८	,,	,,			,,
१७.	बागरा-रामसीन	पन्नेखाँ	३१२५)	२½ साल	१६-१०-४८ से १५-४-५१	,,	,,			,,
१८.	भीनमाल-जसवन्तपुरा	अल्लारख	१६१०१)	३ साल	१५-५-४८ से १४-५-५१	,,	,,			,,

क्रम सं०	रूटों के नाम	कन्ट्रेक्टर के नाम	रकम कन्ट्रेक्ट	अवधि	समय	बस या लोड	बन्द या चालू	तारीख अर्जी इन्क्रीमेन्ट	फैसला	रिमार्क
१६.	गोल-आसोप-मूंडियार	शिवरामसिंह	४६,०००)	३¾ साल	१-७-४६ से ३०-६-४६	दोनों	चालू			३१-३-५१ तक बढ़ी
२०.	डेगाना-रिड	"	३१,५००)	५ साल	१-११-४६ से ३१-६-५१	"	"			"
२१.	मोकलसर-सिवना-बालोतरा	दाउदखाँ		१ साल	१५-५-४६ से १४-५-५०	"	"			"
२२.	रानी-चानोद	उदयसिंह	२७७५१)	३ साल	१-६-४८ से ३१-८-५१	"	"			"
२३.	कुचेरा-खजवाना	मोहनलाल	४१,१२१)	३ साल	१५-७-४८ से ३०-६-५१	"	"			"
२४.	साँचोर-वाकासर	आइदान करनीदान		३ साल	१५-७-४८ से १४-७-५१	"	"			"
२५.	एरनपुरा-सुमेरपुर	वृजलाल जुग्गालाल	१,४१,०००)	३ साल	२०-६-४८ से १६-६-५१	"	"			"
२६.	खाटू-खियाला	बादुरसिंह	६,०००)	३ साल	१५-६-४८ से १४-६-५१	"	"			"
२७.	जोधपुर-कल्याणपुरा-बालोतरा	लक्ष्मीमोटर्स	१२,०५१)	१ साल	१-५-४८ से ३०-४-४६	"	"			Extended for 16-9-49 to 15-9-50
२८.	सोजतसिटी-जोजावर	मुबारिकहुसेन भंवरलाल	६,१५५)	३ साल	१-११-४८ से ३०-११-५१	"	"			३१-३-५१ तक रही

क्रम सं०	रूटों के नाम	कन्ट्रेक्टर के नाम	रकम कन्ट्रेक्ट	अवधि	समय	बस या लोड	बन्द या चालू	तारीख अर्जी इन्क्रीमेन्ट	फैसला	रिमार्क
२९.	पाली-खारड़ा-भादराजून	गिरधारीलाल मूलसिंह	४२,१५१)	३ साल	१-१२-४८ से ३०-११-५१	,,	,,	२०-७-५५		,,
३०.	भीनमाल-मोडसीन	अल्लारख ताजुदीन	५५१)	३ साल	१-११-४८ से ३०-१०-५१	,,	,,			,,
३१.	पाली-सोड़ायस-खिवाड़ा	बाबूलाल गुप्ता	१२५००)	३ साल	१-११-४८ से ३०-११-५१	,,	बन्द–	सर्विस रोकने की रिपोर्ट की		,,
३२.	विसनगढ़-वागोढ़ा	गणेश बाधा	२५०६१)	३ साल	२०-६-४८ से १६-६-५१	,,	चालू			३१-३-५१ तक रही एक साल चली
३३.	फुलाद-जोजावर-देसूरी	बाबूलाल गुप्ता	२५,३०१)	१ साल	२०-११-४८ से १६-११-४९	,,	,,	केन्सिल के लिए दरख्वास्त दी	केन्सिल कर दिया	
३४.	फलोदी-खिरजा-सतेरावा	मुबारिक हुसेन	५,०००)	३ साल	१-९-४८ से ३१-८-५१	,,	चालू			३१-३-५१ तक रही
३५.	भीनमाल-रामसीन	मूलचन्द धन्ना	१६,५५५)	३ साल	१-१२-४८ से ३०-११-५१	,,	,,			,,
३६.	आहोर-विशनगढ़	मोहनराज लूँकड	५,४००)	३ साल	,,	,,	,,			,,
३७.	नागोर-रोल-डेह	मोहनलाल जैतारण	७२,१२१)	३ साल	,,	,,	,,			,,
३८.	हरिपुर-झिलाड़	झंडाराम	३७,५१५)	३ साल	१-१-५१ से ३०-१२-५२	,,	,,	केन्सिल के लिए दरख्वास्त दी		

क्रम सं०	रूटों के नाम	कन्ट्रेक्टर के नाम	रकम कन्ट्रेक्ट	अवधि	समय	बस या लोड	बन्द या चालू	तारीख अर्जी इन्क्रीमेन्ट	फैसला	रिमार्क भार
३६.	पोकरण-खेतोलाई	जैरामदास जमनादास	१५,५५१)	३ साल	१०-११-४८ से ६-११-५१	,,	,,		३१-३-५१ तक रद्द.	
४०.	बाड़मेर-खुडाल	नखतमल जोशी	३१,५२१)	३ साल	,,	,,	,,			
४१.	बाड़मेर-गुड़ामालानी	जीवराज रामनाथ	१५,०००)	३ साल	१५-४-४६ से ३१-३-४२	,,	,,			
४२.	एरनपुरा वाली	मुबारिक हुसेन एन्ड ब्रादर्स	३३,१०१)	३ साल	,,	,,	,,			
४३.	जोधपुर-बिलाड़ा	शंकरलाल चुन्नीलाल	२,०५,१२१)	३ साल	१५-३-४६ से १४-३-५२	,,	,,			
४४.	बिलाड़ा-सोजत सिटी सोजत रोड़	त्रीजराज कछवा	१७,०२०)	१ साल	१-५-४६ से ३०-४-५०	,,	,,		३१-३-५१ तक रही	
४५.	डीडवाना-कुचामन	वंशीलाल रामलाल	१,५१,०००)	३ साल	१-४-४६ से ३१-१२-५२	,,	,,		,,	
४६.	मेड़ता-लाँबिया-जेतारण	पीरथीसिंह	२,७५,०२१)	३ साल	१-४-४६ से ३०-६-५२	,,	,,		,,	
४७.	बाड़मेर-खिरजा-चावणा	जीवराज रामनाथ	२,७५०)	३ साल ७ माह	,,	,,	,,			
४८.	नारायणपुरा-परबतसर	मदनलाल समदुखाँ	२१,५२१)	३ साल ११ माह	१-२-४६ से ३१-१२-५२	,,	,,			

क्रम सं०	रूटों के नाम	कन्ट्रेक्टर के नाम	रकम कन्ट्रेक्ट	अवधि	समय	बस या लोड	बन्द या चालू	तारीख अर्जी इन्क्रीमेन्ट	फैसला	रिमार्क
४६.	वालोतरा-माडपुरा	जीवराज रामनाथ	२,४८३)	३ साल	१५-१-४६ से ३०-६-४६	,,	,,	रोकने की रिपोर्ट २३-७-५० को दी।		
५०.	शेरगढ़-फरशून	एम. बी. के. कं०	५,०००)	३ साल	१-११-४८ से ३१-१०-५१	,,	,,			
५१.	मूँडवा-खीवसर	नन्दसिंह	४२५)	८ माह	१-२-४६ से ३१-१०-४६	,,	,,			

Page No.104

उत्तर

(घ) सरकार के खिलाफ क्लेम्स करने वालों की सूची

नं० शुमार	रूट	मोनोपोली होल्डर	रकम क्लेम्स नोटिस द्वारा
१.	रानी-फालना	मुबारिक हुसेन	१३०७३०)
२.	सुमेरपुर-जालोर	एम. वी. के. कम्पनी	१२५००७)
३.	जोधपुर-खिवसर नागोर	शंकरलाल	१८०८६०)
४.	जोधपुर-वालेसर शेरगढ़	मुबारिक हुसेन	२२५१५३)
५.	मेड़ता-अलनियावास	पुखराज	३३१८०)
६.	रानी-चानोद	उदयसिंह	५१०४१|||≡)४
७.	डीडवाना-कुचामन	बन्शीलाल	४६७११=)
८.	एरिनपुरा-सुमेरपुर	बृजलाल जुगालाल	६६०००)
९.	पाली-खारड़ा भाद्राजून	गिरदारी लाल मूलसिंह	३२८५६)
१०.	फोलाद-जोजावर देसूरी पाली-खिवाड़ा	बाबूलाल गुप्ता	६००००)
११.	नागोर-रोल-देह	मोहनलाल	३००००)
१२.	एरिनपुरा-पाली	मुबारिक हुसेन	१५४००)
१३.	जोधपुर-बिलाड़ा	शंकरलाल	१०००००)
१४.	” ”	चुन्नीलाल	३३६३५)
१५.	मेड़ता-लाम्बिया जेतारन	पृथ्वीसिंह	१३७५११)
१६.	वर जेतारन-विलाड़ा	पुखराज	३८६८०)
		मीजान	१२८६०६५७४)